Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का छठा दिवस [संख्या ३

सोमवार, २९ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बज कर ११ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, गृह, शिक्षा, विद्युत, नियुक्ति, विकास, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक सम्पर्क—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

(विराम)

श्री शिवचरणदास।

श्री कल्याणमल सोमाणी (हमीरगढ़) द्वारा कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगाने हेतु लिये गये लोन की अदायगी

६९. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या श्री कल्याणमल सोमाणी, निवासी हमीरगढ़, ने सन् १९५७ में पन्द्रह हजार रु० कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगाने हेतु सरकार से लोन लिये थे ? यदि हां, तो उसकी अदायगी अब तक किस प्रकार और कितनी किश्तों में हुई

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : कल्याणमल सोमाणी को १०,०००) रु० तारीख २९-१२-५६ को स्वीकृत किये गये थे। इस ऋण की एक किश्त चढ़ गई और अदा नहीं हुई है, अतः वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. में करने के आदेश जारी किये गये हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये आदेश कब दिये गये ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि वहां पर कोई कॉटन और जिनिंग फैक्ट्री नहीं लगाई गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि उन्होंने कोई फैक्ट्री कहीं लगाई, लेकिन रुपया दिया गया;

Page No.2

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उसकी एक किश्त चढ़ गयी और अदा नहीं की इसलिये उसकी वसूली को पी. डी. आर. में कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस रुपये का सदुपयोग न होने के कारण इस बात का भी उन्हें नोटिस दिया गया था कि यह फैक्ट्री चालू करो, नहीं तो सारी रकम वसूली की जावेगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि आप केवल प्रिज़म्पशन पर चल रहे हैं। मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं कि उन्होंने फैक्ट्री लगाई या नहीं और रकम को यूटीलाइज़ किया या नहीं। यदि इसको अलग से पूछेंगे तो मैं जानकारी करके उत्तर दे दूँगा। लेकिन १० हज़ार रुपया उनको दिया गया था, जिसकी पहली किश्त चढ़ गयी और अदा नहीं की इसलिए पी. डी. आर. में वसूल करने के लिए आदेश दे दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस तरह से रकम उधार देने के बाद फर्स्ट इन्स्टालमेंट चढ़ने से पहले यह विचार किया जाता है और जांच की जाती है कि जिस कार्य के लिये वह लोन लिया गया है तो उस कार्य में यह रकम युटिलाइज़ की गयी या नहीं और यदि नहीं की है तो पूरी रकम ही वसूल करने की कार्यवाही की जाती है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यदि इसका सदुपयोग नहीं करना था तो पूरी रकम ही वसूल करना था, लेकिन पहली किश्त वसूल की जा रही है इसलिए इससे यह प्रिज़म्पशन अवश्य निकलता है कि युटिलाइज़ किया है और पहली किश्त नहीं चुकाने के कारण वसूली के आदेश दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है कि फैक्ट्री लगाई या नहीं? फर्स्ट इन्स्टालमेंट के वक्त यह अवश्य देखा जाता है कि फैक्ट्री लगाई गयी या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि आप प्रिज़म्पशन पर चल रहे हैं। मैंने कहा था कि जिनिंग फैक्ट्री लगाई या यूटिलाइज़ किया इस रकम को, यह दूसरा सवाल है; और अलग से पूछेंगे तो मैं जानकारी करके सूचना दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है क्या उनका यह कहना है कि फैक्ट्री नहीं लगाई गयी क्योंकि उनको भी पूरे तथ्य नहीं मालूम हैं?

श्री शिवचरणदास : यह मतलब है, अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि फैक्ट्री नहीं लगायी गयी?

श्री भैरोंसिंह : ७ फरवरी तक तो नहीं लगाई गयी, मैं हमीरगढ़ में था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सवाल सीधा ही पूछा जाना चाहिये था, तो मैं जवाब दे सकता था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस प्रकार से लोन दिया जाता है तो ऊपर के अधिकारी और मन्त्री जांच करते हैं या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच की जाती है बराबर और सैंकड़ों को रुपया दिया गया। अगर टू दी पोइन्ट कोई पूछा जाय तो जानकारी करके जवाब दिया जा सकता है। प्रिज़म्प्शन पर चलना और यह पूछना कि यह कार्य किया या नहीं, यह ऐसा सवाल है कि जिसकी बगैर जांच किये सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : फैक्ट्री लगाने का सवाल है, लगाई या नहीं ? रकम तो अधिकारियों द्वारा दे दी जाती है और जब लम्बे समय के बाद में पूछा जाता है तो। आप कहते हैं कि पता नहीं। तो ऐसी चीजों का फिर पता ही नहीं हो सकता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सवाल ही टू दी पोइन्ट नहीं है। जैसा सवाल पूछा उसके हिसाब से मैने बताया कि पहली किश्त अदा नहीं की और चढ़ गई, इसलिए वसूली के लिए आदेश दे दिये गये। वसूली के सिलसिले में ही आपका यह प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि अब तक सरकारी सूचना के अनुसार जिस स्थिति में फर्स्ट इन्स्टालमेंट वसूल की जा रही है, सरकार इस स्थिति में नहीं है कि यह बता सके कि हमीरगढ़ में कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगी या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : निश्चित जानकारी लेने के लिये प्रश्न इस बारे में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो जानकारी है........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न साफ है। टेढ़ा-मेढ़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं और जो तथ्य मन्त्री महोदय के सामने हैं उनकी और चांज करा लेंगे।

श्री उम्मेदीलाल।

हिन्डौन नई मंडी से धमान्ये धौलेटा तक सड़क निर्माण

६७. **श्री उम्मेदीलाल** [करौली–सु–डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या सरकार हिन्डौन नई मण्डी से धमान्ये–धौलेटा सड़क, जो २१ मील का टुकड़ा है, को बनवाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। अर्थाभाव के कारण।

डा० चन्द्रकला : क्या इस सड़क की उपयोगिता सरकार को मंजूर नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी नहीं है।

(हंसी)

डा० चन्द्रकला : एक नई मण्डी बनी है और एक गांव से सड़क आवेगी तो आखिर किसानों को अनाज वगैरह लाने में काफी सहूलियत हो जावेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान में इसको कन्सीडर किया जा सकता है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना बन गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है । प्रोपोज़ल आये हैं, उनको कन्सीडर किया जा रहा है । अब तक इन्क्ल्यूडेड नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : अब इन्क्ल्यूड कर लिया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास ।

तहसील मान्डल के पटवारियों के द्वारा दो बार लगान वसूली

६८. **श्री शिवचरणदास** (मान्डल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(क) क्या यह सही है कि तहसील मांडल में पटवारियों द्वारा किसानों से दुबारा लगान वसूल करने की शिकायतें हुई है ?

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से पटवारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां ।

(ख) केवल दो पटवारी श्री राधेश्याम व मोहनलाल टुकलिया के विरुद्ध दुबारा लगान वसूल करने की शिकायतें पेश हुई हैं । दुबारा वसूली रोकने के आदेश दे दिये गये हैं और इन दोनों पटवारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री शिवचरणदास : ये आदेश कब जारी किये हैं, और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है दूसरे फेक्ट्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : दो बार वसूल किया तो उसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनाब ने मेरे उत्तर पर गौर नहीं किया । ये आदेश दे दिये गये हैं कि अगर ऐसा किया गया है तो उसको बन्द कर दिया जाय और पटवारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय ।

श्री शिवचरणदास : काश्तकारों की शिकायतें इस प्रश्न के आने से पहले पेश हुई थीं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं कह सकता । हो सकता है । सैंकड़ों दरख्वास्तें रोज आती है, हरएक का याद रख कर जवाब देना संभव नहीं है । आपने पूछा कि तहसील मांडल में पटवारियों द्वारा किसानों से दुबारा लगान वसूल करने की शिकायतें तहसील में पेश हुई हैं ; मैंने कहा कि जी हां । दूसरी बात यह कही कि दो पटवारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं और दुबारा वसूली लगान की रोकने के भी आदेश दे दिये हैं ।

Page No.5

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अभी यह जवाब देने की स्थिति में हैं कि कार्यवाही की या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिसिप्लिनरी कार्यवाही करने का मतलब ही यही है कि उनके खिलाफ यह जांच की जाय कि कितनी-कितनी गड़बड़ी की है और क्या सज़ा मिलनी चाहिये।

ठाकुर श्री मदनसिंह : अब तक यही इन्फॉर्मेशन थी कि गड़बड़ी नहीं की?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्राइमाफेसी केस बनने के बाद में ही अनुशासन की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : दुबारा लगान किस आधार पर वसूल किया गया?

श्री अध्यक्ष : यह तो जांच होगी और इसीलिए वसूल को रोका गया है।

श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर) : दूसरी बार लगान वसूल किया तो क्या रेवेन्यू में जमा कराया या अपने खुद के पास ही रख लिया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि शिकायतें आयीं तो तहसीलदार को मुकर्रर किया गया कि यदि ये सही हैं तो उन लोगों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्यवाही की जाय और दुबारा वसूली को बन्द कर दिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : दुबारा लगान वसूल किया है तो उसको वापिस किसानों को दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए कानून बना हुआ है। नाजायज़ वसूल हो गया है तो मुस्तहक नहीं है।

श्री शिवचरण दास : मेरा प्रश्न यह है कि "क्या....तहसील मांडल में पटवारियों द्वारा किसानों से दुबारा लगान वसूल करने की शिकायतें तहसील में हुई हैं'?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा यह जवाब है कि "जी हां।

श्री शिवचरणदास : मैंने पूछा है कि तहसील में किस तारीख को शिकायत हुई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख आपने पूछी नहीं शिकायत के बारे में मैंने कहा है, 'जी हां, हुई है'।

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को कबूल किया है; दो-दो बार लगान वसूल किया गया है तो क्या दोनों बार रसीदें दी गई या एक ही बार दी गई है।

श्री अध्यक्ष : ये सारी चीजें जांच में आ जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच कर लेते तो प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : जांच हो रही है।

श्री मदनसिंह : क्या जांच के पहले ससपेन्शन के ऑर्डर्स होते है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर प्राइमाफेसी केस हो तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्राइमाफेसी तो केस है ही जब कि दुबारा लगान वसूल किया गया।

श्री दमोदरलाल व्यास : शिकायत के ऊपर दो प्रकार के ऑर्डर्स दिये गये; एक तो यह कि दुबारा लगान लेना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय और जिसने किया उसके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जाय।

श्री शिवचरणदास : तहसीलदार ने ऑर्डर दिया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार को ऑफिसर इन्चार्ज नियुक्त किया है, तुरन्त ऑर्डर वसूली रोक दी गई है।

ठाकुर मदनसिंह : तहसीलदार को मालूम था कि दुबारा वसूल किया जा रहा है, तो उसका सस्पेन्शन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

जयपुर जिले में उधार दिये गये टीन शीट्स

६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) १६५६-५७, १६५७-५८, १६५८-५६ व १६५६-६० में जिला जयपुर में किन किन व्यक्तियों को तथा किन किन संस्थाओं को कितने कितने टीन शीट्स (चद्दर) किस किस तारीख को डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ तथा कलेक्टर द्वारा उधार दिये गये थे और क्यों और किन किन शर्तों पर ?

(२) इनमें से कितने और किन किन के तथा किस किस तारीख को चद्दर वापिस आ गये ? जिनके वापिस नहीं आये उनके संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) किन किन ने तथा कब कब और किस किस रेट से कीमत जमा कराई है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सन् १६५६-५७ से १६५६-६० तक जो चद्दरें जिन जिन संस्थाओं को जिस जिस कार्य के लिये उधार, संचालक, उद्योग व रसद विभाग राजस्थान, जयपुर व जिलाधीश जयपुर की ओर से दी गई उनका विवरण निम्न प्रकार है।

संचालक, उद्योग व रसद विभाग

	(१) नाम	(२) संस्था	(३) दिनांक
(क)	(१) संचालक,	सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर	२६/१०/५७ से ३१/१०/५७
	(२) ,,	,,	२३/६/१६५६

(४) चद्दरों की सं०	(५) देने का कारण	(६) आवश्यक शर्तें
(१) ८६६८	राजस्थान प्रदर्शिनी पर सन् १६५७	सुअवस्था में प्रदर्शिनी समाप्ति पर वापिस लौटाई जाने।
(२) १३६१	सन् १६५६	,, ,,

(ख) जिलाशीश जयपुर

अक्टूबर १६५६ में सिर्फ सरदार पटेल मैमोरियल टूर्नामेंट की ३०० टिनें २० दिन के लिये खेला मैदान के चारों ओर लगाने को डीलर की किसी प्रकार का एतराज न होने की स्थिति में उधार देने की मंजूरी जिलाधीश, जयपुर, से दी गई थी।

Page No.7

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

वापिस आई हुई चद्दरों का विवरण

(क) अक्टूबर १६५७ में संचालक सार्वजनिक सम्पर्क कर्यालय राजस्थान, जयपुर को जो ८६६८ शीट्स दी गई थीं उनमें से ८६३४ शीट्स वापिस प्राप्त हो गई एवं ६४ शीट्स खराब होने के कारण प्राप्त नहीं हुई, इसलिये इन शीट्स को पर्मिट के जरिये उन्हीं को बेच दी गई ।

सितम्बर १६५६ में उक्त कार्यालय को जो १३६१ शीट्स राजस्थान प्रदर्शिनी, १६५६, के हेतु दी गई थी उनमें से केवल एक चद्दर कम प्राप्त हुई है जिसकी कीमत वसूली की कार्यवाही जारी है ।

जिलाधीश जयपुर

(ख) ३०० टीन तारीख १८–११–५६ को आइरन स्टील मर्चेन्ट्स एसोसियेशन में वापिस जमा हो गये थे और पर्मिटों द्वारा उपभोक्ताओं को उठवा दिये गये थे । उधार दिये गये टीन पूरी संख्या में एसोसियेशन के पास जमा हो चुके; अतः कीमत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

३) इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि जो चद्दरें उधार दी गई थीं वे वापिस प्राप्त हो गई । जो चद्दरें कम प्राप्त हुई उनकी कीमत कन्ट्रोल रेट से संबन्धित दुकानदार द्वारा प्राप्त कर ली गई एवं १ चद्दर की कीमत दुकानदार द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टीन शीट्स उधार देने के कोई नियम नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई जरूरत नहीं है नियम बनाने की ।

श्री भैरोंसिंह : टीन शीट्स के डिस्ट्रिब्यूशन के नियम बने हुए हैं उसके अनुसार बिना कीमत के, बिना पर्मिट के किसी को नहीं दिया जाय; ऐसी स्थिति में उधार क्यों दिये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टॉक होल्डर को एतराज नहीं होता है, तो दिया जा सकता है; इसमें कोई बुराई की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्टोक होल्डर की इच्छा विपरीत कलेक्टर द्वारा एक्स संस्थाओं को टीन शीट्स उधार दिये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : स्टॉक होल्डर्स को किसने हुक्म दिया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कलेक्टर ने । उनके किसी प्रकार भी एतराज न करने पर इस्तेमाल करने के लिये दिलवा दिये थे । और जो खराब हो गये या वापिस नहीं आये उसकी बजाय पर्मिट दे दिया गया और कीमत दे दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : जो पर्मिट दिया गया, वह इस स्थिति में दिया गया जिस स्थिति में टीन की आवश्यकता नहीं; मजबूरी से टीन रख लिये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किसको ?

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को जो ६४ टीन शीट्स इस स्थिति में थे, जिनको वापिस रिटर्न नहीं किया जा सकता था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टॉक होल्डर ने उनको वापिस लेने से इन्कार किया, ऐसी स्थिति के अन्दर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यवाही को वे परमिट द्वारा दे दिये गये और उनसे कन्ट्रोल रेट की कीमत वसूल कर ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार के नियम हैं कि परमिट देने के पहले कोई भी व्यक्ति टीन शीट्स का प्रयोग नहीं कर सकता इस प्रकार प्रयोग नहीं करने के कोई नियम हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस स्थिति में है, जो उधार दिये गये, उधार देने की स्थिति में उस स्टाकिस्ट ने उनको किस खाने में लिखा जो खाने प्रेस्क्राइब्ड कर रखे हैं उनमें किनमें उनको लिखा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो टीन दिये गये वे वापिस आ गये और जो खराब हुए उनको बेच दिया गया, फिर किसी खाने में लिखने की क्या बात रह गई ?

श्री भैरोंसिंह : किन किन तारीखों को जमा हुए यह तो आपने बताया नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख आपने पूछी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब था कि उधार नहीं दे सकते, उसके लिये मन्त्री महोदय ने कह दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : खैर, अब तो नियम बन गया। किस किस तारीख को टीन शीट्स वापिस लौटाये यह नहीं बताया गया। कुछ चद्दर सन् ५५ में दिये गये जो ५७ में लौटाये हैं कुछ ५७ में दिये गये जिनको ५६ में लौटाया गया है; इसलिये तारीखें जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें मस्लेहत है ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी रूल्स के खिलाफ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यावाही को जो ६४ टीन दिये गये हैं उसकी बुक एन्ट्री है या नहीं, यह भी देख लें।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

करौली सब-डिविजन में सड़क निर्माण कार्य

६०. **श्री उम्मेदीलाल** [करौली—सु० डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] :

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) करौली सब-डिविज़न में सन् १९५८-५९ में कितनी सड़कें बनवाई गई है और उनकी क्या हालत है और अभी तक कितनी कच्ची हैं ?

(श्री उम्मेदीलाल)

(२) क्या सरकार ओवरसिअर की रिपोर्ट के अनुसार वहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा रही है ? अगर हां, तो वहां कहां और इस वर्ष कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है ?

(३) अब तक उक्त सब-डिविजन में कितनी पुलियों का निर्माण कराया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) निम्न पथ निर्मित हुए:-

(अ) गंगापुर से ताजपुर (ब) हिन्डौन-बयाना की दशा सन्तोषप्रद है: कच्ची निम्नलिखित हैं :-

(अ) करौली-सरमथरा (ब) करौली-मासलपुर से सपोटरा-नारायनपुर टटवारा रोड (द) मंडरायल-मांगरोल (ई) करौली-मंडरायल (एफ) बैला देवी-करनपुर (जी) गंगापुर नादौतीगुढ़ा चन्द्रजी (एच) गंगापुर भाडोती (आई) गंगापुर-गावड़ी (जे) टोडाभीम मेंहदीपुर व बालाजी इत्यादि. । इनमें से समस्त कार्य सम्पादित हो रहे हैं और कुछ समाप्ति के निकट हैं ।

(२) योजनान्तर्गत निम्न सड़कें इस वर्ष आरम्भ हो गई है और होने को हैं ।

(१) महूआ हिन्डौन पर डामर (२) खेड़ा से महावीरजी डामर रोड (३) टोडाभीम से महदीपुर का बालाजी (४) सपोटरा से नारायन टटकारा (५) गंगापुर गावड़ी (६) नादौती से महावीरजी ।

(३) गंगापुर हिन्डौन रोड पर ग्राम से कबीरपुर के निकट दो पुलियों का निर्माण हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

ग्राम बगड़ी के खसरा नम्बर १६६७ में स्थित पक्की कोठी पर के नाजायज़ काबिज के विरुद्ध कार्यवाही

७१. प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या ग्राम बगड़ी, तहसील लालसोट में १६६७ खसरा नम्बर में एक पक्की कोठी स्थित है और वह कोठी सिवाय चक में है ?

(२) यदि हां, तो इस पर किसका कब्जा है ?

(३) यदि इस पर नाजायज़ कब्जा किया गया है, तो इस प्रकार के काबिज के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां ।

(२) मंगला, काना आदि मीनों का नाजायज कब्जा है ।

(३) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत बेदखली की कार्यवाही

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । कार्यवाही।पूरी कर ली गई है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह कोठी पहले किसकी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब से कब्जा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसका ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इस कोठी का।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सरकार की है । मंगला, काना आदि ने नाजायज़ कब्जा कर लिया था इसलिये सैक्शन ६१ में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब्जा किसने किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मंगला, काना आदि ने ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब से किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास तारीख नहीं है । सम्वत् १६१४ में कब्जा कर लिया था ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सरकार के ध्यान में यह कब आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के सामने यह सवाल आया तब से आया और स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में पहले आ गया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । ठाकुर श्री मदनसिंह ।

रींगस दांता सड़क निर्माण

७२. ठाकुर मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रींगस से दांता तक सड़क बनाने की योजना स्थगित कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों, तथा हर पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का प्रोविज़न रखने का क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि खाटू भी राजस्थान में नाथद्वारा की भांति मशहूर धार्मिक स्थान है और यहां यात्रियों की काफी भीड़ रहती है ?

(४) क्या खाटू की जनता इस सड़क के बनाने में तीस हज़ार का आर्थिक योग देने को तैयार है ?

(५) यदि हां, तो फिर भी यह सड़क क्यों नहीं बनाई जाती ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस मार्ग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई स्वीकृति नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी हां, धार्मिक स्थान अवश्य है ।

(श्री हरिशचन्द्र)

(४) इस कार्यालय में इस विषय में अभी तक कोई सूचना नहीं है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

ठाकुर मदनसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां की जनता खुद रुपया देने को तैयार है, तब सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सूचना नहीं मिली सरकार को।

ठाकुर मदनसिंह : तो मैं सूचना देता हूँ सरकार को कि वहां की जनता तीस हजार रुपया इस सड़क के लिये खर्च करने को तैयार है। चार मील का टुकड़ा है। सरकार को इसे बनाने में जल्दी करनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आठ मील का टुकड़ा है। तीस हज़ार में नहीं बनता।

ठाकुर मदनसिंह : क्या यह सड़क पंचवर्षीय योजना में नहीं है ? इसका नाम नहीं आया उसमें ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं, आया है।

ठाकुर मदनसिंह : है शायद। आप शायद नये विराजमान हैं।

(हंसी)

श्री अयध्क्ष : योजना तो पुरानी है।

(विराम)

नेक्स्ट।

छाहखेड़ी ग्राम के नाथू भील की काश्त की भूमि के खाते का रद्दोबदल।

७३. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी तहसील के अन्तर्गत छाहखेड़ी नामक ग्राम के नाथू नामक भील की काश्त की भूमि का खाता रद्दोबदल गफूर नामक व्यक्ति के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह खाता रद्दोबदल किसने, कब और क्यों किया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि खाता रद्दोबदल की सुनते ही श्री नाथू भील ने खाता रद्दोबदल नहीं करने को लिखित आवेदन पत्र, खाता रद्दोबदल करने वाली उक्त एजेन्सी को दिया था ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री गफूर धाकड़ और उसके कुनबे के अन्य सदस्यों ने श्री नाथू भील, उसकी पत्नी और अन्य कुनबे के सदस्यों की इसी भूमि पर जाकर काम करते हुओं के साथ मारपीट की थी ?

(घ) क्या यह खाता रद्दोबदल इस मारपीट की घटना के बाद कराया गया और ५००) रुपया का बिकाव खत भी लिखवा कर रजिस्ट्री कराई गई थी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। श्री नाथू भील द्वारा अपनी काश्त की भूमि ५००) रुपये में श्री गफूर धाकड़ नामक व्यक्ति को विक्रय कर रजिस्ट्री करा देने तथा इस सम्बन्ध का खाता रद्दोबदल करने का एक आवेदन पत्र श्री गफूर धाकड़ द्वारा ग्राम पंचायत सैमरथली

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा २४-८-१९५८ को श्री गफूर धाकड़ के नाम खाते की रद्दोबदल करने की कार्यवाही पटवारी व इन्सपेक्टर लैण्ड रेकॉर्ड की तस्दीक पर की गई।

(ख) जी हां। किन्तु उक्त आवेदन पत्र में श्री नाथू ने जो उज्र लिखा उसे ग्राम पंचायत ने अपने समाअत योग्य न समझ कर खाते की अदला बदली की कार्यवाही कर दी। यह अवश्य है कि उक्त निर्णय की सूचना ग्राम पंचायत ने श्री नाथू भील को नहीं दी और उसका उज्र खारिज करके फाइल कर दिया।

(ग) जी हां। दिनांक १३–४–१९५८ को ऐसी एक वारदात होने की रिपोर्ट श्रीमती गंगा, धर्मपत्नी जोधा मीणा के द्वारा की गई थी जिस पर बाद तफतीश चालान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ जो अभी विचाराधीन है।

(घ) मारपीट की घटना १३–४–१९५८ को हुई जिसके बाद विक्रयपत्र व विक्रय–पत्र की रजिस्ट्री १९-६-१९५८ को हुई और खाता रद्दोबदल करने का हुक्म तारीख २४–८–१९५८ को हुआ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खाते अन्य उच्च जातियों के लोगों के नाम रद्दोबदल करने की छूट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। अनुसूचित और जन जाति वालों के खाते उनके नाम ही हो सकते हैं। इसलिये टिनेन्सी एक्ट की धारा ४२ के अनुसार चूंकि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिये इस एक्ट के नियमों की तहत कार्यवाही करने का तहसीलदार को लिखा जा चुका है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह वाकया सही है कि यह रद्दोबदल मारपीट करके, मजबूर करके करवाया गया और पुलिस के सहयोग से करवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या इसकी जांच करने को तैयार हैं प्राप कि यह पुलिस के सहयोग से नहीं करवाया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की आवश्यकता नहीं है। नाथू भील ने खुद ने दरख्वास्त पेश की और रजिस्ट्री कराई। ५००) रु० बेनामे के थे जिनमें से ३००) रु० ही वसूल हुए, बाकी नहीं हुए। मतलब यह कि बेचान जरूर किया और रजिस्ट्री भी करवाई पर उसको पूरे रुपये नहीं मिले। तो पूरे नहीं मिले इसलिये रजिस्ट्री तो नाजायज़ नहीं हो सकती। रुपयों के लिये उसे सिविल कोर्ट में चाराजोई करनी चाहिये थी। इस पर पंचायत को निर्णय देने का अधिकार नहीं था।

अलबत्ता यह जरूर है कि एक अनुसूचित जाति की जमीन दूसरे सवर्ण जाति के लोग को नहीं दी जा सकती है इसलिये तहसीलदार को १७७ में कार्यवाही करके उसको बेदखल करने का आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(विराम)

श्री शिवचरणदास।

Page No.13

बनेड़ा के थानेदार के विरूद्ध रिश्वत की शिकायत

७४. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के बनेड़ा थाने के थानेदार, श्री मांगीलाल के विरुद्ध एस. पी के नाम से ढाई सौ रुपये रिश्वत लेने की शिकायत डी. आई. जी. के पास हुई है ? यदि हां, तो किस तारीख को और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) उक्त थानेदार के विरुद्ध इस प्रकार की कितनी शिकायतें सरकार के समक्ष आई हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां । इस प्रकार की शिकायत सर्व श्री रामस्वरूप गुप्ता एवं मुंशीलाल, मंत्री, भारतीय जनसंघ, भीलवाड़ा ने डी. आई. जी. रेन्ज, कोटा के समक्ष १८।१।५६ को भीलवाड़ा कैम्प पर दी थी । डी. वाई. एस. पी. शाहपुरा को इसकी जांच के लिये नियुक्त किया और जांच करने पर शिकायत आधारहीन पाई गई ।

(२) ऊपर लिखी गई शिकायत के अलावा और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह ।

जयपुर में फतह टीबा से मोतीडूंगरी जाने वाली सड़क की मरम्मत

७५. **रावराजा सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में मुस्लिम हाई स्कूल और ठाकुर रूपसिंहजी के बाग से होती हुई जो सड़क फतह टीबा और मोतीडूंगरी जाती है उसकी हालत खराब है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क पर बरसात में पानी भरा रहता है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस सड़क को जल्द ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) इसका लेवल ठीक नहीं है उसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

रावराजा सरदारसिंह : कब से प्रयत्न कर रहे हैं ? कर रहे हैं या करेंगे ? कर रहे हैं, यह तो बहुबचन है ।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): पहले भी रिपेयर किया था । पर आस–पास मकानों की प्लिन्थ नीची होने की वजह से वहां पानी भर जाता है । अब सड़क का लेवल मकानों की प्लिन्थ से ऊपर कर दिया जावेगा तो पानी मकानों में जावेगा और मकानों को नुकसान पहुँचेगा । इसलिये इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं ।

रावराजा सरदारसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि बरसात में पिछले दस बारह सालों से यह रास्ता ही बन्द हो जाता है तो इसको जल्दी से जल्दी क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता है ?

Page No.14

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर ऐसे ही करते हैं तो फिर आसपास के मकान वालों को अपने मकान डिसमेन्टल करने पड़ेंगे और अगर वे मकानों का लेवल ऊंचा करें तब जाकर कहीं पानी रोकने की कार्यवाही की जा सकती है; तो इन सब बातों पर सोचने, करने और कोई सोल्यूशन निकालने के लिये अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को लिखा है। जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री उम्मेदीलाल।

हिन्डौन में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति

७६. श्री उम्मेदीलाल [करौली-सु.-डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे :—

(१) हिन्डौन में डिग्री कॉलेज खोलने के बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

(२) क्या वहां की जनता द्वारा कॉलेज भवन का निर्माण भी पूरा हो चुका है ? अगर हां, तो अब तक कॉलेज के लिये स्वीकृति नहीं दिये जाने का क्या कारण है व कब तक स्वीकृति दिये जाने की आशा है ?

शिक्षा मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) सरकार का इस सम्बन्ध में अभी कोई इरादा नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि जनता ने यहां भवन बनाया था इस आशा में कि यहां पर कॉलेज खोल दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हायर सेकन्डरी और कॉलेज के लिये भी हो सकता है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो भवन के अतिरिक्त और क्या कमी है जिसकी बिना पर वहां कॉलेज नहीं खोला जा सकता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी हर जिले में कॉलेज नहीं है । सवाई माधोपुर जिले में भी आने वाले वर्षों में खोला जा सके, यह हमारे ध्यान में है; पर कहां पर खोला जाय, इसका निश्चय नहीं किया ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इसमें हिन्डौन भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं । जिले में एक ही जगह खोले जाने की बात है । अभी कह नहीं सकते, किस जगह पर ?

डॉ० चन्द्रकला : स्थान का विचार होगा तो क्या हिन्डौन को भी शामिल किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे जिले का सोचा जावेगा तो उसमें हिन्डौन भी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

भारत सरकार द्वारा प्रान्त की शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रदत्त वार्षिक सहायता ।

७७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

[(डीग) डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या भारत सरकार द्वारा राजस्थान की कुछ शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को वार्षिक सहायता दी जाती है ?

(२) यदि हां, तो किस किस को, और कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

(३) उक्त सहायता प्राप्त करने के क्या नियम हैं ? प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां । कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के हाई स्कूलों को बहुउद्देशीय माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के लिये सहायता दी जाती है । यह अतिरिक्त व्यय के ६० प्रतिशत दी जाती है ।

(२) सन् १६५८ व ५६ में निम्न संस्थाओं को सहायता दी गई :

(१) महेश बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला, जोधपुर ५३,४१०) रु०

२: एस. पी. आर. सहारिया बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला कालाडेरा ४३,२२५) रु०

३: गांधी विद्यालय, गुलाबपुरा १४,६६८) रु०

(४: श्री महावीर बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला, लाडनूं १४,२०१) रु०

५: श्री प्रताप बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला, जोधपुर २१,६०४) रु०

दूसरी सहायता १६५८ व ५६ में माउन्टरी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं को दी गई है । यह रकम वार्षिक न देकर एक साल के लिये दी गई है :

१: वनस्थली विद्यापीठ ३ लाख

२: गांधी विद्यामन्दिर सरदार शहर १६,८६४) रु०

३: लाइब्रेरी नाथद्वारा के डेवलपमेन्ट के लिये ६२,५००) रु०

५: गांधी सेवा सदन राजसमन्द, उदयपुर ३७,३५०) रु०

(३) सदन की मेज़ पर रख दी गई है । (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : जिन संस्थाओं को भारत सरकार से सहायता दी गई है उनमें कौनसी शिक्षण और कौनसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सब सिवाय नाथद्वारा वाली के शिक्षण संस्थाएं हैं।

शिक्षा मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): नाथद्वारा वाली के अन्दर भी साहित्य मंडल की संस्था का पार्ट है जिसमें और परीक्षाएं दिलवाई जाती हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजस्थान में इस तरह की दो संस्थाएं हैं जो कुछ तो शिक्षण संस्थाएं हैं और कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। कई संस्थाओं के नाम बताये गये हैं जिनमें आम तौर से शिक्षण संस्थाएं हैं और सांस्कृतिक संस्था के तौर पर तो सिर्फ ऐसा तो कहीं है नहीं।

डा० चन्द्रकला : वह प्रश्न भाग (ए) में लिखा है। तो शिक्षण और सांस्कृतिक संस्थाओं में फर्क है; ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है कि शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाएं कौनसी हैं। हमने उत्तर में यह नहीं कहा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) शिक्षा और संस्कृति का आपस में बहुत सम्बन्ध है। तो सांस्कृतिक संस्थाएं शिक्षण संस्थाओं से बाहर जाती हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) शिक्षण संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं क्या अलग अलग हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : साहित्य और संस्कृति एक साथ समझी जाती है। बल्कि संस्कृति साहित्य का ही एक हिस्सा समझी जाती है। ऐसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है। सांस्कृति से मतलब नृत्य, संगीत या जो सस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके अलावा शिक्षण संस्था के रूप में ही समझी जा सकती हैं। इस तरह से जो संस्थाएं हैं उनको सहायत दी गई है जिनमें शिक्षण के इम्तिहान वगैरह का भी प्रश्न आ जाता है और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम भी आ जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस स्थान पर बाकायदा शिक्षा दी जाती है उनको तो एड अलग दी जाती है और दूसरी संस्था ऐसी है जिनमें साहित्यिक प्रवृत्ति चलती है उनको दी जाती है, तो क्या जिन संस्थाओं में शिक्षण दिया जाता है उनको ही सहायता दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिक्षण सभी संस्थाओं में होता है।

प्रश्न संख्या ७८

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दौसा-लालसोट मार्ग पर बिजली की व्यवस्था

७९. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) दौसा-लालसोट मार्ग पर बिजली के खम्भे गड़े होने पर भी तार क्यों नहीं खींचे जा रहे हैं ?

(२) क्या यह सच है कि विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में यह आश्वासन दिया गया था कि ५ हजार किलोवाट के इन्जिन लगने पर बिजली १९५९ के अन्त तक लगा दी जावेगी ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त इन्जिन जयपुर में आ गया है और वह लगा भी दिया गया ?

Page No.17

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) यदि हां, तो फिर अब तक बिजली क्यों नहीं लगाई गई तथा अब कब तक तार खिंचकर वहां बिजली पहुंच जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) खाली तार खींचने में तार के चोरी चले जाने का डर है।

(२) किसी समय यह आशा की जाती थी कि १९५९ के अन्त तक ५००० किलोवाट का इन्जिन लग जावेगा और इस लाइन को चालू किया जा सकेगा। ५००० किलोवाट का सैट लगाने का काम चल रहा है और सम्भवतः इस वर्ष के अन्त तक वह चालू हो जावेगा।

(३) इन्जिन आ गया है, परन्तु यह गलत है कि वह लग गया है।

(४) इन्जिन के चालू हो जाने के बाद यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र इस लाइन को चालू किया जा सकेगा बशर्ते कि बिजली उपलब्ध हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन्जिन कहां पर रखा हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : लग रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां पर लग रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पॉवर हाउस में।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : फिर बिजली की लाइन क्यों नहीं खींची जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा न कि चोरी चले जाने का डर है।

श्री अध्यक्ष : बिजली के खम्भे से लगे हुये हैं।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपको मालूम है ; ४, ५ दफा जवाब अर्ज किया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चोरियों का डर जिस वक्त था उस समय पुलिस और यह डिपार्टमेंट एक ही जगह थे, फिर किस बात का डर था कि खम्भे चोरी चले जायेंगे।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों महकमें जब एक जगह थे उस समय तो डर नहीं था। अलग होने की वजह से शायद हो।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८०

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

रावराजा सरदारसिंह।

ग्राम पलसाना के विद्यार्थी नंदलाल की देवली में मृत्यु

८१. रावराजा सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पलसाना

Page No.18

(रावराजा सरदारसिंह)

शेखावाटी का एक विद्यार्थी नन्दलाल पुत्र देवीलाल कक्षा ६ में हायर सेकेन्डरी स्कूल, देवली, जिला टोंक में पढ़ता था ?

(२) अगर हां, तो वह ता० १७-१२-१६५६ को स्कूल देवली में मरा हुआ पाया गया ? अगर हां, तो मरने का कारण क्या साबित हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यार्थी दो तीन दिन से गैर हाज़िर था ? अगर हां, तो किस कारण से और वह किस मकान में रहता था ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) ता० १७-१२-१६५६ को विद्यालय के अहाते के पूर्व में स्थित क्वार्टर में रस्सी की फांसी से लटका हुआ पाया गया। मरने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है।

(३) जी हां अनुपस्थिति क करण ज्ञात नहीं है। वह अपने मामा के साथ स्कूल से मिले हुए एजेन्सी क्षेत्र में रहता था।

रावराजा सरदारसिंह : अभी तक कारण नहीं पाया गया है, तो इतने अर्से में कारण क्यों प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कारण मालूम करना पुलिस का काम है। पुलिस को इत्तिला दे दी एज्यूकेशन विभाग ने। शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है कि वह जांच करे।

रावराजा सरदारसिंह : क्या यह सत्य है कि वह विद्यार्थी था और जो वहां पर बोर्डिंग हाउस है वहां रहता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह अपने मामा के साथ रहता था एजेन्सी क्वार्टर में।

ठाकुर मदनसिंह (दाता रामगढ़) : आपने कहा कि आपके डिपार्टमेंट को कोई चिन्ता नहीं है कि कोई विद्यार्थी ऐसा करे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह नहीं कहा। आपने शायद सुना नहीं है। शिक्षा विभाग का काम नहीं है कि किसी व्यक्ति की मौत के बारे में कारणों की जानकारी करे। यह उसको अधिकार नहीं है कानून से। वह पुलिस ही कर सकती है। पुलिस को इत्तिला दे दी गई उसी वक्त। अभी तक कारणों का पता नहीं पड़ा।

रावराजा सरदारसिंह : क्या यह सच है कि वह विद्यार्थी ३, ४ रोज़ से गैर हाज़िर था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शिक्षा विभाग को क्या फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पुलिस ने अब तक उत्तर क्यों नहीं दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने फिक्र और उसी वक्त इत्तला दे दी, लेकिन पुलिस अभी तक कारणों का पता नहीं लगा सकी।

एक माननीय सदस्य : पुलिस को इत्तला कब दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसी वक्त।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : उसी वक्त से क्या मतलब है आपका ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ११ बजे हमें मालूम हुआ, उसी वक्त इत्तला दे दी गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

विलीनीकरण (Integration) के समय राजस्थान सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स की सीनियोरिटी का निश्चय.

८२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Chief Miuister be pleased to state:—

1. What formula was adopted for determining the seniority of the Rajasthan Secretariat Secreographers at the time of integration of the States?

2. What formula was applied for confirmation of the Stenographers transferred from various departments to the Secretariat ? Whether the departmental services have been counted for confirmation and seniority ? If not, why ?

3. What formula has been adopted for determining the inter-seniority of Ajmer Stenographers ? Has it not adversely affected seniority of the Rajasthan stenographers ?

4. What was the formula suggested by the State Advisory Committee for determining the inter-laced seniority of the Ajmer employees with the Rajasthan employees ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया):

1. The criteria for determining the seniority of the Rajasthan Secretariat stenographers at the time of integration of the States was the total length of service put in by an individual official.

2. According to the Integration Department order such of the stenographers of the Government Secretariat as had rendered 3 years' service and were working in the Secretariat on 1. 4. 56, were confirmed from 2. 6. 56 on the recommendation of the Selection Committee appointed by the Government. The services put in, in other Government departments by such officials were halved, under the rules, while determining seniority of the stenographers who had been transferred from other departments to the Secretariat.

3. The seniority of Ajmer Stenographers was determined on the formula of continuous length of service as stenographers in different grades either in Civil Secretariat, Ajmer or in other Government departments. The inter-se-seniority list of Ajmer Stenographers and the inter-se-seniority list ot the Rajasthan Stenographers are two separate things and as such the question of the Rajasthan Stenographers being adversely affected by the inter se seniority list of the Ajmer Stenographers does not arise. How-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ever, the Rajasthan Stenographers are likely to be affected adversely with the inter-laced seniority list now prepared according to the formula opproved by the Government of India.

4. The formula approved by the Government of India on the recommendation of the State Advisory Committee for determination of the inter-laced-seniority list of Ajmer and Rajasthan employees is as under:-

(i) First of all the unit seniority list of Rajasthan employees was taken Then it was re-arranged in order of length of continuous service in the same of equated cadre;

(ii) The unit list of Ajmer employees was also similarly prepared;

(iii) On the basis of these two lists, notional position of the Ajmer employees in the Rajasthan list was determined;

(iv) The list of Rajasthan employees was therefter restored to its original position, i. e. as it existed on 31. 10. 1956;

(v) Names of Ajmer employess were then interspersed in the original Rajasthan list, referred to in (iv) above according to the notional position at (iii) above,

(vi) If in any case the inter se seniority of an Ajmer employee has been disturbed by the above procedure his place in the inter laced list has been determined on an ad-hoc basis by assigning to him a place immediately below or above the person senior or junior to him, as the case may be, in the original Ajmer List.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why this particular difference has been made in case of Ajmer emyloyees, you mentioned in the list.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्य कहा आपने, मैं समझा नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी जब बन जाती है उसके पहले इन्टरसी-लिस्ट में नेशनल पोजीशन डिफरेन्ट पड़ती है, उसी पोजीशन में रख दिया है; फिर यह डिफरेन्सियेशन क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन्टीग्रेशन का जो प्रिन्सीपल डिसाइड किया गया है वह एडवाइज़री कमेटी ने जो रिकमन्डेशन की और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने फैसला दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के उस बेसिस पर यह तय किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने यह बेसिस तय किया है कि टोटल लेन्थ इक्वेटेड केडर में या उसी सर्विस की टोटल लेन्थ के बिना पर रखी जाय। फिर यह डिफरेन्शियेट राजस्थान के लिये क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डिसीज़न के आधार पर है, उसके विपरीत नहीं है।

Page No.21

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अजमेर के एम्प्लॉईज ने किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस की है उनकी डिफ़रेन्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज़ को बेसिस मानकर उनकी सीनियोरिटी डिसाइड की गई, लेकिन राजस्थान में केवल काम कर रहे हैं और जिस डेट से कन्फर्म हुए हैं उस डेट से सीनियोरिटी मानी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीनियोरिटी जो राजस्थान वालों की तय की गई है उनके अन्दर में एक तो १-६-१६५२ को कन्फर्मेशन की लिस्ट बनी थी, और एक १६५६ के अन्दर बनी थी। उसके बनने के बाद में जिस वक्त में सीनियोरिटी के बारे में डिसाइड किया गया तो १६५६ में सीनियोरिटी लिस्ट बन गई। जैसा कि इसमें बतलाया गया था कि सेक्रेटेरियेट में १ साल की सर्विस को पूरा माना और दूसरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने वर्क किया है वहां की सर्विस को आधे साल की सर्विस मानी गई है। अजमेर के एम्प्लॉइज़ के बारे में यह सही है कि चाहे उन्होंने सेक्रेटेरियेट में काम किया हो या दूसरे डिपार्टमेंट में। उनके यहां डिफरेन्स नहीं था, इसलिए उसको एक साल मानकर चला गया। उसके बाद जब इन्टरलेस्ड की लिस्ट बनी तो दोनों जगह के एम्प्लांइज़ के बारे में एक लिस्ट तैयार की गई, उसके मुताबिक नेशनल पोज़ीशन डिसाइड की गई; फिर अल्टीमेटली सीनियोरिटी डिसाइड की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी भी, जिस डेट से कन्फर्म हुए हैं उस डेट से, सीनियोरिटी क्यों नहीं डिसाइड की गई ? आर. ए. एस. ऑफिसर्स का सिलेक्शन तो बाद में हुआ लेकिन कन्फर्मेशन रिट्रोस्पेक्टिव से हुआ, तो स्टेनोग्राफर्स का कन्फर्मेशन भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आप का मतलब समझ नहीं पाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेनोग्राफर्स का सिलेक्शन ग्रेड के लिये एग्ज़ामिनेशन ५२ या ५४ में हुआ, लेकिन क्वालिफाइड हो जाने के बाद उनको १–४–५० से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कन्फर्म करके सीनियोरिटी उनकी उस तारीख से क्यों नहीं मानी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १६५६ में सीनियोरिटी डिसाइड हो चुकी थी, इसलिये इन्टीग्रेशन के समय उस सीनियोरिटी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। अजमेर का इन्टीग्रेशन होने के बाद राजस्थान वालों की सीनियोरिटी फिर से डिटर्मिन की जाय, यह इसमें नहीं आ सकता।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Was the confirmation held in 1956 in anticipation of the merger of Ajmer with Rajasthan ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

तहसील हिन्डौन में अलग जेल भवन निर्माण

८३. **श्री उम्मेदीलाल** ['करौली मु० डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(डॉ चन्द्रकला)

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील हिन्डौन में थाने में ही जेल है ?

(२) क्या सरकार अब वहां अलग जेल भवन बनवाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां । एक ही बिल्डिंग में बाहर के हिस्से में थाना है व अन्दर के हिस्से में सब जेल है ।

(२) जी नहीं । नये जेल भवन बनवाने का इरादा नहीं है क्योंकि जिस मौजूदा बिल्डिंग में अब जेल स्थित है वह ठीक है और पुलिस का थाना जो इस बिल्डिंग में अब मौजूद है उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है, जो विचाराधीन है ।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक ये अलग हो जायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो प्रपोज़ल आया ही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट , श्री शिवचरणदास ।

अजमेर पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते का स्केल

८४. **श्री शिवचरणदास** (मान्डल) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) अजमेर पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन और मंहगाई भत्ता किस स्केल पर है ?

(२) क्या यह सही है कि स्केल दो प्रकार के हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या तो अजमेर की वेतन श्रृंखला में या राजस्थान की वेतन श्रृंखला में, जैसा कि नियमानुसार उन्होंने स्वीकार किया है, अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं । इनकी वेतन श्रृंखलायें एवं मंहगाई को नं० २ के उत्तर में अंकित कर दिया है ।

(२) जी हां । राजस्थान और अजमेर की वेतन श्रृंखलायें निम्नलिखित हैं:—

पद.	राजस्थान वेतन श्रृंखला	मंहगाई भत्ता वेतन सहित	अजमेर वेतन श्रृंखला	मंहगाई भत्ता वेतन सहित
१. दफ्तरी	३०-१-५५	४० से कम वेतन पर २५ रु०	३५-१-५०	४०रु.
२. अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण	२५-१.४०	४०रु. या उससे अधिक पर ३० रु.	३०-½-३५	४०रु

श्री शिवचरणदास : यह अन्तर क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अजमेर में तनख्वाहें पहले ही से अच्छी थीं ।

श्री शिवचरणदास : क्या यहां भी बराबर करने का सोच रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामधन पटेल ।

दौसा सब डिविजन में पटवारियों के रहने हेतु क्वार्टर्स की व्यवस्था

८५. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) दौसा सब-डिविजन में तहसीलवाइज़ कित ने पटवारी और सकल इन्स्पेक्टर्स हैं ?

(ख) पटवारियों के रहने के लिये हल्के में क्या व्यवस्था है और कहां २ क्वार्टर बने हुए हैं ? अगर क्वार्टर नहीं हैं, तो क्या उनके रहने के लिये क्वार्टर्स बनाये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) दौसा सब-डिविजन में तहसीलवाइज़ निम्न संख्या पटवारियों और सर्किल इन्स्पेक्टरों की है :

तहसील	पटवारी	सर्किल इन्स्पेक्टर
दौसा	५३	३
बसुवा	३४	३
लालसोट	४३	३
सिकराय	३३	२
	१६३	११

(ख) पटवारियों के रहने के लिये जहां सरकारी क्वार्टर्स नहीं हैं वहां उनको नियमानुसार मकान का किराया दिया जाता है । क्वार्टर्स निम्न स्थानों पर बने हुए हैं :-

तहसील	जहां क्वार्टर्स
दौसा —	सैंपल
,,	कनोता
,,	लवासा
,,	लाहडीका बास
बसुवा—	गुढ़ा कटला, बांदीकुई, बिवाई, बावड़ी खेड़ा ।
लालसोट,	डडवाणा, लालसोट, मंडावरी ।
सिकराय	दुब्बी, सिकन्दरा, रानोली, कालवाना, गन्डरावा मानसुरा ।

श्री रामधन : बाकी क्वार्टर्स कब बन जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धीरे २ हर साल बन रहे हैं । एक फेज्ड प्रोग्राम है उसके अनुसार बनाये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

भीलवाड़ा के एस० पी० के विरुद्ध हुई बलात्कार की शिकायत

८६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम मीनपुरा, तहसील जहाजपुर, थाना शंकरगढ़ की कुछ

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह)

गूजर युवतियों के साथ भीलवाड़ा के एस० पी० के द्वारा बलात्कार किये जाने की शिकायत युवतियों के वारिसान ने ८ जून को मुख्य मंत्री को जहाजपुर में पेश की ? यदि हां, तो कृपया उस शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उसने इस संबंध में कब-२, क्या कार्यवाही की ? उसका पूरा विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(ग) क्या इस बात की भी जांच की गई कि यह शिकायत किसके द्वारा, किसके दस्तख्तों से पेश की गई ?

गृह मंत्री : (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका उतर २७ फरवरी को दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अगर उत्तर दिया जा चुका है तो एडमिट कैसे हुआ और जब एडमिट हुआ है तो उसका उत्तर देना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : यही सवाल परसों श्री शिवचरणदासजी ने पूछा था, जिसका उत्तर दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न मैंने पूछा था, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : I will look into this and decide. मैं जांच करूंगा कि इसका उत्तर मिला या नहीं। आज मंत्रीजी के पास उत्तर नहीं है। मैं देखूंगा कि उत्तर आया है या नहीं। अदि नहीं आया है तो आगे रखा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : लिखित में क्या आया है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से आपत्ति आई वह लेट आई और प्रश्न पहले ही छाप दिया गया था।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : मेरी तरफ से तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। गलत फरमा रहे हैं मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा था, आप चाहें तो पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस सब्जेक्ट पर ही है लेकिन कुछ भिन्न है।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

जैतारण में जनता द्वारा निर्मित हायर सैन्कडरी स्कूल के हाल को पूर्ण करवाने हेतु सरकारी सहायता

८७. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जैतारण, जिला पाली में जनता के चन्दे से हायर सैन्कडरी स्कूल का भवन बनाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसमें जनता द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

Page No.25

(श्री शंकरलाल)

(ग) क्या यह सही है कि इस भवन का हाल अभी तक नहीं बन पाया है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस भवन में सरकारी सहायता नहीं दी गई ?

(ङ) यह हाल बनने का कार्य कब से अधूरा पड़ा है और उसके लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है ?

(च) क्या सरकार द्वारा इस हाल को बनाने के लिए सहायता प्रदान की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (क) जी हां ।

(ख) लगभग १६,००० रु० खर्च हुए ।

(ग) जी हां, हाल अभी तक नहीं बन पाया है ।

(घ) जी नहीं । गत वर्ष १०,००० रु० दो कमरों के निर्माण के लिये दिये हैं ।

(ङ) जुलाई सन् १६५६ से नये भवन का काम भवन निर्माण विभाग ने लिया है, तब ही से अधूरा है । इसके लिए लगभग ६००० रु० और लगाने का अनुमान है ।

(च) इस शाला की छात्र संख्या को देखते हुए कमरों के निर्माण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट , श्री जयचन्द्र मोहिल ।

उदयपुर डिविज़न में हुई डाकेजनी, चोरी व हत्याओं के अपराध

८८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन हु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उदयपुर डिविजन में सन् १६५६-५७ और १६५७-५८ में कुल कितने डाकेजनी, चोरी व हत्याओं के अपराध हुए ? अलग अलग दोनों सनों की संख्या बताई जावे ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उदयपुर डिविजन में सन् १६५६—५७ और ५८ में हुई डाकेजनी, चोरी और हत्याएं निम्न प्रकार हैं:—

अपराध	सन्	संख्या
डाकेजनी	१६५६	१०
	१६५७	६
	१६५८	६
चोरी	१६५६	२०१०
	१६५७	१८४५
	१६५८	१६८१
हत्याएं	१६५६	६७
	१६५७	१०२
	१६५८	७६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० बहादुरसिंह ।

श्री रामचन्द्र गुप्त, भूतपूर्व हेड क्लर्क, कॉमर्स कॉलेज, जयपुर, के पेन्शन ग्रेच्युटी का केस

८६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

Page No.26

(डॉ० बहादुरसिंह)

(१) क्या यह सच है कि श्री रामचन्द्र गुप्त भूतपूर्व हेड क्लर्क, कॉमर्स कॉलेज, जयपुर का पेन्शन–ग्रेच्युटी सर्टिफिकेट अका-उन्टेन्ट जनरल द्वारा दिनांक १५-७-१६५८ को कॉलेज जयपुर को भेज दिया गया था ?

(२) अगर हां, तो क्या श्री गुप्ता को कॉलेज़ द्वारा पेन्शन ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है ?

(३) अगर नहीं, तो कारण क्या है व अब श्री गुप्ता को पेन्शन कब तक मिल जावेगी ?

(४) क्या सरकार विलम्ब के सम्बन्ध में जांच करवाकर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी जो कि बिना कारण ही पेन्शनर्स के लिये कठिनाइयां पैदा करते हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पेन्शन व ग्रेच्युटी प्रिन्सिपल द्वारा स्वीकार करने पर महालेखापाल ने पेन्शन पत्रादि को अपूर्ण होने की दशा में कॉलेज को लौटा दिया। पूर्ति के लिए श्री गुप्ता को प्रिन्सिपल द्वारा बुलाया गया है। पूर्ति होने पर पत्रादि महालेखापाल के पास भेजे जायेंगे तब वह स्थायी पेन्शन के भुगतान की आज्ञा जारी करेगा। फिर भी उसने दिनांक ५.८.५६ को प्रावधानिक पेन्शन की स्वीकृति दे दी है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता। विलम्ब केवल श्री गुप्ता की ओर से हो रहा है। यदि वह पत्रादि की पूर्ति करके महालेखापाल के आक्षेपों की पूर्ति कर दे तो पेन्शन पत्रादि उचित कार्यवाही हेतु उसके यहां पेश किये जावें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ६०; श्री रामकरणसिंह।

हार्ड ड्युटी अलाउन्स

६० श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) हार्ड ड्यूटी अलाउन्स किस २ विभाग के कर्मचारियों को किस २ स्थान के लिए दिया जाता है ?

(ख) क्या जिन स्थानों पर अन्य विभाग वालों को यह अलाउन्स दिया जाता है वहां अध्यापकों को भी दिया जाता है या नहीं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी इस प्रश्न में पूछी गई हैं, वह कई डिपार्टमेंट्स से पूछकर ही दी जा सकती है, इसमें विलम्ब लगेगा। इसे अगली टर्न के लिए रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : पॉलिसी के तौर पर जहां मिलता हैं, वहां टीचर्स को भी देने का विचार है नीति के रूप में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के लिए जनरल तरीके से पूछा है। जिन एरियाओं से इसका सम्बन्ध है; जैसे प्रोजेक्ट एरिया, राजस्थान कैनाल में देते हैं, वहां पर भी टीचर्स हो सकते हैं

Page No.27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेकिन उनको नहीं दे सकते हैं। यह नेचर ऑफ ड्यूटी पर डिपेन्ड करता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के रूल्स डिपार्टमेंट बनाते हैं या गर्वनमेंट बनाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट को बनाने चाहिये। लेकिन पूछा है, कहां कहां और कैसे मिल रहा है। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट एरिया में जरूर है, लेकिन उसके अलावा और जगह भी हो सकता है, वह मैं जानकारी के बिना नहीं कह सकता।

श्री पी० के० चौधरी : रूल्स क्या हैं, किन कन्डीशन्श पर देते हैं, under what circumstances you give it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस वक्त मैं उत्तर दूंगा, उस वक्त जानकारी दे दूंगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : टीचर्स होंगे तो उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिल्कुल आवश्यक नहीं है। चम्बल प्रोजेक्ट का पानी कई जगह जायेगा, उसकी वजह से इन्जीनियर्स वगैरह को हार्ड ड्यूटी करनी पड़ सकती है, टीचर्स की ड्यूटी जैसी और जगह हैं, वैसी हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

पुलिस थाना रायपुर में दर्ज सोना व मिरचों की चोरी की रिपोर्ट में कार्यवाही

६१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बालूराम सुनार वल्द चुन्नीलाल सुनार गिररी निवासी ने दिनांक २०. २. १६५६ को पुलिस थाना, रायपुर, जिला पाली, में २१ तोला सोना व एक बोरी मिरचों की चोरी, दिनांक १६. २. १६५६ होने बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई ?

(ख) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई और क्या नतीजा रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां।

(२) प्रकरण अंकित किया गया और अनुसन्धान करने पर असत्य पाया गया।

प्रश्न संख्या ६२

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३

श्री जयचन्द्र मोहिल

गांधी शिक्षा सदन, अजमेर

६३. **श्री जयचन्द्र मोहिल**, (कपासिन-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सांसी कॉलोनी, अजमेर के लिये कितनी भूमि श्री मूलशंकर झा, संचालक, गांधी शिक्षा सदन, अजमेर को दी गई ? यह जमीन श्री झा को व्यक्तिगत रूप से दी गई या उक्त संस्था को ?

(श्री जयचन्द मोहिल)

(ख) यह जमीन किस तारीख, सन् को पट्टे के रूप में, कितने सांसी परिवारों के लिये दी गई थी ?

(ग) गांधी शिक्षा सदन, अजमेर किस सन्, तारीख को रजिस्टर हुआ ? इसकी कार्य समिति है, या नहीं ? यदि है, तो कौन २ पदाधिकारी और सदस्य हैं व कार्य समिति कितनों की है ? कार्य समिति का चुनाव कब हुआ ?

(घ) यह संस्था शिक्षा संबंधी कार्य करती है या जरायम पेशे कौमों के विकास का ?

(ङ.) क्या श्री झा राज्य अधिकारी या कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो किस विभाग में, किस पद पर व इनकी नियुक्ति कब हुई थी ?

(च) क्या इस संस्था को राजकीय सहायता भी दी जाती है ? यदि हां, तो किस २ सन् में, कितनी २, किस २ कार्य के निमित्त दी गई ?

(छ) क्या सांसियों को बसाने के लिए सरकार ने जमीन ही का पट्टा किया या उनके पुनर्वास हेतु कुछ धन भी इनको दिया ? यदि दिया, तो कितना और उसका सम्पूर्ण उपयोग कर दिया गया या नहीं ?

(ज) क्या यह सांसी कॉलोनी सम्पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अगले टर्न पर उत्तर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : Next week.
Nest, Shri Ram Karan Singh

जयपुर शहर को 'बी' श्रेणी का शहर घोषित करवाना

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे :

(क) 'ए.' 'बी'. और 'सी' श्रेणी के शहरों को कितनी कितनी आबादी के आधार से मानते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर की आबादी 'बी' श्रेणी के शहरों से भी अधिक है ?

(ग) यदि हां, तो इतनी आबादी होने पर भी इसे 'बी' श्रेणी का शहर क्यों नहीं घोषित किया तथा अब कब तक ऐसा हो जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) राज्य सरकार शहरों को ए-बी-सी श्रेणी में विभाजित नहीं करती। शहरों का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट थाने के तहत दो पुलिस चौकियां स्थापित करवाना

६५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लाल-

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

सोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) थाना लालसोट में इस दो साल के अर्से में कितनी चोरियां हुईं और उनमें से कितनी चोरियां बरामद की गईं तथा कितने चोरी के अपराधी पकड़े गये ?

(ख) चोरी के कितने केसेज़ पुलिस लालसोट ने चालान किये ?

(ग) क्या कस्बा लालसोट में १० जनवरी १९६० की रात्रि को बाजार की ७ दुकानों के ताले टूटे और इनकी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, यदि नहीं ; तो क्यों ?

(घ) सूरतपुरा की डकैती की रिपोर्ट कितने दिन बाद दर्ज हुई ?

(ङ) गत चार मास में ऐसे कितने केसेज़ हैं, जिन्हें दर्ज़ करने में थानेदार ने आनाकानी की और दर्ज करने के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं की ?

(च) उच्च पुलिस अधिकारियों ने थाना लालसोट का गत वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया और उसका क्या नतीजा रहा ?

(छ) क्या सरकार लालसोट थाने के तहत दो पुलिस चौकियां कायम करना उचित समझती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) थाना लालसोट में १९५८ व १९५९ में कुल सभी प्रकार की चोरियां के ८० सच्चे मुकदमें दर्ज़ हुए। इनमें से ७ मुकदमें बरामद हुए और ८ अपराधी पकड़े गए।

(ख) ७ मुकदमों में चालान हुआ।

(ग) पुलिस में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मुकदमों के दर्ज होने का सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) ग्राम सूरतपुरा में कोई डकैती नहीं हुई, अतः इसके अंकित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(ङ) थाने में सूचित सभी प्रकरण अंकित किये गये हैं और उन सभी में आवश्यक कार्यवाही की गई है। हां, एक साधारण चोरी के प्रकरण की भारतीय दंड विधान संग्रह की धारा १५६ 'ब' के अन्तर्गत जांच नहीं हो सकी।

(च) १९५९ में केवल ए. एस. पी. दौसा ने ५ आकस्मिक निरीक्षण किये और उनके निरीक्षण टिप्पणियों पर आवश्यक कार्यवाही की रही है।

(छ) इस पर विचार किया जायगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आपने बताया कि सूरतपुरा में डकैती नहीं हुई । के २०० रुपये छीन लिये, वह पटवारी की बही में दर्ज है, उसकी रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह टेक्निकल बात है। उसकी धोती ले गये तो वह डकैती में नहीं आता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट में बहुत सी चोरियां हुई हैं, वे दर्ज नहीं हुईं ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर से पूछिये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वहां जो थाने-

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

दार है, वह भरतपुर का रहने वाला है, वहां उसने कई चोरियां कराई; तब उसका ट्रान्सफर कराया लालसोट में, वहां भी बहुत सी चोरियां कराई हैं, भरतपुर से लोगों को लाकर। उस थानेदार को वहां से हटाया जाकर जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : थानेदार चोरी नहीं कराता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे मालूम नहीं है कि कहां का रहने वाला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह।

श्री जगदीशप्रसाद शर्मा जोधपुरा (कोटपुतली) के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में जांच

६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एन्टी करप्शन विभाग में खनिज विभाग से सम्बन्धित कितनी रिपोर्टें आज तक पेश हुई ?

(ख) उन रिपोर्ट में किस किसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किये गये ?

(ग) क्या जगदीशप्रसाद शर्मा जोधपुर, तहसील कोटपुतली, के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में खनिज विभाग सम्बन्धी ११ परिवाद प्राप्त हुये।

(ख) उन परिवादों पर निम्नांकित तीन के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किये गये :

१. श्री टी० जी० जॉर्ज, माईनिंग इंजीनियर।

१. श्री जेठमल व्यास, निम्न श्रेणी लिपिक तथा हीरालाल गार्ड, खनिज विभाग, जोधपुर।

३. श्री ओंकारलाल जोशी, माईनिंग इंजीनियर, जयपुर

(ग) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में श्री जगदीशप्रसाद शर्मा जोधपुरा के विरुद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ था। जांच के बाद प्रतिवेदन खनिज विभाग अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

श्री रामकरणसिंह : जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंट में भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान प्रदर्शिनी, १६५६, में सड़क निर्माण का ठेका

६७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Public Relations Minister be pleased to state :—

1. Is it correct that the contract for road construction in Rajasthan Exhibition, 1959 was given to one Shri Laxmi Narayan Goel ? If so, what were the terms and conditions of the contract ?

Page No.31

(श्री पी० के० चौधरी)

2. Is it also correct that Shri Goel only used ½ inch gravel on the road instead of 2½ inches stipulated in the contract ?

3. Is it also correct that the contract for laying brick boundaries was @ Rs. 25/- per hundred feet with the condition that three bricks will be laid per 9" whereas the contractor has used only one brick for every nine inch ? If so, what action has been taken against the contractor ?

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes. A copy of the terms and conditions of the contract given to Shri Laxmi Narain Goel is placed on the table of the House.

2. No.

3. No.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : आपने दो के जवाब में कहा, इसका मतलब यह है कि उन्होंने आधे इंच के बजाय ढाई इंच का ग्रेवलिंग किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के माफिक किया था, ढाई इंच का देने का नहीं था, आधे इंच का देना था।

श्री पी० के० चौधरी : यह जवाब में कहा है एक इंच, आधे इंच का या, एक इंच का नहीं किया, यह इन्क्वायरी करके कह रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें लिखा है, आधी इंच कराया, उसके १५ दिन के बाद दूसरी बार आधा इंच कराया।

श्री पी० के० चौधरी : इन्क्वायरी कराई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंट से पूछा था, उन्होंने बताया वह मैंने बताया है।

श्री पी० के० चौधरी : इस सम्बन्ध में शिकायत हुई थी कि हाफ इंच का ग्रेवलिंग हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने दी थी, वही तो नहीं है ?

श्री पी० के० चौधरी : उसके ऊपर इन्क्वायरी की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर।

श्री पी० के० चौधरी : किसके द्वारा कराई इन्क्वायरी ?

श्री रामकिशोर व्यास : होम सेक्रेटरी को लिखा था।

श्री पी० के० चौधरी : पब्लिक रिलेशन के द्वारा कराया....

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो दिया था, उस पर होम सेक्रेटरी को लिखा कि इन्क्वायरी कराई जाय।

श्री पी० के० चौधरी : पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने इन्क्वायरी करके बता दिया क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी इन्क्वायरी की फाइन्डिंग आई नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह।

आजन्म कारावास के कैदियों से निर्माण कार्य करवाना

९८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आजन्म कारावास के कैदियों से सरकार निर्माण कार्य लेने को तैयार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनसे सड़कों व पुलियों पर जहां डिपार्टमेंटल कार्य होता है, काम लेने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) व (ख) जेल नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जेल के नियम कौन बनाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट बनाती है।

डॉ० चन्द्रकला : नियमों में संशोधन करके नहीं कर सकते क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें कई दिक्कतें हैं। अगर कैदियों को बाहर भेजते हैं तो गार्ड भी भेजना जरूरी होता है। वैसे सड़क आदि कुटवाना अच्छा नहीं लगता है।

डॉ० चन्द्रकला : हमारे गांव में खुले कैदी रहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सतयुग की बात है, यह कलियुग की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. ६. म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वादविवाद

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Mr. Speaker, Sir................

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं इस पर ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I have yet to finish my speech.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह जी अपना भाषण समाप्त कर लें, उसके बाद आप बोलें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Right.

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir, while supporting the motion of...

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : : कल तो आप हिन्दी में बोले थे।

श्री श्रीमानसिंह : आप चुप रहें ना । While supporting the motion of Thanks I was saying that this House should be gratified on the change in the Governor's address. Last year's address emphasized the law and order position in the State from which, of course, it appears that the State in the year of 1959 still continues to be a Police State. But this year the emphasis is on the reforms and thus it is a change for the better. Moreover the House should commend the work of Government regarding land reforms. The Government has abolished the intermediaries. It has also passed but not yet implemented the Ceiling law and the land problem in the State appears to be near solution and if this problem is solved I can assure this House that Rajasthan will be set on the road of progress and plenty. I would like also to assure this House that if Government succeeds in restoring and firmly entrenching equality in our rural areas, then we can look forward with hope to the success of democratic decentralisation, because institutional changes of whatever nature do not affect or transform the rural scene. It is only a change in the agraran structure, in restoring equality in rural environments, that democracy can be strengthened; only then our reforms can succeed.

As regards land reforms, our Government is the first to complete them. It is also a matter of credit to the Government that it is the first to introduce democratic decentralisation. However, while congratulating the Government for implementing the scheme of democratic decentralisation I will not be so optimistic as the Governor was in his address, to congratulate the Government prematurely on its success. We have made a beginning, a beginning in the right direction, but whether it succeeds or fails, it is yet premature to come to any conclusion. However, there is nothing basically wrong with the scheme. The grounds, conditions and situation have been created for the success of democratic decentralisation. But I would like to take the opportunity here of warning this House and also requesting the Hon'ble Members that these institutions are new and they depend for their success on the attitude of the political parties and politicians, also much depends upon the official attitude. I will recall to this House a newsletter in Hindustan Times in which some Kisan leaders of Rajasthan, or I may say so-called or self assumed kisans of Rajasthan, raised a communal slogan. If this is the attitude of politicians and the leaders to raise communal slogans during the formation period of these Panchayat Samitis, then I am afraid we have seen their death bed, we have nipped them in the bud. If the functioning of these institutions is to be marred by the considerations of caste, creed and wealth, then these

(श्री श्रीमानसिंह)

institutions will not prosper. The Governor has said that these institutions have curbed fractionalism, groupism and casteism in the rural areas. I humbly beg to differ from that statement. It is not a realistic statement. To me, till this day, Panchayat Samitis and zila Parishads are still the institutions where caste, creed, community and wealth feelings are reflected. I am not a critic, but we must face the facts. Zila Parishads and Panchayat Samitis reflect caste and community. They don't reflect indivi. duals and leaders whose achievements are based on service and sacrifice. So the beginning is dangerous. Our Panchayat Samitis have fallen today in the grip of narrow and parochial tendencies, they are in the grip of vested interests. How far the Government succeeds in removing them, it is upto the steps of equlaity that the Government will take, that the officials will change their attitude and bring up these institutions in the rural areas. The coming up of these institutions should be based on service, not on status or wealth. These are drawbacks of democracy, these are the drawbacks from which we have steered this frailb ark of democracy amidst the stormy seas of casteism, narrow and parochial outlook and communalism; and much depends on the political parties and the politicians and the Government and the Minister-in-charge of the portfolio.

There is a welcome announcement in the address that good Panchayat Samitis will be rewarded. It is of course a good declaration. But though you may say that I look to the darker side of the picture, I would like to ask, "Who will be the people who will objectively evaluate the work of these Panchayat Samitis ?" The people must be those who are free from pulls and pressures. There will be pulls and pressures that those Panchayat Samitis may be rewarded in whom the politicians may have interest. If these people fall a prey to these pulls and pressures, then the rewards will go to those who have the greatest pull and not to those who have worked efficiently. It is very essential that these rewarding committees must include those persons who are above these things and who can objectively evaluate the work and reward those Panchayat Samitis which really deserve the reward.

The Government has made a declaration that the Panchayat Samitis will be associated with planning. Hence onwards, planning will be from down to upwards. Uptil today the planning was from top to bottom. However, I don't know how the Panchayat Samitis will plan. Probably all the Panchayat Samitis are ignorant of their resources as to what amount, what resources the Government will place at their disposal. They probably even don't know their own resources, the local resources that they will be able to raise in order to implement the plans that they may formulate. If

Page No.35

(श्री श्रीमानसिंह)

Panchayat Samitis formulate ambitious plans and the Government is unable to execute them, there will be disappintment and frustration. Therefore, my suggestion is that the Government must first tell each Panchayat Samiti that these are the resources which the Government will place at their disposal and this amount they have to raise locally, and keeping these resources in view, the Panchayat Samitis should formulate their plans. Then it will be much better. But to ask them to formnlate plans without the knowledge of resources is, you will excuse me, placing the cart before the horse.

With all these good things in the address the address promises a bright furture, but I am afraid the address has made very singular omissions. First omission is regarding the Cabinet expansion. I thank the Hon'ble leader for having expanded his Cabinet at last and having relieved cartain Minister who was oyer-burdened and who could not devote time to all portfolios with the result that there was inefficiency and corruption and severe criticism in the House. I do hope that being relieved now, he will be ahle to devote more time to those few portfolios that remain with him and introduce efficiency, high standard of administration in the work entrusted to him. This was an opportunity which the leader should have utilised in distributing the portfolios scientifically. To me it does not appear that the portfolios have been distributed scientifically. Probably nowhere the communications go with power. Communications always go with Transport, but we have one hon'ble Minister for Communications and power. We have also one hon'ble Minister for Industries and Social welfare. There is thus no rational justification for classification of these portfolios. It is a rational distribution to have Agriculture, Animal Husbandry and Co-operatives together. But on the other hand we have Communications and power. And then we have the Home Minister having Transport also. on the other side there is Finance plus Panchayats.

Coming to another omission in the address, it is that it has not said anything about the past achievements of the Government. The address is absolutely silent as to what the Government has achieved in the past through its Plan programmes. The address does not take stock of the past and since it does not take stock of past, I am afraid the address is not realistic. It sounds a note of complacency, while it does not show the employment potential that was created during the three years of the Plan. And I should say rightly so. The silence of the address should be credited because I say that the address was complacent. It does not show past achievement and it could not have shown what past achievements were there. The Plan in Rajasthan has failed. It is an extreme statement

(श्री श्रीमानसिंह)

probably and the Hon'ble Members must havebeen taken unawares. But I will show how the Plan, in Rajasthan, has failed. If I take the Hon'ble Members to the First Five Year Plan, the basis of our Plan was Agriculture and out of an in vestment of Rs. 60 Crores, if I am not mistaken, 20% was allotted for Agriculture. In the II Plan probably 16%or 17% was allotted to Agricultnre. But ourAgriculture Minister hascontributed his lot to the failure of the Planin Rajasthan and today Rajasthan presents a picture of falling agricultural production with increasing expenditure. And with decreasing agricultural production all your efforts for industrialisation will fail. On the other hand is the problem of growing numbers of people. There is of course a slight increase in the agricultural production, but it is not because of any efforts by the Government, but because the people have been driven to bring fresh lands under plough. If we take 1953-54 as base of our agricultural production it was about 34 lakh tons and in the year 1958-59, it is 35 lakh tons, after an expenditure of 20 percent of the Plan. Where is your irrigation? Where is yow improved seeds and where is your improved technological knowledge ? Where have all these gone ? What are their fruits ? The fruits are a fall in agricultural production. This is the picture which agriculture presents to us.

If we take industrial sector, there is fall in production of sugar-cane, there is fall in textile production. These are our achievements in the industrial sector. There has been a rise in cement production, but by and large the industries have not improved. Since 1953 till 1959 and 60, there is fall in production. What is the position of your power supply ? Rajasthan continues to starve in power. We are not prepared to take power from Bhakra and we are sleeping without any botheration. We are not prepared to take power from Chambal. Then why, for Heaven's sake, talk of Rana Pratap Sagar Dam ? Take power from the Dams which are ready and supply it to industries, othewise your newly created industrial estates will be estates without industries.

On the other hand, the prices have gone from 100 to 120, a rise of 20 percent. Falling production and rising prices. Then whom has the Plan helped ? Lower level agriculturists are hard hit. In 1957 the prices of foodgrains went up, and what measures the Government have take to check this rise in prices ? The inflationary trends started in Rajasthan in 1957 are still continuing till this day. So what is the result of the Plan ? It was rightly, as I said, that the prodlem of un-employment was completely neglected in the address, because there was 'No Vacancy' writ large everywhere. There was no employment in industries; industries were clcsing due to dearth of power and there was

(श्री श्रीभानसिंह)

no new industry. The starving people of this State rushed to to agriculture and brought fresh lands under plough which was the cause of a slight increase in agriculture production. Was this a bright picture or a dismal picture of the past ? You will agree with me that this is the factual picture of our achievements. And if this is Plan, am I wrong when I say that it has failed; that it has not benefitted the people ? Till 1957, the middle classes and lower level classes and classes with fixed income were hit hard, and they are still being hit hard. If we cannot provide relief to them, then there is something wrong in our Plan and that is that the Agriculture Department is in a mess.

It is strange to have a non-expert to do the work which only experts can do efficiently. The food problem of Rajasthan cannot be solved if you have advisers like Mr. Kak. They just don't know about the things, but still they are kept at the top, at the helm of affairs in Rajasthan. When such persons are at the helm of affairs, take it from me that the conditions in Rajasthan will not improve. So first let there be right persons at the right place and Rajasthan will definitely present you bright picture.

Coming to another omission, it is this that the Governor's address does not say anything about the picture of administration in this State. I come from a district where, I will not be far wrong in saying that, there is administrative anarchy and chaos. The relationship between the Collector and the S. P. is not helpful. Their relations are strained. There is that honest Collector and an honest S. P., but mentally both are opposite to each other. If the S. P. says that the law and order condition is good, the Collector writes that it is bad.

Coming to the lower levels, there is corruption. Coming to another lower level, the Tehsildar of Roopbas; he soaks himself with drinks in the morning, has a hang-over till the after-noon, again takes drinks in the afternoon and goes to bed. The villagers come to pay their land revenues and the Tehsildar is still in bed. If this is the picture of our administration everywhere, I have given the instance of one district only, then my statement of administrative anarchy is not extreme but factual.

Similarly, when we expect the people to change their outlook, we also expect that there should be change in the outlook of the officials too. But the officials at higher level remain without any change, and when these officers give training to our Pramukhs and Pradhans, then there is a danger. The training by those officers who have not yet adjusted themselves to change their outlook, may also instill in our

Page No.38

(श्री श्रीमानसिंह)

Pradhans and Pramukhs the same official outlook. They will not be giving you that spirit of service but they may be injecting you with the feelings of authority and power. And when Pradhans and Pramukhs are trained in this way, then there is danger to our democracy.

There is corruption in the administration. The House will recall that just on the first day of the debate appliances were displayed in this House regarding the purchases made, by the Director of Animal Husbandry, and when factual picture was presented by the Hon'ble Member here, the Hon'ble Member said that it was a scandalous display of things. With all apologies, I would say that if this is the attitude of the Government, when corruption is brought to their notice, when it is stated in the House that this is scandalous, then I would submit that it encourages corruption. One thing that I am finding is that somehow or the other the Hon'ble Ministers make it a prestige point to defend their corrupt officers. They think that purchases of things is their responsibility, while actually it is not so. Therefore, I will once again reiterate in the House that there should be an enquiry against the Director of Animal Husbandry. Similarly, there is the case of Director of Medical & Health Services. The Hon'ble Minister for Medical and Health Services said that "You have repeated this question thousand of times, and I have closed my ears to it". Yqu may close your ears, you may not hear a thing, but it is our duty to bring before you what we feel...

श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : I did not say that. I only said about the case of Dr. Rattan. I said that this has been repeated several times in the House.

श्री श्रीमानसिंह : The Estimates Committee pointed out scandalous purchases by the Director of Medical & Health Services, but it was said that a warning has been given to the head of department. A head of department who squanders lakhs of money from public exchequer is let off with a mild warning, and if a Class IV servant takes a bribe of Rs. 2/-, there is your Anti-Corruption Department for him. Let me tell you in plain terms that the Anti-Corruption does not exist for your higher ups, it exists only for the lower staff. There is the case of Mr. Satsangi, a man against whom files were prepared, officer on special duty brought cases and now if I am not wrong certain files just do not exist in the Secretariat and have disappeared. The Government is silent on the advice of the Advocate General that the Government should go in appeal against the judgemnt of the Sessions Judge. What do these things show They show that we are out to hush all these corruption cases. It is our

Page No.39

(श्री श्रीमानसिंह)

bounden duty to write them off where it is Director of Medical & Health Services, where it is Director of Animal Husbandry and where it is Mechanical Engineer. Similarly there is the Transport case. The Hon'ble Minister said that there is no compromise with the Bhilwara Bus Transport, but all things, as the Hon'ble Member said, were done in favour of that company. What are these things ?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : I still say that it is wrong.

श्री श्रीमानसिंह : You can say that when you speak. These are the things. They show that we just don't want to go into the matter, but we just say that they are wrong. The display of appliances was scandalous. Without enquiry, if you say that these things are wrong then we are not out to root out corruption. Similarly, there is one more case regarding the Associated Stone Factory at Kotah. The Government has declared its policy that it will give leases to co-operative societies. In 1952, the Government cancelled the lease of that firm and the firm went in appeal to the Sessions court. For seven years the Government did not try to get the stay order issued by that court cancelled; and in 1959, when the lease expired, the Government renewed the lease for the same company. The fact was brought to the knowledge of the Government, and it was pointed out that it was Government's declared policy to give preference to co-operative societies, but it was shelved by the department and lease was granted to this company. When these facts were brought to the knowledge of the Prime Minister of India, he probably wrote a letter to the leader of the House, dut the Director of Industries granted the lease and the dates of the order were changed. It is a matter for enquiry and should be taken seriously. Therefore, I have no hesitation in saying that this lease business is scandalous.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : Mr. Speaker, would it not be proper, if the words 'scandalous' are used after knowing the full facts ?

श्री श्रीभानसिंह : I could not follow. The facts are absolutely within my knowledge.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : After hearing our reply to what you are saying, you can say whether it is scandalous or not. It is not proper at this stage to say so.

श्री श्रीभानसिंह : At that time I will not have a chance ta speak.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Is it because of that there is keenness for using these adjectives ?

श्री श्रीभानसिंह : I am convinced of these facts. The facts of which

Page No.40

(श्री श्रीमानसिंह)

I am convinced myself, I can speak on their basis. In 1952, the Government cancelled the lease of this company and they went in appeal to the Sessions Judge. For seven years the Government did not try to get the stay order vacated and the lease was again renewed in 1959, when the first term expired. This was apparently scandalous, whether you like the term or not. I mean this is certainly apparently a fishy circumstance. There is something wrong in it and whether it is wrong and if so who has done it, it is upto you to enquire and come to couclusions after taking into account all the points of view. But it is a fact that corruption has not been rooted out from the Jaipur District. The administration is stlll in the clutches of narrow tendencies of corruption and today the administration is also imbued with a caste-outlook. This is again a statement which of course the Leader may say, substantiate from facts, but the facts are within his knowledge.

When the administration is imbued with such tendencies, is it good for our democrcy ? Does it show or forecast a bright future for State ? I can only say that such things must be done away with. I do not want to quote instances, as to how these narrow tendencies have been infiltrated or even brought about in the administration, They are there. The picture is there. It is due to these narrow tendencies that rules have been violated, rules have been set aside. It is upto you to coppect them. You will correct them. I know it because you are sincere, you want to establish better administration. I know the Government will improve these things, especially in order to suit to the planning in administration. They will bring about a welfare state. These things have to be brought about in the adminisration is to be clean. It has to be and ought to be clean. This is a point which one can see clearly from the Address as something singularly unique and there is nothing wrong about it.

I wish to say something about Ministerial interference. Today the officers complain that the Ministers interfere In their work. This has also to be checked to some real extent. I want to cite a recent case—I might be wrong and I ought to be wrong-but a complaint has been brought to my notice and I must bring it to the notice of the House. There was a case of the demolition of the Martyrs' Memorial in Bikaner. For 10 days or 14 days, I do not know, the Government did not take any action, and if I am not wrong, on the 27th December there was a telephonic message from the Minister for Agriculture to the Collector that no action should be taken against those who destroyed the Martyrs' Memorial.

एक माननीय सदस्य : By whom?

श्री श्रीमानसिंह : It was a Memorial of persons who died in 1857 and it was sacred to the nation, and if such type of Ministerial interference goes on, Sir, you can know what the result can be.

(व्यवधान)

It is upto you to look into it and enquire whether on the 27th December there was such a 'phone or not, and whether those officers who could do something in the matter were quietened by this telephone or not. I do not suggest that telephones should be disconnected. They should be there, but such interferences should be stopped.

I do not wish to take much time of the House because there are other Hon'ble Members who have to speak, but one thing that was said was that we are bringing about a socio econmic transformation of the State...

(घंटी)

Only five minutes more. One thing is that public health has not figured in the address, and secondly, to bring about a socio-economic transformation, as I said in the beginning that the reforms are good and I congratulated them on the reforms, but I can say that in the reforms our Government is ahead of any other State, but in ecnomic development we are lagging behind, and therefore it was right when the Governor also started with the reforms, with democratic decentralisation etc. etc. and has also pointed towards economic progress.

If we bring about socio-economic transformation, then we have to think of a population of 4. 76 percent, that is the population of scheduled castes and scheduled tribes and backward classes. Of course it has been said that our expeniture on the scheduled castes has been increasing. But till 1958, my knowledge is that there has been always a 50% saving in this Department. The scheduled castes and tribes have not got their scholarships, some schemes have not been implemented, some colonies have not been established,people have not been given subsidies and loans. So till 1957, 1958, there has been a 50% saving in the expenditure on the Social Welfare Department regarding scheduled castes etc. Therefore if we want to bring about their economic transformaticn, then on such classes, such backward and scheduled classes, our expenditure must increase,our rate of expenditure must be higher. Only then we can bring about a socio-economic transformation of the State. The status of the lower people has got be changed. Of course we have changed it regarding land reforms, we are changing it in other directions; institutional changes have been brought about, planning has to go ahead; thereafter administrative changes have got to be there. If we really want to change the picture of the lower levels of people, if we want to bring about socio-economic transformation

(श्री श्रीमानसिंह)

then economic benefits must go to the poorer classes. The social status between the higher and the lower classes must change. That is all I have to say.

श्री अध्यक्ष : Shri B. N. Joshi

श्री बी० एन० जोशी (चांदीकुई) : Sir, I rise to support the motion of thanks to His Fxcellency the Governor for the Address he has given to this august House.

At the very outset, Sir, I would like to mention a couple of rather conspicuous omissions that have struck me in the Address. In accordance with the well-established democratic conventions, the annual Address of the Head of the State is expected to contain a narration of the achievements of the Government in the preceding year and an outline of the policy of the Government for the ensuing year. It is also expected to contain a description of the different Bills which the Government propose to bring on the legislative anvil, so that the Hon'ble Members may know on the very first day the Bills that might be expected to come up during the course of the session. This was the practice of this House in the previous years too and the Governerial address also contained, almost every year, a description of the Bills to be introduced in the House. Somehow, a significant departure appears to have been made this time and no mention has been made of the bills proposed to be brought here, except perhaps the bills relating to the Panchayats, which has also been done in a casual manner and not by way of enumerating the legislative business of the session.

The second omission which has struck me has been dealt with at some length by my predecessor on the floor, but I have a little more to say about it. This is regarding the changes that have taken place in the composition of the Government. I personally feel that the changes were rather significant and very important ones and they should not have been overlooked. Those changes which meant the inclusion of certain new Ministers in the Government as well as the upgrading of certain others were very signi-ficant and important factor and should have been taken into the Address of the Head of the State. Moreover, an explanation was alsc due to the House as to why the expansion became necessary. I personally feel that the step was at least justified on administrative grounds as the distribution of portfolios in the previous Ministry was not congenial to efficiency and proper administration Perhaps that was the reason for the expansion of the cabinet that the hands of the Ministers were too full and they could not do justice to all the portfolios.

However, I am slightly sorry for the women members of the House who have not been given adequate

Page No.43

(श्री बी० एन० जोशी)

representation in the Government. I very strongly feel that if we compare the calibre of the women M. L. As. of the House with the others, then they will compare very favourably,. they will supersede us in every respect. Out of a number of nine, five or six are M. As. and one is Doctor in Philosoqhy, so that we cannot say that it was due to non-availability of suitable persons . that they were not included in the cabinet. I will not deal at length on this point, but would only say that by not providing due representation to the lady members in the cabinet, the Leader has failed to be fair to the fair sex.

I now come to the address itself. The picture of Rajasthan that was sought to be painted in the address of the Governor appears to be slightly overdone.

('अन्डरडन' की आवाज)

No, overdone. A very rosy picture was sought to be presented before the House, irrespective of the fact whether the statistics were convincing, whether they were impressive or not, they were given. We were told that in the field of agricultural production we had exceeded the targets Also in the matter of new schools we hadexceeded the targets. But we are not tole (as we ought to be told) as to whether we had been able to achieve the targets in the matter of construction of roads, in the matter of distribution of power and in the matter of production of textile or production in the glass sector or other sectors. I feel that the annual Address of the Head of the State should be very sober and an objective narration of the present position. It should not be prepared from what may be termed as publicity and propaganda point of view.

Now, first things should be taken first, and I wish to address myself, first of all, to the much-talked of democratic decentalisation which has been dealt with at length in the Address. In this respect, Sir, I am constrained to observe that we had unfortunately placed the welfare of the people afterwards and the need for obtaining cheap popularity before. As we all know, the very foundation and the very basis of our Panchayat administration and the very basis of our newly formed Samitis are our Gram Panchayats. It is realised on all hands that our Gram Panchayats are full of verious defects, they are unwieldily in size and it has not been possible to manage them efficiently. As for example, some of the Panchayats cover a population of only 1,500 persons whereas the population of others is 5, 6 and 7000. Moreover, as I have said that in the matter of staff it is well-known that most of the Panchayats are today carrying on their work with part-time Secretaries who have had no training even in the rudiments of the working of the local bodies; and to our misfortune

(श्री बी० एन० जोशी)

today the Panchayats are also torn and divided on the basis of caste loyalties; the caste factor happens to be predominant in a very large number of panchayats. Unless and until this stigma is removed from the panchayats, the majority of the spanchayats cannot be expected to give reasonable justice to the people.

Moreover, Sir, a very large number of High Court writs have frequently come before us in which tbe decisions of the Panchayats are being revised. This is an evidence of the fact that the type of justice which is being doled out to the people of Rajasthan is not a very desirable type of justice. So the first requisite in this direction before constituting Panchayat Samitis was to constitute the basic units in the proper way and to separate the Nyaya Panchayats from the development panchayats with a view to avoid any unnecessary failure of administration. Their duty is to carry on development works and they should be allowed to do it without any hindrance. Now the Government has realised this and it has been contained in the address that it is proposed to bring a special legis-lation in the present session to achieve that purpose. But this was the first step, because the Panchayats is the basic unit which constitutes the Panchayat Samitis. But in our reformist zeal and in our craze for achieving cheap popularity we have forgotten to take steps which were the first pre-requisites for establishing these panchayat samitis. We had fixed the 2nd of October, as if there was something particularly sacred or sacrosanct about this date. There are other dates in our national history which are equally important, there was the 26th of January, there were other dates; we could do it on the 2nd of October 1960, but it was considered to be a very essential step for reform and must have taken place in the beginning, and it should not have been left to be done after the formation of the Panchayats. Moreover, we had to continue the Panchayats, three months were give in the beginning; we had to convert some Municipal Boards also into Panchayats. But this was an extremely undemocratic step. The Municipal boards were constituted for a specific purpose. In some cases they were not elected. So we had to sacrifice every other consideration before our desire for achieving cheap popularity.

In this respect, Sir, I wish to say that we have not acted in the best interests of the State and we have been unfortunately led away of emotions and sentiments. We have so many other direcions in which we can work. We have the Social Welfare Department, we have the Public Works Department. but we are extremely enthusiastic, over-enthusiastic in the matter of reforms. But if we want to stand for a sound administration, we have to be aware

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

of these pitfalls. We have to check our reformist zeal and keep it within proper bounds.

Sir, as we all know, there are certain prerequisites for the working of the democratic government in any country. It requires certain conditions for its success. Unfortunately we are witnessing a spectacle of democracy failing and collapsing in many of our neighbousring countries. In Burma it has met with a failure. It has met with a failure and fiasco in Thailand. It appears to be, unfortunately, on its last legs in some of our neighbouring countries like Ceylon and Indonesia from where it received inspiration. Unfortunately, it has also failed in the land of its birth-the mother-land of democracy-it has failed in France, the land which had given us the slogans of liberty, fraternity and equality, the land of the French Revolution; this green plant of demo cracy has failed there. Under the circumstances, if we want to make it a success of it, if we want to make a success of democratic institutions, a very heavyduty rests on us to work very inteligently and in a very selfless manner and with a singular sense of dovotion. Instead of that what we...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Do you think we are running smoothly here ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : You will have patience, please. Probably our Government was swayed by the lure of being first in the field. Probably we wanted to be ahead of other States so as to be able to claim the credit that Rajasthan is ahead of other States in implementation of Mehta Committee Report and in the matter of democratic decentralisation. Through you Sir I would like to tell my friends who have been actively associated with the formation of Governmental policy, that to be ahead of others is not always a sign of wisdom. It is not in all circumstances a thing which is virtuous in itself. Whenever I think of the democratic decentralisation in Rajasthan, I am reminded of Alexander Poe, who had written in his Essay of Criticism, "Fools rush in where angels fear to tread". So to be ahead of others, to take the first place in everyfield, is not always a sign of wisdom. It is not always a sign of courage On the contrary, sometimes it is clear obstinacy and in that event it is neither laudable nor praiseworthy, but something which should be eschewed and avoided. This was a factor which we overlooked.

Now, Sir, I would also mention the role which the Panchayat Department has of late been playing in the matter of these basic units of democracy in Rajasthan. In the first instance, I would like to say that the department suffers from extreme laxity of control and I am again

Page No.46

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

constrained to observe that the responsibility for this laxity does not rest on the officers of the department, but it rests unfortunately on us and our colleagues. Very strange and conflicting directions are issued to the department, there is tampering with the elections of the Panchayats and postponement of dates of elections, not once, twice or thrice, but in cases seven times. I would like to quote some instances. This was done in the case of Mahua in Jaipur District, where the election of four Panchayats were due, but because it was feared that the outcome of one Panchayat election may not be favourable to a party which was being supported by the State Cabinet and it will have adverse effects on other three Panchayats, they postponed it, though subsequently that election also went against them and it was a debaele for the party. The election of Gram Panchayat of Mundawar-Mahua Road was to be held some time in the month of February. Inspite of vehement protests, it was again postponed. The story of its postponement is very strange. On the 8th February, 1960, at 9 A. M. orders were given to the head of Panchayat Department to postpone the elections. Then the party which wanted the elections to be held according to schedule, approached the Hon'ble Minister and at 12 noon, contradictory orders were issued that these elections should be held according to the schedule. Naturally, the head of department was confounded. I learn that the matter was referred even to the Chief Secretary and from there it went to the Minister for clearification, and the Hon'ble Minister, in accordance with the latest pull, decided that the election should after all be cancelled and not held. There are hundreds of such instances when most undesirable and objectionable interference has been made with the working of the Panchayats and their elections and their day to day running.

And what does it mean to postpone a Panchayat election ? The men and women who are mostly workers in the fields, they leave their work, they leave their children and assemble on the spot where the elections are to be held. Some of them forego their daily wages and gather there in order to exercise the so-called democratic rights once in 3 or 4 years and then they find suddenly that the election has been postponed. Such a thing happens, not once or twice, but six times in some cases. So, is this the way to make a success of democratic decentralisation ?

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे घोटाले कौन करते हैं ? Who are those men ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I have said that already.

Now, Sir, I have to submit that

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

by these methods of interference in the working of the basic units of democracy in a most arbitrary manner, we are actually cutting at the grass roots of democracy. Inspite of all this, it is mentioned in the address of the head of the State that economic content has been given to democratic functioning. That was a statement to which I could not reconcile myself. It was farthest from reality and it was so utterly divorced from reality that I could not check myself from expressing my sentiments and what I feel about that matter. The so-called democratic decentralisation about which it is claimed that we are not only leading India, but we have also acquired international fame, because there is talk of democratratic decentralisation in other countries also, is, I would submit, like the holy Roman empire, which was neither holy, nor Roman nor empire. So our democratic decentralisation is also neither democratic nor decentralisatin. It is not democratic because the people who had been groaning under the heels of corrupt Panchayats and were looking forward to the expiry of their terms when they would have heaved a sigh of relief and elected a better Panchayat, they learn to their dismay that by one stroke of pen, without a reference to them, to the electorate whose welfare the Government professes to hold dear to its heart, the term of these Panchayats was extended by one, two or three years. It is apparent that we shall not be able to hold Panchayat elections before the general elections. Is it democracy? It is a negation of it.

Nor it is decentralisation, It is rather overcentralisation because the persons who were already exercising judicial powers, I mean the Sarpanchas of the Panchayats. they are now burdened with another responsibilities of implementing the Five Year Plan in the rural sector at the lowest level.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : The time of the Panchayats was extended by an amendment by this House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : That goes without saying. But whatever is done here it is done on the instance of the Government. The Government brings in legislation, supports it and request for passing it.

एक माननीय सदस्य : You are also a member of the House.

श्री उपाध्यक्ष : He also shares your guilt.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Being one of the 176 members, I also share the responsibility to that extent. What I am saying is that the main responsibility for the formulation of Government policy and its implementation rests on those who are actively

Page No.48

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

associated with the Government and those who form Council of Ministers. So, I was going to say, Sir, that our democratic decentralisation is neither democratic nor decentralisation. It is over-centralisation. We have given the Panchayats the rights to distribute taccavi, fhe rights of distribution of seeds, implements and fertilisers, and all the multifarious and manifold activities of the Development Department have devolved on them on village level. In addition to that they have also got the work of dispensing the justice-civil, criminal and revenue. So the basic principles which underline the Indian Constitution, the separation of judiciary form the executive, have been frgotten in the matter of our Panchayar administratoin. The Panchayats which were inefficient, which were monuments of inefficiency and which were not able to discharge their limited functions previously, they have been given fresh lease and their terms have been extended and they have also been saddled with further responsibilities of higher nature. So it is obvious over-centralisation and not decentralisation. Apparently, therefore, it is neither democratic nor decentralisation. It is undemocratic and over-centralisation and the analogy of the holy Roman empire bears with all force on this democratic decentralisation of Rajasthan.

Next I want to address myself to the co-operative farming. As a Congressman, I am hundred percent in agreement with the principle of co-operative farming. If we are able to make a success of it we shall be rendering a yeoman's service to the country and we shall be able to increase our production. My quarrel is not with the programme but on the plane of implementation and in the manner in which we have set about the work of co-operative farming. As I said in the beginning, Sir, the most unfortunate tendency in Rajasthan is that we are not so much actuated or motivated by the considerations of promoting the real well being of the people, but we are prompted by achieving cheap popularity and acquiring headlines in the press and claim the role of pioneers. We are very glad when we see the headlines in papers that Rajasthan is the first to take steps in any direction. As soon as Nagpur resolution was passed, we wanted to go ahead with co-operative farming, without caring to realise the implications of such a statement, without caring to work out what it meant. The department just said that it is unable to replace the persons who are transferred in the ordinary course of duties. Over an year ago. An Inspector of Co-operatives was transferred from Patunga block 3/4 blocks are given priority in these matters and this happened to be an N E. S. Block and the authorities were unable for 7 months to provide one Inspector to this block area in

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

order to replace the Inspector who had been transferred in the normal course of duties. This is the state of the preparedness of the Department, of the staff of the Department and when this is the state of preparation, a tall claim was made that the future pattern of the agriculture production is going to be on the basis of co-operative farming.

Now, Sir, I can very safely say that for the next 10 years it cannot be possible for this Governmont by these methods that we have adopted and are adopting to make a success of the co-operative farming. I would like to state the manner in which a beginning has been made in this direction on the basis of which a claim has been made that it will be a success in Rajasthan. As a beginning, I would quote my own instance of the Baswa Tehsil. A circuldr was issued from the State Government that by the end of June 1959, so much area, for example, 563 or something like that, acres are to be brought under co-operative farming. Now the State Government, probably under the advice of the Chief Secretary, divided that figure on the basis of districts. The Collector, Jaipur, was addressed that you should form so many co-operative societies in Jaipnr District. The Collector further sub-divided the number into sub-tehsils and my constituency got a share of five co-operative societies. Now a Committee for land allotment was formed of the M. L. As. of the Tehsil, the B D. Os, one from each Tehsil Panchayat and some of our workers. Now, Sir, I was in extreme earnest about this co-operative farming because in the first instance, by the Resolution of the A. I. C. C. and secondly there were circulas to M.L As, so on account of these things, I left my lucrative practice and toured the Tehsils and tried to pursuade the farmers by making them understand the benefits of the co-perative farming. So as I said there were five places which were selected for this, but I will refer to two places Baraheda and Alipur. The whole thing was to be harried, and telegraphic instructions were issued to all the authorities, the B. D. Os., the Tehsildars of the District, the Collector, etc. that in a couple of days they should collect the figures of available land, so that the land might be allotted. These Tehsildars give these figures on the basis of their revenue records and it was not necessary for the Tehsildars to know what the actual position of the land is So the Tehsildar came here and gave figures on the basis of the revenue records. On that basis we made the allotment of land at Alipur. We had taken extreme pains to make them understand all these points and they were induced to become members of the farming society. They became members and also gave their deposits. Then the members approached us and asked," Where is the land ; please show us the land which has been

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

allotted to us. We went to the spot for allotment. To our great surprise we found that there was no land worth cultivation, but there were only null· as and nullas, and not even 10 yards of culturable land. The Tehsildar did not knew whether there was any cultivable land or not. He had worked out his figures simply on the basis of statistics on paper, as his revenue records showed 600 bighas of sawai chak and the collector had made the allotment on that basis, but there was not even 40 yards. There were vast big nullas like the Chambal revines of Kota and Dholpur, and even by investing a sum of Rs. 10 lacs the State Government cannot make it cultivable. So the co operative farming at Alipur was thus a still-born, child, it was dead before it was born.

एक माननीय सदस्य : Was the money, which was taken, given back ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : It was surely returned.

So the Tehsildar said that we shall see it later on, let the co-operative be there, let it be treated as a registered one. I insisited on the other hand that it will get a bad name, it will make a mockery of the co-operative farming and the people in the future, when they will be approached for joining a co-operative society, they will say, this is the same type of society which was registered in our village a few years ago.

In the afternoon we left for Alipur. We found the same story, with the change that by experience we had become wise. I insisted on seeing the land, the type of land available. We found the same type of land as we found in Baraheda I told the other members, it is better to leave the village and give up the idea.

So the two societies which we noticed were still-born. Now, Sir, there was another village Sumerkalan. There wasno available land But 250 men of the village gathered there. The land was needed by poor Harijans. The land was registered and delivered to them. Then a person approached the S. D.O. of Dausa and wanted the land to be allotted to him. It was refused. He moved the S. D. O. and got the land, which was about 60 bighas, allotted to him, out of the land allotted to the Harijans, with the result that he set at naught all the attempts of the co-operative department to make it a success.

It has been noticed, Sir, everywhere that the attitude of the local people towards these people is extremely hostile. The other members of the village try to coerce them. The members of these communities, especially the Harijans, cannot stand with the rest of the population. They cannot even go to the Panchas of the village. They were intimidated to give up the land. The District Magistrate,

Page No.51

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

the S. D. M., the Tehsildar, the Revenue Minister and the Chief Minister, in their ownway, tried to do whatever they could do for these people, they passed certain orders and they have been conveyed, but what happened in actual fact? The poor cultivators have not been allowed to cultivate that land and it has spelt disaster for them. There were people from Delhi and Ahmedabad who came here for cultivation after selling away all their goods and chattels; they purchased bullocks, they purchased some equipment............

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Will you please let me know the particulars of that allotment ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The village is Sunel Kalan, Tehsil Basua, and the allottee is one Nanda Gujar. The fact was brought to the notice of the officers, The allotment was made under dubious and fishy circums tanecs and on the basis of tampered record. The fabrication of the record was proved to the hilt before the Tehsildar and the Collector who was an upright and reasonable officer, suspended the Patwari. But on the other hand, on the basis of the same fabricated record, the S. D. M. granted Parcha and Khatedari rights to Nanda Gujar. So this is how the various officers of the Government are working at cross purposes. The net result is that the third co-operative is also about to go into liquidation.

श्री दामोदरलाल व्यास : Point of information. I want to know whether this is a case of allotment or only recognition of rights by the S. D. M. Do yon mean that the land was allotted afresh, or he only recognised the rights of a person who was already in possession of it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : He granted Khatedari rights.

श्री दामोदरलाल व्यास : That means only recognition of possession.

श्री बी. एन. जोशी : But the net result is the same.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not the same, it is quite different. If the land was unoccupied, it is a fresh allotment. If it was occupied land, then it is only a recognition of the rights of the man either as sub-tenant or Khudkasht etc.

श्री अर्जुनदास (अजमेर, पश्चिम) : What is the position of illegal occupation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is for the Hon'ble Member to explain.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The case was, the land was shown as Sawai Chak and it was allotted to co-operative society by the allotment committee. Then out of that same land, 60

Page No.52

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

bighas were granted by the S. D. M. to that Nanda Gujar. Khatedari rights were granted to him though the entries of possession in the Khasras of previous years were forged and fabricated, and the Collector and Tehsildar were convinced about the forged entries and they suspended the Patwari. The result was that Nanda successfully prevented the members of the Government-sponsored co-operative from coming near the land or putting their foot on the land.

So I was submitting that out of five, four cooperatives have collapsed in one way or the other, and the remaining one is also beset with many difficulties and obstacles. So I was saying that the present difficulties are due to the fact that success of the movement has not been put upon the one particular department. The B. D. O. says, "Look here, it is a law and order problem, go to the District Magistrate." The District Magistrate says that the question of success of co-operative farming rests on the B. D. O. Similarly, the Co-operative Department says that thetr function stopped when the co-operative was formed. It is now the function of the Revenue authorities or District Magistrate or B. D. O. So in this way all are trying to shift the responsibility to someone else, and the co-operative farms are crumbling one after the other.

Coming to Development Department, under the present circumstances, it is too much to expect anything from it in their normal day to day functioning, The Development Department has of late been caught in a strange whirlwind of conferences, symposiums and seminars, so much so that it appears to have completely forgotten its normal day to day work, These conferences etc. have their own limited value, but when we do it in excess, when we start substituting these things for the normal day to day work of the department then I think we are having enough of it and we are reaching the limit, and it is this which has affected the efficiency of this department. I would sugggest, Sir, that these seminars and symposiumsic which certainly have a propagandist-value but the substantial value of which is limited, they should be limited in number and should be kept within reasonable bounds, otherwise it will not be possible for this department to function properly. The Minister in charge of decentralisation is not here, but anyway, if the Government wishes to know in what form actually the Panchayat Samitis are functioning, I would like to state that in Jaipur District alone I know of some Panchayat Samitis where the elected Panchas and B. D.O.s are working at loggerheads. One is at Sanganer. Theoretically, the B. D. O.s are now members of the Samiti staff. They are on lent service and they are to be kept there only as long as they are wanted and desired by

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

the Samitis. What is happening, however, is that B. D. O. in Sanganer is openly defying his Pradhan, he is going about canvassing the individual Panchayats and he is working like a full-fledged politician, flouting his own Pradhan and setting at naught the authority of the Panchayat Samiti. The instances have been brought to the notice of the State, the Development, Department the Commissioner and the Chief Secretary, but so far it has not been possible for the Government to take note of it and to do anything to put an end to that most unhappy state of affairs. In case of Sikrai also we have a politician officer. He has been using the Block jeep for Panchayat elections and to influence voters and canvass their support and take them from one place to another. He loaned his jeep to a particular person with whom he was friendly. A report has been made to the Development Commissioner and matters have been brought to his notice, but now we see bureaucracy functioning in its old pattern, inspite of our protestations about the new outlook having been brought under the new set up. What we find is that rightly or wrongly the Development Department is trying to shield its officers. They are making it a point of prestige with them. They have taken a most unhelpful and strange attitude, and when we say that it is decentralisation, I would say that it is nothing but a travesty of decentralisation.

There is another instance. We are trying to give democratice rights to illiterate persons in the remotest parts of Rajasthan and on the other hand we have deprived the citizens of Jaipur the right to elect their Municipal Board. Their Municipal Board has been most undemocratically superseded for last about two years and the elections are not taking place. The rights of intelligentia of Rajasthan are being trampled in this way. It is very strange, Sir, that the Municipal Board of the capital of Rajasthan should be so treated and the rights of the people stifled in this niggardly fashion. I strongly protest against it. It makes our protestations of democracy look so stupid and futile.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करदें, काफी समय ले लिया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : In the context of law and administration, ofcourse it was a matter of gratification that the law and order affairs have been relegated to the concluding portion of the Governor's address, and was not given the place of pride as was used to be done in the previous addresses. But I was surprised that the Government probably regards the liquidation of the dacoits as the alfa and omega of the law and order. I think much more important than that work is the day to day administration of police in the remaining

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

parts of Rajasthan which affects the daily life and welfare of a large number of citizens of Rajasthan. The dacoits don't roam about throughout the length and breadth of Rajasthan. There are only some particular areas, at the most 20 or 30 Tehsils, which are infested by them. In the remaining parts of Rajasthan, the problem is of thefts, of burglaries and of the protection of its innocent citizens. Is our police able to afford them the real protection ? The police, unfornntuately, instead of being the protectors of the innocent, in most cases, are the perpetraters of crime. As a very singular instance, I may point out the sad plight of a poor seheduled tribe girl in my constituency. What happend, a Meena girl was travelling from Mundawar to Bandikui. She was probably without ticket. She was taken out of the compartment and she was raped to death on the Railway station of Bandikui by some members of the Railway staff in collusion with members of the police staff. Her dead body was examined and later on a report was filed at Mundawar police station, but it treated the matter in such a pathetic manner that they sent the report to Bandikui after 6 or 7 days. It is six or seven months now, but the culprits remain at large. This is most ghastly crime.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : I have already replied to to this on the floor of the House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : About this instance ? I don't know.

Then there are cases of persons, whether innocent or guilty, being beaten up to death. There was such a case in Jaipur also. There is another story about Behrod thana.

श्री रामकिशोर व्यास : That also has been replied.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : That may have replied, but it is a fact that such things occur. The very fact that the people who are salaried servants of the public, they beat up the public, shows a very sorry state of affairs in our administration. We are losing sight of this and we only

(१. २८. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन

enumerate the work of liquidating of dacoit gangs. The cases are being couducted by the inexperienced Sub-Inspectors at the trial stage. The trouble is that on the one hand we have issued instructions to the police to stop third degree methods, but on the other hand we have never cared to teach them what first degree methods are. So we have to think afresh about our police staff. We have to provide them means of scientific investigation and raise their efficiency. It appears that we are not

Page No.55

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

devoting sufficient attention to these matters.

Thereafter, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : We would like to accommodate other members also.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : In deference to the suggestion of the Chair, I will now wind up.

The shortcomings which I have just pointed out, they are failures due to common human weaknesses. Social workers, public workers and reformers have been victims of over-zealousness, but after all over-enthusiasm is not such a bad thing as lack of enthusiasm or absence of it. So I trust that the Government will try to benefit by the suggestions offered here. Undoubtedly, they have been blundering, but the fact remains that these blunders are bonafide blunders and in the nascent stage of democracy these are condonable. With these observations, I will say that the Government is entitled to the indulgence of the House and I accordingly commend this motion of thanks to the House.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, २४ फरवरी को श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा जो इस सदन में भाषण दिया गया उस पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर तीन दिन से वादविवाद चल रहा है । जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का सवाल है, उसमें जो एक तस्वीर खींची है, मुझे तो वह अभिभाषण के स्थान पर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जैसलमेर में बैठा हुआ व्यक्ति मसूरी में बैठे हुए मित्र को पत्र लिखे और लिखे अत्र कुशलम् तत्रास्तु गर्मी पड़ने लग गई है, गर्मी के मई, जून महीने में तुम कब आ रहे हो, गर्मियां अच्छी बीतेंगी, दोनों साथ साथ रहेंगे । राजस्थान केनाल जैसलमेर में आने वाली है । यह बात तुम भूल जाओ कि जैसलमेर राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है । ऐसा सुन्दर चित्र खींच कर, कि राजस्थान केनाल आ रही है, मसूरी में बैठे हुए मित्र को जैसलमेर में आने और वहां गर्मियां बिताने को आमंत्रित करे । ठीक उसी प्रकार की बात राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ने के बाद महसूस होती है । साल भर में एक बार सदन में वे पधार कर अभिभाषण देने की कृपा करते हैं और वैसे तो धन्यवाद देने की बात है, हम दिन प्रतिदिन जीवन में मित्रों को धन्यवाद दिया करते हैं । इसलिए जहां तक धन्यवाद की बात है, इतने बड़े आदमी को धन्यवाद भी दिया जा सकता है । लेकिन सदन में आकर अभिभाषण दिया, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते । उनके अभिभाषण में कुछ अगर बातें, जो वस्तु स्थिति है, वह सही रूप में सदन के सामने वे रखते तो हम इस प्रश्न पर विचार करते । यह धन्यवाद मंहगी चीज नहीं है, दिन प्रतिदिन मित्रों को दिया करते हैं, अगर साल में

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

राज्यपाल महोदय को एक दफा दे दिया तो कौनसी बात है। सवाल खड़ा होता है कि जो अभिभाषण उन्होंने दिया और जिस भाषण में उन्होंने राज्य के विकास के सम्बन्ध में बातें बताई और जिनके बारे में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने सदन के सामने विचार प्रगट किये। मैं समझता हूं कि उन सभी भावनाओं के अधिकांश भाग के साथ अपने विचार सदन के सामने रखते हुए मैं कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहूं, चाहे वे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में हों, राज्य की खाद्य समस्या के सम्बन्ध में हों, कृषि के विकास के सम्बन्ध में हों, या प्रशासन के सम्बन्ध में हो। इन सब बातों के सम्बन्ध में हमने तीन दिनों से विचार सुने हैं। वाद-विवाद के प्रथम दिन श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एक गम्भीर बातें सदन के सामने प्रस्तुत कीं। उनमें से एक विशेष बात नाथद्वारा जांच आयोग के सम्बन्ध में और बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट्स, जो राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई हैं, उनके कार्यान्वित न किये जाने के बारे में कहीं। परसों जब सदन में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार प्रगट किये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने नाथद्वारा जांच आयोग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते समय कुछ बातें इन्टरवीनर्स के बारे में कहीं और कमीशन के बारे में कहा कि कमीशन के सामने कोई ऐसी शहादत नहीं थी, जो शहादत मुख्य मन्त्री और राजस्व मंत्री के विरुद्ध यूज़ की जा सकती। अगर वे बातें दिल से कहीं हैं, वे महसूस कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई शहादत वे महसूस करते हैं, पेश नहीं की, अगर पेश करते, तो मुकदमा साबित हो जाता। वे अगर इस बात को और इस सुझाव को डेढ़ साल पहले देते तो मैं सद्भावना का शुक्रिया अदा करता। लेकिन सवाल खड़ा होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं, आखिर नाथद्वारा जांच आयोग कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी साधारण किसी मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी नहीं थी, जो आये दिन राजस्थान में होती हैं, जिनके बारे में कहां तक जिक्र किया जाय। उनको इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि राजस्थान में इस प्रकार की घटना हुई और सदन के अन्दर यह मांग की गई, उसके आधार पर नाथद्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गई और उसने यह प्रतिवेदन दिया है और उस पर यह कार्यवाही सरकार करने जा रही है। लेकिन सम्भवतया ऐसा कुछ लगता है कि नाथद्वारा जांच आयोग के मामले में किसी प्रकार सदन में वादविवाद न आये, इसलिये अभिभाषण में यह नहीं आना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता। कुछ महत्वपूर्ण मसले होते हैं। मैं आज अपने भाषण के द्वारा उस नाथद्वारा जांच आयोग की कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, उसका एक डिसीज़न हुआ है, चीफ जस्टिस उस कमीशन के कमिश्नर थे, तो उन्होंने कुछ निर्णय दिये हैं, उनके सम्बन्ध में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विचार प्रगट किये हैं और सरकार से मांग की, कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ उस कमीशन ने क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर के अनुसार कार्यवाही करने के लिए रिकमन्डेशन की है, वह क्यों नहीं की गई है। मैं आज सदन को,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन के माननीय सदस्यों को और बाकी सारे उपस्थित सदस्यों को नाथद्वारा जांच आयोग की उन कार्यवाहियों की ओर नहीं ले जाना चाहता, मैं राजस्थान नाथद्वारा इन्क्वायरी कमिश्न की उन फांइडिंग्स की ओर नहीं ले जाना चाहता, मैं नाथद्वारा इन्क्वायरी कमिश्न की फाइडिंग्स और प्रोसिडिंग्स पर अटेक नहीं करना चाहता। उसकी कुछ फाइडिंग्स हो सकती हैं, उन पर कहने की जगह हो सकती है। वह एक कमिश्न की फाइडिंग्स है, कोई जुडिशियल कोर्ट की नहीं हैं। आखिर इस सदन ने एक व्यक्ति को मुकर्रर किया है, वह मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ या सेशनसजज की फाइडिंग्स नहीं हैं। हमारे लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि गलती करना कामन मैन की जिम्मेदारी नहीं है और अधिकार नहीं है। आखिर गलतियां बड़े बड़े आदमी कर सकते हैं, गलतियां ऊपर के तबके तक हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की प्रोसीडिंग्स के बारे में मेरा ध्यान जाता है तो मैं तो यह सकता हूं कि नाथद्वारा में २५ दिसम्बर में घटी हुई घटना जितनी गम्भीर है, उससे ज्यादा जो प्रोसिडिंग्स हुई, वे एक कॉन्सपिरेसी थी। लेकिन यह हुआ, यह किस प्रकार हुआ, मैं उसके सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता कि किस प्रकार प्रोसीडिंग्स हुई, किस प्रकार क्या बातें हुई और उन सारी बातों को हम मरे दिल से स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कुछ तथ्य हमारे सामने हैं, कुछ मामले हैं उदाहरण के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की बात है कि जयपुर में एक प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें जनता के कुछ लोगों ने, राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों का चित्र लगा था, उस पर 'चोर मंडली लिख' दिया था और इस पर आपत्तियां, स्थगन प्रस्ताव आया, प्रिविलेज मोशन आया और यह मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया और सारा मामला खत्म हुआ। इस दृष्टान्त की ओर ध्यान आकर्षित करने का मेरा तात्पर्य यह है कि यद्यपि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ने माफी मांग ली पर हर माननीय सदस्य के दिल में बात हिट होती है कि आखिर जनता के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इसीलिये आखिर देखना होगा कि आखिर व्यक्तियों के बारे में और बाकी लोगों के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं। कल माननीय सदस्यों ने सदन में जिक्र किया था कि कोर्ट्स में न्याय बिक रहा है, तो जो सत्य बात है वह कहनी पड़ती है ? आज जनता से जाकर पूछें कि तुम्हारा रीएक्शन नाथद्वारा जांच कमीशन के बारे में क्या हैं, जिन लोगों ने मोटरों में घूमते हुए देखा है, मीटिंग्स करते हुए देखा है, वे लोग कहे बगैर रह नहीं सकते, जनता का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, जो तथ्य हैं उन तथ्यों से आंख मींच कर हम नहीं चल सकते, जनता से यह नहीं कह सकते कि लोग आंख मींच कर ऐसा कहते हैं। एक आदमी कहे तो कह सकते हैं कि झूठ है, ४ आदमी कहें तो कह सकते हैं कि झूठ है और ५० आदमी भी कहें तो कह सकते है कि झूठ कहते है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, on a point of...

Page No.58

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर आम लोग कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि नाथद्वारा जांच कमीशन ने जो काम किया है उसके बारे में उन्हें सन्देह है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सन्देह है या नहीं है, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं। जहां तक पासिंग रेफेरेंस का सवाल है मैंने आपत्ति नहीं की है, किन्तु जैसी कि मैंने पहले भी व्यवस्था दी है कि आयोग की रिपोर्ट जो है उसको बुनियाद बना कर बहस की जाय, वह ठीक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने स्वयं पहले ही जिक्र किया था कि यह एक दुखद प्रसंग है, मैं बात खोलना नहीं चाहता। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पृष्ठ संख्या ७ पर कहा है उसी को पढ़ा था, पेज ८ पर कहा है, उसको सदन के सामने उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने रख दिया उसके आगे केवल ४ सैंटेन्सेज़ रख कर इस प्रसंग को यहीं खत्म करूंगा "It must be said to the credit of these interveners..."

श्री जनार्दनराय नागर : My point of submission is that I can understand from his speech that he has got some doubts about the working of the Nathdwara Commission. Is it a fact that he thinks that there was something wrong with the conduct of the enquiry?

श्री उपाध्यक्ष : I do not want to infer anything from his speech......

श्री जनार्दनराय नागर : This is what I have gatherd from his speech. It is a kind of refection that he has. made on the Nathdwara Commission

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, I could understand you. He has said something on the floor of the House. He has certain impressions about it. Whether those impressions are correct or not, that is not the issue. I have given my point of view on this issue. This question of Nathdwara Commission's Report is not the subject before the House, neither it is with in thecompetence of the Address made by the Governor or......

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I will submit one thing. The Government may fix some time when we can discuss this Report by itself.

श्री उपाध्यक्ष : This is not upto me to do... .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष........

श्री उपाध्यक्ष : I think, Mr. Agrawal if you can very rightly avoid the reading of those lines......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, पर कभी मौका मिला तो आप संतुष्ट हो कर जायेंगे, फिर चाहे आप कांग्रेस में रहें या नही रहें।

Page No.59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो उपाध्यक्ष महोदव, इसमें लिखा है :-

"It must be said to the credit of these intervenors thet they brought varions aspects of the matter......"

श्री उपाध्यक्ष : It is to the compliment of the intervenors.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की सूचना के लिये केवल इतना निवेदन करके उनकी सद्भावना के लिये फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने प्रकट किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि राजस्थान के प्रशासन के सम्बन्ध में अनेक बातें यहां पर आई। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डी० पी० आर० के पुलिस के सम्बन्ध में आरोप लगाये थे, तो गृह मंत्रीजी ने खड़े हो कर कहा कि आप सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं। वैसे तो सबूत पेश करना हमारा काम नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं आप सबूत इकट्ठा करें। वैसे तो सबूत के लिये पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्टस पर्याप्त हैं; उनमें जो फैक्ट्स बताये हैं वे पर्याप्त साधन और पर्याप्त आधार हो सकते हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये, पर कार्यवाही नहीं होती। यहां पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लॉ एन्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में ज्यादा बातें नहीं। कहीं रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रसन्नता प्रकट की कि विकास के बारे में ज्यादा कहा है, वास्तव में हमारी स्टेट पुलिस स्टेट नहीं होनी चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि हमारा राजस्थान कोई पुलिस स्टेट न रहे। हर एक व्यक्ति चाहे वह किसी दल में हो, वह हमारे यहां शान्ति और सुरक्षा चाहता है। कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में अराजकता हो, अशान्ति हो। पर आज क्या राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर है? डाकुओं के ६ दलों में से ६ दलों का सफाया करने के बाद यह कह सकते हैं कि राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की हालत संतोषप्रद है, यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, यहां शान्ति है, सुरक्षा है; कोतवाली और थाना के सामने "May I serve you" के बोर्ड लगा कर गृह मंत्री जी कह सकते हैं कि हम राजस्थान की सेवा कर रहे हैं? यदि गृह मंत्री जी को समय हो तो साथ चलें और जांच करें कि पुलिस के कर्मचारियों का किस प्रकार का रवैया राजस्थान की जनता के साथ है। पांच सौ, छः सौ जागीरें थीं उनको खत्म किया, पर आज हर थाने, हर पुलिस स्टेशन जागीर का हैड क्वार्टर बना हुआ है जहां आस पास की जनता से चौथ वसूल की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं एक अजमेर का उदाहरण रखना चाहता हूं। अजमेर में एक पुलिस स्टेशन है क्लाक टावर। मैं इसलिये वहां के बारे में रेफर कर रहा हूं कि कहीं गृह मंत्री जी फिर सबूत की बात न करने लगें। वहां पर ठेले वालों से, दुकान वालों से, टैक्सी वालों से, सट्टा करने वालों से, जुआ करने वालों से, शराब पीने वालों से, शराब बनाने वालों से चौथ वसूल की जाती है....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : शराब पीने वालों से नहीं, शराब बेचने वालों से।

(अनवरत हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सम्बन्ध में मान सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : It has been very rightly objected.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय सदस्य के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी हालत जिस राजस्थान में हो कि जहां पुलिस का हर एक आदमी, पुलिस का हैड कॉन्स्टेबिल, इन्चार्ज पुलिस स्टेशन इस तरह लोगों से चौथ वसूल करते हैं, और नियत रूप से वसूल करते हैं, एक ठेले वाला अपने ठेले में मिठाई रख कर, फल-फूल रख कर या खिलौने रख कर दिन भर इधर-उधर चक्कर लगाता है और दो रुपये कमाता है, उससे पुलिस वाले चौथ वसूल करें और फिर गृह मंत्री जी कहें कि यहां बड़ा अच्छा सुख का साम्राज्य है, शान्ति और सुव्यवस्था है, कोई गड़बड़ नही है! माननीय उपाध्यक्ष, गृह मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, वे यहां होते तो उनको जानकारी देता। अजमेर में क्लॉक टावर पुलिस स्टेशन है, वहां पर ठीक इसी तरह स्टेशन हाउस ऑफीसर ने ठेले वालों से, सट्टे वालों से, छोटे-मोटे दुकानदारों से, जुआ खेलने वालों से पैसे बांध रखे हैं। इसका एक बाकायदा फंड होता है, हिसाब रखने वाला एक अका-उन्टेन्ट होता है, रोज की जमा पूंजी का हिसाब रखता है कि इस ठेले वाले से, दुकानदार से, फलां सट्टा करने वालों से, जुआ खेलने वालों से, फलां दूकानदार से क्या वसूल किया गया, और खर्चा कितना किया गया, डी. एस. पी. को बीयर की बोतल भेजी, एस. पी. को सिगरेट पान भेजे। उनकी आवभगत में रिसेप्शन में, वैलकम में इस फंड से व्यवस्था की जाती है और बाकायदा बकाया निकाली जाती है, उसका बेलेन्स निकाला जाता है और फिर एरियर जो होते हैं उसका हिसाब रहता रहता है और हर महीने में बैलेन्स शीट बनाते हैं और इसी तरह से बनता है, जैसा शायद स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन और शुगर मिल्स में भी अकाउन्ट नहीं मेन्टेन किया जाता होगा। इस तरह का हिसाब उस थाने में (टोक टोवर) में होता है। यह हिसाब १—१०—१६५६ से शुरू होता है....

(२ म० प०)

श्री अर्जुनदास : इस प्रकार का हिसाब तो हर चौकी पर होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास २—११—१६५६ तक का हिसाब इसमें है। इस हिसाब में सब बातें लिखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि होम मिनिस्टर चाहें तो उनको दिखा सकता हूं। मैं उनके पीछे कहां तक फिरूंगा, क्योंकि मैं तो दूर रहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आप यहां पेश कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यहां पेश कर दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप पढ़ कर सुना दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें मोटी मोटी बातें हैं लोड वाले, होटल वाले आदि हैं। एक साग वाला है, इन सब लोगों से उनका हिसाब बंधा हुआ है और इसमें बराबर जमा है। अलग अलग आइटम्स हैं। जमा के अलग और खर्चे के अलग और बकाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के अलग। सब हिसाब इसमें है। इसमें मैं समझता हूँ कि....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इसमें बचत क्या रही है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें सब हिसाब लिखा है। मैं इसकी डिटेल्स बता कर सदन का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। जो हिसाब है उसमें सब है। ४७६ रु०, ६५२ रुपये रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हैन्डराइटिंग में आपका तो लिखा हुआ नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी हैन्डराइटिंग में है। इसमें जमा भी है ४८७रु० श्री ज़्वालाप्रसाद को ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कहां से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीअर की चार बोतल एस. पी. साहब को भेजी गई। डी. आई. जी आदि यह सब हिसाब इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : It be placed on the Table of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It will not cost me anything. It will be placed. यह पूरा हिसाब with the balance sheet, with balance, with arrears, along with the names of the persons from whom it has been realised; यह सारी की सारी जानकारी मैं सदन की मेज पर रख देता हूं।

(सूची अधिन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकाल में रखी गई)

और उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक जगह की हालत नहीं है। यह सब जगह का हाल है और दूसरी चौकियों का भी यही हाल है जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया। पुलिस जुआरियों और सट्टेबाजों का पक्ष करती है और कभी कभी उनको पकड़ती है और उनमें से दो चार को पकड़ लेती है और उन पर ४ या ६ रुपये जुर्माना हो जाता है और बाकी को छोड़ देती है। पुलिस को सारी जानकारी रहती है। यहां पर भी सट्टा चलता है। इसके बारे में कोई नई बातें नहीं है। मगर मैं पुलिस की इन घटनाओं के बारे में केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं, क्योंकि अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बांदीकुई और श्री माधोपुर से आने वाले सदस ने इस पर काफी प्रकाश डाला जिसमें बताया गया कि पुलिस ने किस प्रकार से चौरियों और डाकुओंको पकड़ा, पुलिस ने किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार और बलात्कार किये, वे सब बताये। मैं समझता हूं कि अगर चम्बल और भाखरा की योजनाओं पर कितना ही खर्च क्यों नहीं किया जाना और सफल क्यों न बनाया जाय लेकिन जब तक हर एक स्वाधीन नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक आप कितना ही डंडा क्यों न पीटें, लोगों का कुछ भी भला नहीं हो सकता है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को कोतवाली में बुला कर उसके साथ खोटा कार्य किया गया। बूंदी में क्या बलात्कार हुए, उन सबको कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। माननीय गृह मन्त्री आप कुछ कर सकते हैं या नहीं ? जहां तक ट्रान्सपोर्ट और एन्टीकरप्शन का मामला है वह आपके पास हैं। मगर पुलिस का सम्पर्क जनता से है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है इसलिये इसको दूर करने के लिये सक्रिय कदम उठाया जाए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और लोगों को सन्तोष दिलाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय होम मिनिस्टर से इस सम्बन्ध में और एक बात के बारे में निवेदन करता हुआ चाहूंगा कि जो, उनके सम्बन्धित विभाग का है वह बात है डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन के बारे में। वैसे तो डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन के सम्बन्ध में इस सदन में आज नहीं बहुत ही वर्षों से कहा जाता रहा है। पब्लिक अकाउन्ट्स और एस्टीमेट्स कमेटी में यह सब विषय आ चुके हैं। इतना ही नहीं नाथद्वारा में जिस समय शहादत देने आये उस वक्त भी adverse observations दिये गये हैं। जो झूठे और भुलावे में डालने वाले बयान देते हैं और जो गलत हिसाब पेश करते हैं और पब्लिक एकाउन्ट कमेटी में झूठा बयान करते हैं, जिसके सभापति श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं, मैं नहीं, बल्कि उसके समापति हैं कांग्रेस दल के चीफ व्हिप। जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट १९५९-६० के सम्बन्ध में यह विचार प्रकट करती है। यह कोई एकाउन्ट का मामला नहीं, बल्कि यह बहुत गम्भीर मसला है। गृह मन्त्री महोदय, कमेटी के सामने आकर जिस समय यह पूछा जाता है कि आपके विभाग के स्टोर के स्टोक का वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, उसके लिये कोई उल्लेख नहीं, लेकिन गलत सूचना दी गई है और कमेटी ने सूचना को गलत समझा है। उसी समिति ने, झूठा प्रमाण पत्र पेश करने में हाउस रेन्ट का मामला था, पुस्तकों के बारे में लिखा है। इसके बारे में कहां तक कहूँ, क्या नहीं लिखा। इस आदमी का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है लेकिन इसके लिये सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है, हमें दुख है। केवल दुःख प्रकट करती है और दुःख प्रकट करने से सब मामला खत्म हो जाता है। बड़े बड़े अफसर इस प्रकार छोड़ दिये जाते हैं। मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान में ऐसी बातें करके सरलर कुशासन को बढ़ावा देना चाहती है। लोकतन्त्र में विकास योजना आदि नीचे से बनती हैं इसलिये उसका विकास भी छोटा सा होता है। एक अमीन को दो रुपये रिश्वत के लेने पर या एक पटवारी को ५) रुपये लेने पर या किसी को जो चपरासी है पकड़ लेते हैं क्योंकि सरकार समझती है कि विकेन्द्रीकरण का आधार नीचे से है। मगर यह प्रशासन का सुधार ऊपर से होगा और यदि ऊपर से हुआ तो मैंने जैसा निवेदन किया उसी ढंग से होगा तो ऐसा करना बेकार है। जब आप ऊपर से डी. आई. जी. और डाइरेक्टर को हांकते है, जैसा आपने किया है, तो इससे कुछ भला नहीं होने का है। जैसा आपने बताया कि किसी के खिलाफ इन्क्वायरी बिठा दी, सत्संगी के खिलाफ केस था। आपका एन्टी करप्शन जो कमजोर केस होता है उसका प्रोसिक्यूशन करता है। सत्संगी के मामले में आपको यह एडवाइस की जाती है कि अपील की जाए, मगर आप अपील नहीं करते; सतसंगी के खिलाफ आज हाई कोर्ट में सेशन्सजज के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : I have never refused filing an appeal so far I am concerned.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहा कि अपील होगी यह बिल्कुल ठीक बात है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आखिर जब जनता में बात आती है अपील करें। अगर कोई प्रोसिक्यूशन होता है, तो छोटे केस में। अगर कोई बहुत बड़ा घोटाला करे और सामान में गड़बड़ करे तो वह बरी हो जाता है और छोटे आदमी पकड़े जाते हैं। आज भले आदमियों का ज़माना नहीं। कई लोग मुझसे सिफारिशें कराने आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मेरिट्स पर जाओ, अपना नाम एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज में लिखाओ।

प्लानिंग कमीशन ने अपनी बैठक में कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, यह बेकारी है। यह कहना कि तुम बेकार हो, तुम कमाते नहीं हो, इसलिए तुम बच्चे पैदा मत करो, यह कांग्रेस का प्लानिंग फोरम कह सकता है। मैं बेकारों की मांग नहीं कर रहा हूं। जब बेकार हैं तो फिर वे क्या काम करें। यही करेंगे। उनके लिए तो बच्चे

(हंसी)

पैदा मत करो यह फोरम है, फेमिली प्लानिंग करो। यह ह्युमन नेचर है, जब बेकार है तो क्या करें। लेकिन हमारे मिनिस्टरों को राज्य का काम करने से फुरसत नहीं है। लेकिन फिर उनके आधे आधे दर्जन बच्चे हैं। यह कांग्रेस का फोरम है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : I hope Mr. Agrawal will please refrain from passing any reflections on the Hon'ble Members. I do not approve of the expression.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था बेकारों और अन्-एम्प्लायड के बारे में।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : This is a wrong statement. The Planning Forum has never said that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It has appeared in the papers today.

श्री उपाध्यक्ष : I would like the Hon'ble Member not to refer to the reports of the press which are not reliable as yet.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is not unreliable.

श्री पी. के. चौधरी : The member must have read something in the papers.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही था, चाहे कांग्रेस फोरम ने यह सजेशन दिया हो या न दिया हो।

सर्विसेज़ के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान की सर्विसेज़ का कोई ऐसा तबका नहीं है जो गवर्नमेन्ट की पोलिसी से आज सेटिस्फाइड हो। हो भी कैसे ? मैं समझता हूं कि किसी भी केडर की सर्विसेज़ को ले लीजिये, किसी भी केडर की सर्विसेज़ को उठा कर देख लीजिए। मैं मिनिस्टीरियल और क्लास फोर सर्विसेज़ की बात नहीं करता। जहां प्रोमोशन की बात हो, जहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ट्रान्स्फर्स की बात हो, जहां अपोइन्टमेन्ट की बात हो, उनके बारे में क्वालिफिकेशन्स कुछ नहीं रखी जातीं। सदन में पिछली बार एक प्रश्न आया था। मिडिल पास को बी. डी. ओ, बेक डोर से, राष्ट्रपति ने जिसको मुकर्रर किया है. राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस व्यक्ति को नामंजूर कर देता है, रिजेक्ट कर देता है उसके लिए यह लिखा हुआ जाता है कि नहीं वह लायक है, राजस्थान की सर्विसेज़ के लिए वह लायक है, चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्ट किया हुआ हो। यह क्यों लिखा है कि नहीं वह लायक है ? क्योंकि उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन्स हैं। वे क्वालिफिकेशन्स पी. एस. सी. ने प्रेस्काइब नहीं कीं और पी. एस. सी. ने कन्सीडर नहीं कीं। लेकिन उनको मिनिस्टर करते हैं। सर्विसेज़ में इस प्रकार से प्रमोशन होता है तो डिस्कन्टेन्टमेन्ट होता है। क्यों ? मैं माननीय मन्त्रीजी कृषि और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा कि आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की चारों ओर तारीफ हो रही है, उसके पेम्फलेट्स निकलते हैं, बुलेटिन्स आते हैं, मेग्ज़ीन्स निकलते हैं, क्या वे यह बतावेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कि आपके ये जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे उनको प्रमोट किया डिप्टी रजिस्ट्रार, और जिन तीन आदमियों को प्रमोट किया तो क्या यह सही नहीं कि उनमें से दो को पी. एस. सी ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया कि वे क्वालिफाइड नहीं हैं। लेकिन सहकारिता मन्त्री कहते हैं कि पी. एस. सी ने उनकी क्वालिफिकेशन्स को कन्सीडर नहीं किया, इसलिए नज़रसानी की, इसलिए कन्सीडर नहीं किया कि उनकी क्वालिफिकेशन्स दूसरी हैं और उनकी क्वालिफिकेशन्स हैं, उनकी जानकारी के लिए फिर कहूँ........

कुछ माननीय सदस्य : दूसरे कौन से ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामकिशोर जी के बेटे तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो गये, लेकिन बाकी के लिए क्या हुआ ? उनको पी. एस. सी ने तो क्वालिफाईड मान लिया था, लेकिन जिनको क्वालिफाईड नहीं माना उनके लिए क्या हुआ ? पी. एस. सी. ने जिनका सलेक्शन किया उसकी सूचना पी. एस. सी. ने राजस्थान सरकार को दी; Vide their letter No. F.7/76 (6-5)-Rectt/59-60/'Cnn./1312 Dated 1.12.59. और इसमें १२ व्यक्तियों को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की पेन्डिग लिस्ट में रखा है और यह सही है कि वर्त्तमान असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार श्री गोविन्दकान्त शर्मा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उनको प्रमोट किया है, यह बात सही मानी जा सकती है। लेकिन दूसरा ऑर्डर है :

"Co-operative Department. Government of Rajasthan :

ORDER.

In pursuance of Government Order No. D.3/Cnf/F/1 (17). Corp/57 dated 10.8.59, the 10 th August 1959, the following Posting and transfers, are ordered with Immediate effect.

1, 2, 3.

4. Shri Kishan Mathur, Assistant Registrar, Extension, now officiating Deputy Registrar, Banking, Marketing, Processing and Warehousing at the Headquarters.

No. 5-Shri Radha Krishna, Assi-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

stant Registrar, now officiating Deputy Registrar, Bikaner Division, Hq. Bikaner." मैं यह पूछना चाहूँगा मन्त्री महोदय से कि क्या यह सही नहीं है कि इन दो व्यक्तियों को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के लिए रिजेक्ट कर दिया गया पी. एस. सी के द्वारा लेकिन उनको डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया, किसलिए किया ? क्योंकि श्री श्री किशनजी माथुर यहां के वरिष्ठ प्रधानजी, जोप्रदेश अध्यक्ष के भाई हैं और श्री-राधाकिशन पंचायत राज संघ के दामाद हैं; ये समाचार हिन्दुस्थान भर में जाते हैं। सरकार को शर्म नहीं आती है। ये मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन्स हैं, किसी का कोई साला, किसी का कोई बेटा है, किसी का कोई भाई है, किसी का कोई भानजा है, तो किसी का कोई भतीजा है। ये बातें, समाचार अखबारों में आते हैं और उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और कहते हैं कि कुछ मत कहो। हुकूमत चलाते हैं, बड़ा प्रान्त है। यदि आप इस प्रकार से जिनका ड्यु है प्रमोशन उनको मार कर दूसरों को इस प्रकार से देंगे तो सर्विसेज में डिस्कन्टेन्टमेंट फैलेगा, यूनियन सर्विसेज की बनेंगी और बगावत होगी। यह आपकी हालत अच्छी नहीं है। ये तो उदाहरण के लिए मैंने दो-एक बातें आपके सामने रखीं। राजस्थान सरकार के हर एक डिपार्टमेंट में आज पोस्टिंग्स, प्रमोशन्स और ट्रान्सफर्स को लेकर सर्विसेज में कितना डिस्कन्टेन्टमेंट, फैला हुआ है, राजस्थान की इन सर्विसेज में आज जितना डिस्कन्टेन्टमेंट, असंतोष फैला हुआ है उतना हिन्दुस्तान की और किसी सर्विसेज में नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक इस प्रकार का डिस्कन्टेन्टमेंट फैला हुआ है। छोटी सी बात के लिए चट से मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आ जाता है। किसी को दो दिन हुए पोस्टिंग ऑर्डर मिला; गये, बस ट्रान्स्फर हो गया। कल ही मेरे पास एक शिकायत आई है कि किसी तहसील में २५ तारीख को ट्रान्स्फर हुआ, कोई नेता गए पहुँचे और कहा कि यह आदमी अच्छा नहीं है इसका ट्रान्स्फर कर दो। दो दिन में ही उसका ट्रान्स्फर हो जाता है। किसी आदमी का दो दिन में ट्रान्स्फर हो जाता है, किसी का पांच दिन में ही ट्रान्स्फर हो जाता है, एक आदमी चार्ज ले चुकता है और दूसरे ऑर्डर्स पहले के ऑर्डर्स को स्टे कर देते हैं, कोई एक जगह के लिए दो आदमी हो जाते हैं। मुझे अलवर का मालूम हुआ कि एक तहसीलदार चार्ज लेने के लिए गया, पहले वाले तहसीलदार ने कहा कि मैं चार्ज नहीं दूँगा चार्ज, इसलिए नहीं दूँगा कि ऑर्डर्स हैल्ड इन अबेयेन्स आ गये, उसने कहा कि मैं लूंगा। वह भी कुर्सी लगा कर वहां बैठ गया। एक ही तहसील में दो तहसीलदार हो गये। जिस हुकूमत का यह

(हंसी)

हाल हो, वह चार्ज लेने गया चार्ज मिलता नहीं और वह भी शिखंडी की तरह से लटक गया। कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए बातें करते हैं लेकिन इस तरह से प्रशासन नहीं चलता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। ये सारी बातें जो आज दिखाई देती हैं उनके सुधार के बारे में मैं नहीं जाऊंगा । मैं समझता हूं कि राजस्थान की समस्याएं हैं वे विकास योजनायें हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो प्रोब्लम है आज वह है प्रशासन में सुधार का। योजनायें चल रही हैं। हुआ क्या ? योजनायें बनाते जाइये। कहने के लिए सवालों का जवाब दे दिया। नये मन्त्री बने हैं उनके लिए भी तो कह दूं, नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो कहा जाएगा कि उनके लिए कुछ नहीं कहा। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री। चम्बल से पॉवर लाने की बात है। चम्बल से पॉवर लाने के लिए सवाई माधोपुर से जयपुर के रास्ते पर इरेक्शन ऑफ पोल्स, खम्भे खड़े किये जावेंगे। वह खम्भे खड़ा करने का काम १॥ करोड़ की लागत का होगा और ७॥ पर्सेन्ट कमीशन दिया जाएगा। ७॥ पर्सेन्ट कमीशन, लगभग १० लाख रुपया। किसको दिया जायेगा ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक ओटोनोमस बोडी है लेकिन ओटोनोमस बोडी होने की हालत में उसका यह कोई मतलब नहीं होता कि वह कोई टेन्डर ही न मांगे। कोई टेन्डर उसके लिए इन्वाइट नहीं किया। इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए कोई टेन्डर नहीं मांगा, जब कि १॥ करोड़ का काम करवाने जा रहे हैं और ७॥ पर्सेन्ट कमीशन दे रहे हैं, करीब दस लाख रुपयों के। कोई टेन्डर इन्वाइट नहीं किया। किन्हीं लोगों को पूछा नहीं जिन्होंने राजस्थान में बड़ी मशीनरी का इन्स्टालेशन किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनायी है ये सब कन्सट्रक्शन डिपार्टमेन्टली किया है। इस कार्य को डिपार्टमेंट भी कर सकता है। लेकिन वह नहीं कर सकता जैसा कि रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आज का एडमिनिस्ट्रेशन फासिज्म और कम्युनलिज्म पर चल रहा है। इस कार्य को करने के लिये मद्रास की एक फर्म 'क्रोम्पटन एन्ड कम्पनी' को ठेका दिया गया। माल हम सप्लाई करते हैं, तैयार माल देते हैं, केवल उन्हें खंभे खड़े करने पड़ते हैं। यह कोई ऐसा टैक्निकल काम नहीं कि यहां की फर्म या डिपार्टमेन्ट नहीं कर सकता हो इस, प्रकार से सारा काम करने के लिये साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से १० लाख रुपया इस क्रोम्पटन एन्ड कम्पनी को दिया गया और देने जा रहे हैं। कोई टेन्डर्स नहीं, कोई डिपार्टमेन्टल काम नहीं, ये सारी कुछ चीजें हो रही हैं। इसी प्रकार से श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एनीमल हस्बेन्ड्री में जो सामान खरीदा गया उसके बारे में जिक्र किया। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पशु पालन विभाग के मंत्री महोदय को रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी सचेत कर दिया, मैं समझता हूं उनके कुछ कहने का असर उन पर अवश्य हुआ होगा। यह—पशु पालन विभाग का सवाल नहीं, कोई भी विभाग आप उठाकर देख लीजिये। प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी विभाग को ही ले लीजिये. पिछले साल इस विभाग द्वारा स्याही खरीदी गई थी, वह चार रुपया प्रति टिन के हिसाब से खरीदी गई थी और इस साल वही स्याही ६॥ रुपया टिन के हिसाब से खरीदी जाती है। आप कहेंगे कि इस बार खरीदी गई स्याही उससे बहुत अच्छी है, इसका स्पेसिफिकेशन दूसरा है; आदि। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बता दूँ जो स्पेसिफिकेशन पिछली साल था वही इसी साल भी है। स्पेसिफिकेशन "आई. एस. २१६ ऑफ १६५०," यही स्पेसिफिकेशन पिछली साल भी था। यह स्टेशनरी प्रिन्टिंग विभाग के रजिस्टर में मौजूद है। उस स्याही के बारे में कम्पोज़ीटरों और प्रेस मेनों ने शिकायतें की हैं। इस प्रकार इस स्याही की खरीद करीब ६० हज़ार रुपये की गई जिसमें सरकार को पचास हज़ार रुपये का नुकसान रहा। ये बातें ऐसी है जिनको समय पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बताने के लिये आप कह सकते हैं, आप यह भी कह सकते हैं कि विधान सभा का अधिवेशन चालू होता है तब ऐसी बात आती है। एक तरफ तो किसी प्रकार रेवेन्यू मिनिस्टर साहब किसी जागीर का मामला हो तो वे ऑर्डिनेन्स इश्यू करवा देते हैं, राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से। हम तो केवल ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं कर सकते केवल चिट्ठी लिख सकते हैं। इसी सम्बन्ध में मैंने एक कॉन्फीडेन्शियल लेटर चीफ सेक्रेटरी महोदय को लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि मेरी जानकारी में यह आया है कि एक स्पेसिफिकेशन की स्याही जो पिछली साल खरीदी गई थी वही स्याही इसी साल पहले वाली रेट से काफी ऊंची रेट पर खरीदी जा रही है, जिसमें गवर्नमेन्ट को बहुत नुकसान है मेहरबानी करके इसकी जांच कीजिये। मुझे इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की, दुर्भाग्य से वह सूचना नहीं मिली है और मैं यह भी कह दूं कि मैं पत्र के उत्तर का आकांक्षी भी नहीं हूँ। मेरा तो लिखने का यही ध्येय था कि इस बारे में जांच करवाई जाय और उचित कार्यवाही की जाय। अब उसके लिये क्या होता है वह स्याही डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ को जांच के लिये भेजी जाती है, उनकी रिपोर्ट देख लीजिये। पहली बार जब वह स्याही टेस्ट के लिये गई और उस पर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ की रिपोर्ट आयी उसमें लिखा है कि वह स्याही बेकार है। वह रिपोर्ट आपके विभाग के रेकॉर्ड में मौजूद है। जो रिपोर्ट सात दिन में देनी चाहिये थी वह उस विभाग ने तीन महीने में दी। उसके बाद यह देखा गया कि इससे तो बदनामी होगी, एन्टीकरप्शन में मामला जायगा, उन ऑफिसर महोदय ने टेलीफोन किया कि यह तो मेरी प्रेस्टिज का सवाल है। इसके बारे में दूसरी रिपोर्ट भेजी जाय। दुबारा उसी स्याही की जांच करके रिपोर्ट भेजी जाती है कि यह स्याही ठीक है। पहले जो स्याही खराब उन्होंने घोषित की जब दुबारा उनको लिखा गया तो वे कहते हैं कि यह स्याही ठीक है। यह हमें बताता है कि हमारे विभाग किसी लेवल पर काम कर रहे हैं, यह आज के प्रशासन का स्तर है। गृह मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या आपने इस बारे में जांच कराई है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैं सदन के सम्मुख रख रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में गृह मंत्री महोदय को फिर कह दूं आप जांच करवाना चाहें तो जल्दी करवा लें क्योंकि इसका पेमेन्ट होने वाला है और वह भी एक-दो दिन में, जो नवयुग इन्डस्ट्रीज़, जोधपुर, के नाम से है।

श्री रामकिशोर व्यास : किसके बारे में कह रहे हैं, स्याही के बारे में। यह तो विभाग मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस किसी के पास यह विभाग हो, मुझे तो यह लगता है कि इस सम्बन्ध में क्या कुछ होना जाना है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्रीजी तो हैं नहीं, मैं उनके सहयोगियों से आशा करता हूं कि वे इस बात से उनको परिचित करा देंगे और वे इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे।

अब मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हुआ लेबर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप प्रोग्रेसिव वेलफेअर स्टेट की बातें करते हैं, प्रोग्रेसिव सोश्यलिस्टिक पेटर्न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऑफ सोसाइटी की बातें करते हैं लेकिन इसमें आपने अपना मापदंड रखा है, उसी मापदंड के आधार पर हमारे यहां पर लेबर पोलिसी चल रही है, वह पोलिसी जो सरकार की है वह इस तरह की है जिसे मजदूर विरोधी आसानी से कहा जा सकता है। यह बात सही है कि उस समय धर्म संकट पैदा हो जाता है जब कि अपनी चीज़ में कोई संकट पैदा हो, कोई गड़बड़ पैदा हो, इस गड़बड़ी के कारण कोई कदम उठाना नहीं चाहते। मज़दूर हड़ताल करते रहें, मशाल जलूस निकालते रहें, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन उनके लिये होता कुछ नहीं है। मैं जिस चीज़ का जिक्र करने वाला हूं वह आप समझ गये होंगे; यहां से निकलने वाले दैनिक 'पत्र नवयुग' के सम्बन्ध में मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप जिस प्रशासन के लिये कहते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत सुन्दर है, बड़ा क्लीअर है, पक्षपात रहित है, सब के साथ एक सा व्यवहार करते हैं; आज इस अखबार को ही देखिये, आप जहां कहते हैं कि हम विज्ञापन देने की नीति में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हमारा डी. पी. आर. का विभाग इस बारे में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, क्या मैं आप से पूछ सकता हूं नवयुग को पिछले साल कितना विज्ञापन दिया गया, आज नवयुग की पोज़ीशन क्या है? आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं, जहां तक इस अखबार का ताल्लुक है आप इसको इसलिये विज्ञापन देते हैं कि आपको पत्रकारिता से प्रेम नहीं है, आपमें पत्रकारिता के प्रति श्रद्धा नहीं है। आप भले ही कहें, हमारा प्रशासन पक्षपात रहित है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मैं आपको नवयुग के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि इसको १–१–१६५६ से ३१–१–१६६० तक ६०,००० रुपये का विज्ञापन दिया गया वह भी संचालक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से जाता है। इसके अलावा आपके विभागों के, जैसा कि सोशिल वैलफेअर विभाग से ५,३२० रुपये का सबस्क्रिप्शन दिया गया है। डाइरेक्टर सोशियल एज्युकेशन से १,०५० रुपये का, ज़िला बोर्ड टोंक, जयपुर, से लगभग २५ हज़ार रुपया दिया जाता है। पंचायतों से और बी० डी० ओ० से ५,२०० रुपये का स्पेसिफिकेशन जाता है। इस तरह से करीब ४५ हज़ार रुपये का सबस्क्रिप्शन अन्य अन्य महकमों से इस अखबार को दिया जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप चन्दा किसी भी अखबार को दें, आप सारी पंचायतों को इस नवयुग के जरिये नवयुग में ले जावें। राष्ट्रदूत या लोकवाणी से मुझे कोई मोह नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी आपने इस बात की जांच की है कि क्या उन सभी महकमों और संस्थाओं को यह पत्र बराबर मिलता है या नहीं? जिस अखबार को विभिन्न महकमों द्वारा ४५ हजार रुपया आप दिलवा दें मैं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पत्र रखना चाहूंगा जो मेरे पत्र नहीं डिपार्टमेन्ट के लेटर्स हैं, इसमें राजकीय संस्कृत विद्यालय का है विकास अधिकारी और कई संस्थाओं के हैं राजकीय पाठशाला घर का है, पदमपुरा मिडिल स्कूल का भी है।

एक लेटर है विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहाबाद का, केवल तीन चार प्रति मिली: "प्रधानाध्यापक, राजकीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संस्कृत विद्यालय, चौमूं; इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, अजमेर; अध्यक्ष, नगरपालिका, सागवाड़ा; प्रधानाध्यापक, राजकीय बैसिक प्राथमिक पाठशाला, निवाई; राजकीय माध्यमिक पाठशाला, बर; गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल, पदमपुरा; गवर्नमेंट एम० पी० हायर सेकन्डरी स्कूल, अमरसर; राजकीय माध्यमिक पाठशाला, भूति; राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वाटिका; ग्राम पंचायत, करवाड़; राजकीय जनता पुस्तकालय, मथैली; डिप्टी डाइरेक्टर, सोयल एज्युकेशन, जयपुर; ज़िला पुस्तकालय, झालावाड़; सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, नागोर; डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चूरू;"

ये सारे जितने भी लेटर्स हैं, मोहर लगी है उन सब पर पोस्ट ऑफिस की। उनके अपने पेड पर लिखी हुई हैं, दस्तखत किये हुए हैं और उनमें सब में लिखा है अक्टूबर से कापी नहीं आई; मई, जून तक नहीं आई।

अब कहीं पांच कॉपी एक महीने में, कहीं सात कॉपी एक महीने में दी, कहीं सात-आठ कॉपी पहुँची एक महीने में। किसी ने लिखा है कि हमारी रकम वापिस कर दो, हमारा चन्दा वापिस कर दो। अखबार नहीं पहुंचा। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ।

अब बताइये ४५ हज़ार का चन्दा दिया और कॉपियां मिलती नहीं लोगों को। एडवान्स पेमेन्ट कर दिया आपने। किसी और अखबार को भी एडवान्स पेमेन्ट किया है? उनके लिये रहम दया नहीं आती आपको। इसी पर रहम और दया आती है! एडवान्स पेमेन्ट ४५ हज़ार का कर दिया और यह करवा कर भी कॉपी नहीं मिलती ग्राहकों को महीने में तीन। महीने-महीने कॉपियां नहीं मिलतीं। यह तो एक सुबूत है सक्युलेशन का। आप कहेंगे और क्या सुबूत है?

दूसरा और सुबूत देखना चाहें तो अखबार कितने कम छपते हैं, यह देखिये लिस्ट को। यह पार साल का हिसाब। कितने अखबार रोज रेलवे से जाते हैं। हर एक में मालूम पड़ेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अखबार रजिस्टर्ड है पोस्ट ऑफिस में। रोज जाकर पोस्ट ऑफिस में अखबार डालते हैं। १७ नम्बर का प्री-पेमैन्ट पोस्ट का; उनका रजिस्टर्ड नम्बर है। रजिस्ट्रेशन मौजूद है और कितनी कापियां वे भेजते हैं, बाकायदा उनका हिसाब रहता है, उस पर बाकायदा पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती है कि रोजाना कितनी कापियां भेजते हैं! एक एक दिन का हिसाब लिखा है, साफ। पोस्ट ऑफिस की उस पर मोहर है। कितनी कितनी? किसी में किसी दिन २५ है, ५० है, ५ है और रेलवे का मेल लीजिये। दोनों के लिये मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं और साबित कर सकता हूं इस अखबार के प्रिन्टिंग सरक्युलेशन के बारे में। आप इसके लिये एन्क्वायरी कमेटी बैठा सकते हैं। इसकी सरक्युलेशन ७०० से ज्यादा नहीं है। जिस अखबार का सरक्युलेशन सात सौ से ज्यादा नहीं उसको आप ४५ हजार रुपया सब्सक्रिप्शन के रूप में देते हैं। सात हज़ार एडवरटॉइज़मेंट के रूप में देते हैं। आप बैठाइये एन्क्वायरी कमेटी, मैं सारी बातें साबित करता हूँ। जिस आदमी को और जिस प्रेस को इतना कागज़ मिलता है, जिसको वहां से इम्पोर्ट लाइसेन्स के कोटा के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से कागज का कोटा मिलता है; आप ताज्जुब करेंगे मुश्किल से उस इतने भारी कोटे में से केवल दो-तीन रीम रोज की, अखबार छापने में खपती है। जिस आदमी और जिस प्रेस ने ५० हजार रुपया सालाना कागज़ का ब्लैक करके कमाया है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं ! जो पेपर पचास हज़ार सालाना ब्लैक कमाता है, जिसको डी. पी. आर. से ४५ हजार सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलते हैं। इतना ही नहीं इसकी व्यवस्था और बताऊं। आपने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा। म्युनिसिपेलिटी और इलेक्ट्रिक बोर्ड से १७ हजार का और एडवरटाइज़मेन्ट के रूप में मिलता है। जयपुर स्पिनिंग मिल से ७ हज़ार का इन्तजाम किया गया, ब्यावर मिल से दस हजार, जयपुर उद्योग से २४ हजार साल, कोटा एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज़ से पांच हजार सालाना, फिर कोटा स्टोन को कैसे नहीं मिलेगा लाइसेन्स और परमिटें, पांच हजार नकद जो देता है। भीलवाड़ा मिल से मिलता है ५ हजार, पाली मिल से पांच हजार, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से १२ हजार दिलवाये जाते हैं, सरकारी मशीनरी के मार्फत लोकल ऑडिट एण्ड समन्स से १२ हजार और १७ हजार सिनेमा विज्ञापनों के रूप में और इधर-उधर से दिलाये जाते हैं। सारी मशीनरी इसके पीछे लगी है। इस तरह से करीब २ लाख और ७२ हजार का हिसाब बैठता है सालाना और फिर आप कहते हैं पैसा नहीं है इस अखबार के पास ! लेबर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मजदूर क्यों हड़ताल करते हैं, क्यों मशाल जुलूस निकालते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी कोई फैक्ट्री या मिल या अखबार भी होता तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट में कोर्ट में चालान कर दिया होता। मिनिस्टर महोदय भी तुरन्त कह सकते हैं कि हमने भी केस को कोर्ट में भेज दिया है, इसका भी कोर्ट में केस है। पर कोर्ट में इन्स्पेक्टर साहब जाते नहीं पेशी पर। तारीख पड़ जाती है। होटल में इन्स्पेक्टर साहब को चाय पिलाई और विदा कर देते हैं। आखिर ये सारी बातें क्या हैं ? और आप ? आप कहते हैं नुकसान है ! आप कहते हैं यह नहीं है ! आपने गवर्नमेन्ट की एजेन्सी सारी पीछे लगा रक्खी है। मुझे तो अफसोस इस बात से होता है, मुझे कोई नवयुग से दुश्मनी नहीं, सम्पादकजी से दुश्मनी नहीं और कोई दूसरों से प्यार नहीं। पर मुझे बात बुरी लगती है जब राजस्थान सरकार की सारी एजेन्सी लगी हो, घाटा न हो तब भी घाटा बताया जावे, राजस्थान सरकार का पैसा जिसमें लगा है। हमारे यहां के डी. पी. आर. हटे तो कैसे हटे ? वह नहीं हट सकता। ६० हजार इस अखबार को देता है वह डी पी. आर. ! कैसे हट सकता है ? मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रक्खी हैं आप इस सम्बन्ध में पूरी पूरी जांच करेंगे, छान-बीन करेंगे, अगर आपमें साहस हो तो आप एन्क्वायरी बैठावें, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं साबित करूंगा इनको।

सदन को घाटे की बात कही गई। लेबर मिनिस्टर साहब कह देते हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये एक बात बता दूं कि यह अखबार घाटे में नहीं है। सालाना बीस पच्चीस हजार की डिमान्ड है लेबर की। बीस पच्चीस हजार का तो एक दिन में पेमेन्ट हो सकता है। पैसे की कमी नहीं है। आप कहेंगे यह कैसे, सुबूत दीजिये। आप सुबूत नहीं, पक्का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सुबूत लीजिये। मैं देता हूं। इस अखबार का कितना फायदा, कितना प्रोफिट हैं। में बताता हूं, पक्के सुबूतों के साथ! तो देखिये इन सज्जन को लोन की जरूरत है और लोन के लिये साहब ने एक एप्लीकेशन दी बैंक को कि साहब मुझे इतना एडवान्स ओवरड्राफ्ट करने की इजाज़त दी जावे। इसके लिए बैंक का एक फोर्म होता है एडीशनल एप्लीकेशन फार्म। इसमें ये भरे हुए हैं सारे कॉलम्स। एक कॉलम है "The profit and net income for the last financial or accounting year." यह आइटम नम्बर आठ है। इसमें बताया गया है ४३ हजार। ४३ हजार का लाभ मन्जूर किया है पिछले साल का और ये दस्तखत किये हुए हैं उनके। किसी और के नहीं हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बता दीजिये, आप एविडेन्स पर भरोसा न करें तो। इसके ऊपर दस्तखत हैं ऋषि कुमार मिश्र फोर प्रोपराइटर। यह उनके हाथ के लिखे दस्तखत हैं, उनकी मोहर लगे हुए दस्तखत हैं। वे प्रोपराइटर हैं। प्रोपराइटर कहता है ४३ हजार का मुनाफा है। आप पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट जांच कर सकती है। पेपर के बारे में इतना मुनाफा बताते हुए भी इन्होंने सैल्स टैक्स का एक पैसा नहीं दिया, सेल्स टैक्स में एक पैसा नहीं दिया। हजारों रुपयों का ब्लैक में पेपर बेचा, पर गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स एक पैसे का नहीं दिया। यह डिपार्टमेन्ट राजस्थान का क्या करता है ? मैं साबित करूंगा। जितना स्टोर से पेपर लिया उसका पैसा जयपुर बैंक में जमा हुआ कैश बुक में। बैंक में यह भी बुक में लिखा है कि किस दिन कितना पेपर निकाला। वे खरीदते हैं और सीधा बैंक में रख देते हैं। वहां से जैसे जैसे निकालते हैं रोज लिखते रहते हैं, किसी दिन कागज निकाला दो रीम, किसी दिन तीन रीम और किसी दिन चार रीम कागज निकालते रहते हैं, अपने कन्ज़म्प्शन के अनुसार। पर फिर महीना बीस रोज में इकट्ठा ही पांच सौ रीम निकाल लेते हैं, जैसे और जिस समय ब्लैक में ग्राहक मिला और उसे बेच देते हैं। हिसाब-किताब में उसको इन्होंने जमा नहीं किया। बैंक में सीधा दस हजार जमा करा दिया। आप देखिये। रजिस्टर मौजूद है। हिसाब सब मौजूद है। रोज रोज दो-दो, तीन-तीन रीमों से ज्यादा नहीं निकाला। पर महीना-बीस रोज में एक दिन पांच सौ निकाल लेते हैं। इतनी रीम की कैसे जरूरत पड़ती है? आप इसकी जांच करें। कोटा का कागज ब्लैक में बेचा है, तो इसकी तो खैर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कोटा डिस्ट्रिब्यूटिंग डिपार्टमेन्ट कॉग्नीजेन्स ऑफेन्स लेगा सो लेगा, पर आप इतना कॉग्नीजेन्स तो ले ही सकते हैं कि इतना मुनाफा होते हुए भी इसने एक पैसा सेल्स टैक्स का नहीं दिया। आप जांच करिये। सेल्सटैक्स दिया है या नहीं, चुंगी चुकाई है या नहीं ? आप जांच करें। अब इससे अधिक क्या सुबूत आप चाहेंगे। इसलिये अर्ज करता हूं आपसे कि यह आपका एसोसियेटेड पेपर है, आपका एसोसियेटेड पेपर है, आपका अखबार है!

यह सवाल खड़ा किया था डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में, उस पर स्पेशल अंक निकाला था, विभाग का विशेषांक। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं। उसमें एक चीज़ और थी। उस समय सरकार ने कहा एस. के. डे. का भाषण होगा। उनके भाषण की कॉपियां बांटनी हैं इसलिये उनके भाषण की हजारों प्रतियां छपवाईं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

३) रु.प्रति के हिसाब से किताबें दीं। तीन हज़ार किताबें। आप कन्फर्म कर लीजिये और यह भाषण वही भाषण है जो दैनिक नवयुक के विशेषांक में लिखा निकला है। उन्होंने देखा कि जब अखबार निकालेंगे तो इतनी प्रतियां और एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। उन्होंने उतनी कॉपियां और एक्स्ट्रा निकाल लीं और उस की एक की तीन रुपया कीमत रक्खी। उसके पेजों को देखते हुए मुश्किल से वह बुकलेट चार-छः आने की हो सकती है। यह तो ऐसी बात हुई कि जैसे ऑल इण्डिया एग्ज़ीबिशन में जो अभी दिल्ली में हुई डी. पी. आर. ने कुछ घड़े खरीदे और घड़े खरीदे पांच पांच रुपये में एक एक। घड़े कौनसे ? पानी भरने के घड़े जो चौड़े रास्ते में छः आने का एक मिलता है। सफेद और काला घड़ा और जो गृहमंत्रीजी के घर के पास पांच पांच आने में मिलता है।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : लाल ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो पांच पांच रुपये में घड़े खरीदे। मैं जरा उस सम्बन्ध में इतना निवेदन कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will allow me in accommodating the other members.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। मैं घड़े पर आ गया हूं। अब इसको

(हंसी)

फोड़ता ही हूं। मैं निवेदन कर रहा था। घड़ों की जरूरत इसलिये पडी कि दरवाज़े बनाये थे, उनको सजाना था। तो कहा, घड़े खरीदने हैं, किसी को बताया और कहा कि इन घड़ों पर मीनाकारी होगी, कुछ इसकी सजावट होगी, इसमें लाइट होगी तो घड़े वालों ने सवाल किया कि फिर इसमें छेद भी होगा। उत्तर दिया हां छेद तो होगा। उसने कहा तब तो बहुत से घड़े फूट जावेंगे। एक में छेद करने की कोशिश की और नहीं हुआ छेद करते करते फूट गया तो दूसरे में कोशिश करनी पड़ेगी तो इस तरह से बहुत से घड़े फूटने की सम्भावना है। हां, तो यह भी हो सकता है और छेद होने के कारण एक एक घड़े की कीमत पांच पांच रुपया दी। अब उसने क्या किया कि कच्चे घड़े लिए और पेन्सिल से छेदकर के पका लिये। वह अपने पक्के घड़े क्यों फोड़ने लगा। उसके वही मुश्किल से ६ आने लगे और आपसे उसने ५ रुपये ले लिए। उस प्रदर्शिनी में राजस्थान गवर्नमेन्ट ने ६ लाख रुपये खर्च किये ? क्यों नहीं खर्च करते, आपकी स्टेट किसी से कम थोड़े ही है, आप कोई अमेरिका से कम थोड़े ही हैं। मैं इस प्रदशनी और डी० पी० आर० के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता और घड़े पर ही अपनी बात करता हूं। वह तो प्रदर्शिनी में जो कुछ खर्च हुआ उसके बारे में तो बातें पब्लिक अकाउट्न्स कमेटी में हो जायेंगी लेकिन अंत में एक बात और कहना चाहूंगा और वह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बात गृह मंत्रीजी और हमारे यहां के विकास के मंत्री के लिए खास तौर से कहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत कुछ डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के बारे में कहा गया। जिला परिषदों में विकास के कार्यों के लिए मेम्बरों

Page No.73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को भी एक सदस्य रखा गया है और उसमें वह काम करते हैं। पर जहां तक मेरी कॉन्स्टिटयुएन्सी का सवाल है आपने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाज़ेशन की स्कीम लागू कर दी, लेकिन सिटीज़ का जहां तक सवाल है उनके अन्दर के जितने भी विकास हैं उनके लिए कभी मैम्बरों को नहीं पूछा जाता। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि आपने जयपुर शहर या दूसरे और शहरों के विकास के लिए क्या योजनायें बनाई और अगर जो कुछ बनाईं भी तो क्या उनके लिए सदस्यों से पूछा गया? आपने शहरों कि लिए अर्बन इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट बना दिया, पर आपने उसको अभी तक लागू नहीं किया है और वह लागू इसलिए नहीं किया है कि आपने देखा कि यहां पर दूसरा बोर्ड बन जायेगा। फिर यह तो वही बात हो गई जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने रेल्वे के बारे में किया और ऑर्डर्स निकाले कि सेकिण्ड क्लास का डिब्बा नहीं रखो और फिर उसकी जगह स्पेशल क्लास लिखवा दिया और फिर कुछ गड़बड़ी हुई और फिर ऑर्डर्स निकले कि नहीं, फिर वापिस सेकिण्ड क्लास लिखवा दो। इसी तरह से आपके पास भी न तो कोई काम हैं और इसीलिए बैठे बैठे कह दिया कि अच्छा जौहरी बज़ार तोड़ दो। अब माननीय गृह मंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी कहेंगे कि हमने जयपुर के विकास की योजना बनाई है, पर इसकी साक्षी जयपुर से आने वाली महिला सदस्य देंगी और आप उनसे पूछो कि क्या कभी आपने किसी विकास योजना के लिए किसी सदस्य से कुछ पूछा। स्कीम्स के बारे में डेवलपमेन्ट प्लान के बारे कभी किसी को नहीं बुलाया, कभी किसी से बात नहीं की। क्योंकि वहां हमें बुलाने से यह इर्रेग्युलेरिटी नहीं हो सकती। लेकिन हम कहते हैं कि आपको जो कुछ करना है करो, लेकिन डेवलपमेन्ट के बारे में गृह मन्त्रीजी आपकी भी चौकड़ी सड़ती है, हल्दियों का रास्ता कच्चा पड़ा है और सारे शहर के रास्ते ही कच्चे पड़े हैं, पहले को पक्का कराना चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि शहर में अधिकतर गलियां कच्ची पड़ी हुई है, वहां पर कोई बूढ़ा आदमी नहीं चल सकता है अगर चलता है तो ठोकर खाकर गिर पड़ता है, वहां पर साइकिले नहीं चल सकती, मोटरें नहीं जा सकतीं। अगर आप सारे शहर को अन्दर से पक्का करवा दें तो मैं कह सकता हूं कि हां, वाकई में आपने विकास की कुछ योजना बनाई है। मैं आपको बताऊं कि जौहरी बाजार में ऐसे खम्भे लगाये हैं जैसे दो आदमी दोनों तरफ लटक जायें। लेकिन न्यूयार्क टाइम्स ने एक बार कहा कि जयपुर प्राचीन महलों, स्थापत्य कला के कारण बहुत ही सुन्दर नगर है। वह जयपुर में इसलिए नहीं आते कि यहां कोई मोडर्न सिस्टम की बिल्डिंग्स हैं। वे कभी 'सी' स्कीम या दूसरी जगह नहीं जाते । वे जयपुर की सड़कों को देखते हैं, जयपुर के बड़े बड़े बाजार को देखते हैं। उसने कहा है, इट इज़ पैरिस ऑफ इन्डिया। पर अन्दर का उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हाल है। यहां तो सड़कों के बीच में सड़कें बनती हैं, पेड़ उखाड़कर दूसरी जगह ले जाते है। तो पहले आप गलियों को सुधरवाइये। विकास की योजनाओं को लेकर, जनता का सहयोग लेकर फिर काम करना चाहिए। इसलिए मैं गृह मन्त्री जी और स्वायत्त शासन मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगा और सम्पूर्ण मन्त्री मण्डल से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों की, जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैंने सदन के सामने रखी हैं उन पर गंभीरता से विचार करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राव श्री नारायणसिंह मसूदा।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् आज हमने एक प्लान इकोनोमी योजना, पद्धति की अर्थव्यवस्था अंगीकार की है और इसमें जो एक मेरुदण्ड के प्रकार से है वह स्टेटिस्टिकल एवीडेन्स है। अभी हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं और हम शुरु से ही यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह अनुभव करते चले आये हैं कि यदि हमें किसी प्रकार की कोई प्लान इकोनोमी के ऊपर चलना है, योजना पद्धति के ऊपर चलना है तो हम बिना स्टेटिस्टिक्स के पूरी तरह से नहीं चल सकते। बिना स्टेटिस्टिक्स यदि हमने आगे बढ़ने का साहस किया तो यह ठीक, हवा में लकीर फेरने के बराबर होगा। इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कई प्रकार की स्टेटिस्टिक्स की कमियां महसूस कीं। राजस्थान में हम इन्डस्ट्रियल सर्वे, मिनरल सर्वे, वन उपयोगी भूमि का सर्वेक्षण और इसी प्रकार के कई और सर्वेक्षणों की कमियां हम महसूस करते आये हैं। आज हम इन्डस्ट्रीज़ को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बिना इन्डस्ट्रियल सर्वे के इस बात का निश्चय नहीं कर सकते कि हम किस प्रकार की इन्डस्ट्री कहां लगायें, किस प्रकार की इन्डस्ट्री के लिए कहां कच्चा माल मिल सकता है और फिर कौन सी इन्डस्ट्री लगायें स्माल स्केल या बड़ी ? इससे फॉरिन ट्रेड में भी लाभ होगा। इसी प्रकार से मिनरल सर्वे की कमी के कारण आज हम देखते हैं कि आज सेन्टर से जहां कहीं सर्वे हुए और उसकी बुनियाद पर हम काम तो कर गए, वह तो रहा लेकिन हमारे पास पूरी तरह मिनरल की सर्वे आज भी मौजूद नहीं है। इसी तरह वन विभाग की सर्वे की कमी के कारण हम बिना किसी तरतीब के कहीं जंगल बढ़ाने की प्रवृत्ति पर चल देते हैं या जंगलों को कम करके कृषि में परिवर्तित करने की नीति पर चल देते हैं; इस प्रकार की कमियों को महसूस करते हुए कुछ कदम राज्य सरकार ने उठाये भी और डाइरेक्टोरेट ऑफ इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स कायम हुआ, जिसने काफी हद तक कुछ काम किया है। फिर भी वहां जितना आवश्यक कार्य हो जाना चाहिए था उसमें आज भी यह शिकायत आती है; स्टाफ इत्यादि की कमी और व्यावहारिक कमियों के कारण जितना काम अन्जाम देना चाहिए नहीं दे सकते। इस भूमिका में हमारे सामने अब राज्यपाल महोदय के कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस कमी को पूरा करने की और हमारे कदम बतायेंगे, तो उससे हमें बड़ा संतोष होता है।

सबसे पहले तो उन्होंने टैक्नो इकोनोमिक सर्वे बाई नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि यह काफी व्यापक सर्वे होगा और इससे काफी लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से मैन पॉवर समितियों का भी संकेत किया है। मैन पॉवर का तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए एक बड़े महत्व

(श्री नारायणसिंह)

का स्थान है। हर इन्डस्ट्री में, हर स्थान पर मैन पॉवर की कमी आज हमें महसूस होती है। यद्यपि हमारे देश में बेकारी काफी है, लेकिन फिर भी जिस इन्डस्ट्री के लिए जो उपयुक्त मैन पॉवर चाहिए वह हमें नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि इस मैन पॉवर समिति की जो रिपोर्ट हमारे अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स और प्लानिंग कमीशन इत्यादि के साथ उनका विचार विमर्श होकर प्रस्तुत होगी वह काफी उपयोगी होगी।

इसके अलावा, सिंचाई के काम नियमित और व्यापक सर्वे की ज़रूरत भी महसूस की गई है और यह स्पष्ट हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही सिद्ध होता है कि जितनी सिंचाई योजनाएं हमने क्रियान्वित की हैं उनसे आज जितनी सिंचाई भूमि की की जानी चाहिए, जो लक्ष्य था, जो टार्गेट था उससे असल में बहुत कम भूमि आ पाई है, तो इसका कारण।कुछ इस प्रकार की कोई व्यवस्था की कमी ही हो सकती है।

इसके अलावा, एक टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में एडवाइज़री कमेटी का भी ज़िक्र किया गया है। मैं यह मानता हूं कि जो हमारे राजस्थान में एक प्रकार लेबर समस्याएं हैं, स्थानऔर किसी प्रकार की दूसरीसमस्याएं हैं जिनसे टैक्स्टाइल इन्डस्ट्री को काफी धक्का लगा है और उसके प्रोडक्शन में काफी धक्का लगा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एडवाइज़री कमेटी काफी इसका कार्य कर सकेगी।

इसके अलावा, सर्विसेज़ के लिए ट्रेनिंग की ओर उनकी रिसर्च और खोज की आदत को बढ़ावा देने की ओर जो संकेत किया है, सरकार की रुचि जाहिर की है। क्लर्क्स के लिए डिप्लोमा कोर्स और राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में किफायत किस प्रकार से की जाय, उसके लिए कमेटी की बात है। वह में समझता हूं काफी बुनियादी कमी को दूर कर पायेगी।

कृषि औज़ारों की फेक्ट्री का भी ज़िक्र किया गया है। कृषि औज़ारों की फेक्ट्री वास्तव में बहुत ही ज़रूरी होगी, और कृषि प्लानिंग सब कमेटी की रिपोर्ट में भी यह साफ ज़ाहिर किया गया है "We must have in the Third Five Year Plan a programme of improved tools and equipment used by the large mass of workers who are engaged in rural and urban areas in different economic activities or in small groups." अगर हमको लेबर की पॉवर कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो वास्तव में उनको बराबर टूल्स और इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। तो जो कृषि हमारी एक बुनियादी आवश्यकता है और उसमें यदि हम इस प्रकार की कोई फैक्ट्री और दूसरे भी जो कदम उठाये हैं वह हम करते हैं तो वह वास्तव में हमारी काफी सेवा कर सकेंगे।

इसके अलावा, कुछ सदस्यों ने केबिनेट एक्सपेन्शन के बारे में भी ज़िक्र किया और उन्होंने यह कहा कि राज्यपाल महोदय ने ऐसे अहम विषय को अपने भाषण के अन्दर नहीं रखा। केबिनेट एक्सपेन्शन, मैं मानता हूं कि बहुत आवश्यक था और काफी अर्से से था, जो कई क्लेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स बहुत ही कम मंत्रियों के पास हो चला था

Page No.76

(श्री नारायणसिंह)

जिससे कार्य की प्रगति में कुछ कमी पड़ती थी, उसके लिए यह आवश्यक था। मैं मानता हूं कि कुछ पोर्टफोलियो का वितरण हुआ है वह कुछ समझ में कम आता है और इसके साथ साथ अन्य जो सदस्यों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं कि जब हर प्रकार के तत्वों को लेने की कोशिश की गई है, तो महिलाओं की तरफ से उदासीनता क्यों की जाय। तो वास्तव में मैं भी इसमें एक मत हूं कि महिला भी एक केबिनेट के अन्दर सदस्या होनी चाहिए और उसको भी स्थान मिलना चाहिए............

श्री उपाध्यक्ष : महिलाओं की तरफ से इस पर कोई जोर नहीं दिया गया है।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अब देंगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह इस घसपस में नहीं फंसना चाहती हैं।

राव श्री नारायणसिंह : अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत ही महत्व की चीज़ आती है वह हमारे प्रजातन्त्र के विकेन्द्रीकरण की चर्चा है। प्रजातन्त्र विकेन्द्रीकरण बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाकर हमने वास्तव में एक बड़ी भारी क्रान्ति गांवों में पैदा की है और यह अत्यन्त आवश्यक था। हमने प्रजातन्त्र को ठीक नीचे तक उतारने की कोशिश की है। इतना ही नहीं आज तक हमारे योजना कार्य ऊपर से थोपे हुए चलते थे और ऊपर से थोपे हुए कार्य चलने के कारण साधारण जनता में रेस्पोन्सिव और रेस्पोन्सिबल लीडरशिप क्रियेट होने में जो बाधा उपस्थित होती थी, वह इस प्रकार की पद्धति से अलग हो सकती है। यह वास्तव में राजस्थान ने बड़ी हिम्मत से पहला कदम उठाया है, लेकिन इस मुबारकबाद के साथ ही हमें इसमें जो बुनियादी कमियां हैं उनकी ओर हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी। कई बार यह उपालम्भ ग्रामीण जनता पर किया जाता है कि उनमें स्थानीयता के, जातीयता के और कुछ असामाजिक व्यवहार जिसको मैं कहूंगा, ऐसे आचरण बहुत आ जाते है जिससे सारा वातावरण वहां का दूषित होता है, लेकिन वास्तव में यदि परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाय तो कितनी ही ऐसी स्थितियां भी पैदा होती हैं कि जब कोई व्यक्ति जो जातीयता, स्थानीयता इत्यादि से अलग रहना चाहता है वह जब यह देखता है कि उसी से कोई दूसरे एक विशेष प्रकार का लाभ उठाते हैं यदि उनका व्यक्तित्व इतना पक्का नहीं तो वह भी उसी तरफ ढुलक कर चले जाते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था पैदा करनी चाहिए हमें ऐसे जन मानस को नेतृत्व देने की आवश्यकता है जिससे जातीयता, स्थानीयता को बिल्कुल निर्मूल कर सकें। तभी हम उनको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं।

हमारी जो प्लानिंग पद्धति रही और ऊपर से थोपी हुई चीजें चलीं उसके कारण उनमें जो स्थानीय जनता में एक इनीशियेटिव था, किसी भी प्रकार का इनीशियेटिव था, इलइनफार्मड इनीशियेटिव था, पुरानी परम्परा से बन्धा हुआ इनीशियेटिव था, वह मारा गया। हम मानते हैं कि बीच में ऐसा समय भी आया है जब कि उनका एक्सप्लोयटेशन हुआ। जिस समय फॉरेन रूल हुआ उस समय उनको विकास करने का

(श्री नारायणसिंह)

बड़ा ही कम अवसर मिला, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद जो कुछ किया हुई, हमें स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी जो योजना पद्धति स्वीकार की, उसके अनुसार जो कार्य चला हमारे अलग अलग ब्लॉकों में वह ऐसा था जैसे कि खैरात में कुछ बांटा जाता है। एक आर्टीफिशियल एम्प्लॉयमेंट क्रियेट हुआ, एक आर्टीफिशियल टेम्पो क्रियेट हुआ, सारी चीज़ आर्टीफिशियेलिटी की तरफ चल पड़ी और इसी कारण जो वहां पर जनता कुछ मायनों में स्वावलम्बी थी, आत्म-निर्भर थी, वो खुद के अपने इनीशियेटिव पर चल सकती थीं, वे और अधिक परावलम्बी होने लगीं। यह तो मैं मानता हूं कि फॉरेन रूल के कारण पराये सहारे की तरफ, राज्य की तरफ देखने की प्रवृत्ति हमारे लोगों की हो गई, लेकिन फिर भी उस प्रवृत्ति में परिवर्तन करने में हम कुछ कम रहे और इसी कारण जो आज तक हमारी योजना पद्धति चली उसका केवल फल यही निकला कि हमारी साधारण जनता का सारा इनीशियेटिव बदला और वे यह देखते रहे कि इस प्रकार से जैसा अकालग्रस्त एरिया में काम चलता है अथवा जो स्थान नियत है उसमें उसी प्रकार काम चलता रहे और आर्टिफिशियल एम्प्लोयमेंट होता रहे और एक प्रकार की इन्फ्लेशनरी आमदनी होती रहे तो एक प्रकार से गलत पद्धति गलत प्रकार के नियोजन से चली। कांग्रेस रिपोर्ट में भी यही बात आती है "Selfishness and dependence are the out come of exploitation." यह बात सही है लेकिन जो सेल्फ रिलायन्स पैदा करना था उसमें यह न्यूनता आती है। इसमें हमने अनुभव किया कि ग्रामीण जनता जो थोड़ा बहुत इनिशियेटिव पर परंपरागत चलने वाली थी उसको भी वह खो बैठी। विकेन्द्रीयकरण की जो व्यवस्था है वह आज के ज़माने में किस ढंग की है, यह देखना पड़ेगा। ग्रामीण जनता का जो 'मानस है वह सारा पूर्व ढंग का बन चुका है। अपने नियोजन के लिये सही ढंग से नहीं सोचते। आज हम चाहते हैं कि ग्रामीण जनता नियोजित ढंग से चले। ग्राम की योजना है वह किस प्रकार की होनी चाहिये और खपत व उत्पादन की योजना क्या है? उसके लिये कोई मांग उनके दिमाग में नहीं है। इसलिये उनसे जो योजना मांगी जाती है तो अधिक से अधिक जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हीं की ओर वे लोग दौड़ते हैं और एक दूसरे की होड़ करते हैं। दूसरों के यहां बिजली है इसलिये हमारे यहां भी बिजली होनी चाहिये, हमारे यहां रेडियो होना चाहिये, टेलीविजन होना चाहिये, पक्की सड़कें होनी चाहिये, स्कूलों के लिये ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिये। उनका खयाल शिक्षा की जरूरत की तरफ नहीं जाता बल्कि स्कूल के बिल्डिंग की तरफ जाता है। पंचायतों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन पंचायत बिल्डिंग की तरफ उनका ध्यान पहले जाता है। इस प्रकार से जनता का नियोजन करने का मार्ग दूसरी तरह का हो गया है। इसके लिये हमें स्टेट लेवल पर डाइरेक्टिव और इनीशियेटिव भेजना पड़ेगा। अन्यथा हम थोड़ी डींग हांकेंगे कि हमने गांवों से योजना बनवाई है। गांव तो अलग रहे, डिस्ट्रिक्ट्स से भी जो योजनाएं आयेंगी वे भी इतनी महत्वकांक्षी होंगी और इतनी बड़ी होंगी कि उनको पूरा कर सकते हैं या नहीं इस बात का ख्याल नहीं होगा। उसमें केवल एक दूसरे की होड़ का ख्याल होगा और अनावश्यकता की ओर

(श्री नारायणसिंह)

प्रवृत्ति होगी और वह योजना हजारों और लाखों में जायेगी । आज हमारे

(३.२ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

यहां राजस्थान में २७६ करोड़ की योजना बनाकर हमने रखी है जिसे हम सेंटर के सामने भेजेंगे । इससे भी कहीं अधिक पंच गुणी योजना आयेगी जिसको प्रूनिंग करना पड़ेगा और उसका परिणाम यह होगा कि जहां से योजना आयेगी उनका आत्मविश्वास गिर जायगा क्योंकि वे कहेंगे कि हमने इतना मांगा और इतना मंजूर हुआ । किसी गांव के लिये या किसी समिति के लिये प्राथमिक आवश्यकता की चीज कौनसी है यह देखना होगा और प्रथम आवश्यकता की चीज़ देखने के लिये कुछ बुलेटिन्स देने पड़ेंगे जिनसे गांवों में आत्म निर्भरता का ख्याल हो और यह ख्याल हो कि देश की आवश्यकता क्या है, राज्य की आवश्यकता क्या है, और देश किस प्रकार से अन्न की कमी को पूरा करना चाहता है और तृतीय पंच वर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है और उसका क्या असर पड़ सकता है ? इन मोटी मोटी बातों को देखते हुए इनकी ओर ध्यान देना चाहिये । खपत और उत्पादन के संबंध में क्या करना चाहिये, सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में क्या करना चाहिये तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के संबन्ध में जो आवश्यकताएं हैं गांवों में उन पर ज़ोर दें और नियोजन करें । खपत और उत्पादन के संबन्ध में यह चर्चा आती है कि इसमें कोऑपरेटिव की तरफ प्रवृत्ति और मूवमेंट चालू हैं । उसको यदि फलित करना है तो सर्विस कोऑपरेटिव आदि की दिशा में बढ़ना पड़ेगा । हरएक गांव में मार्केटिंग सोसाइटीज स्थापित करना जरूरी होगा । लेकिन इसके लिये भी फाइनेन्स और फंड्स आदि के कई प्रश्न सामने आते हैं उनको भी पूरी तरह से हल करना पड़ेगा । कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि जहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं वहां ऐसी विलम्बित व्यवस्था होती है कि सारे ऑपरेशन्स रुक जाते हैं और लोगों का साहस टूट जाता है और वास्तविक चीजें समय पर नहीं पहुँच पातीं । आज की क्रेडिट सोसाइटीज को देखिये इनकी जो पद्धति लम्बी चौड़ी है उससे कोई इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट या दूसरी तरह का डवेलपमेंट आसानी से नहीं हो सकता । जो स्माल स्केल कोऑपरेटिव्ज़ हैं या दूसरे लोन के मामले हैं अथवा दूसरे मामले हैं । उनको प्राप्त करने में इतना समय लग जाता है कि असली समय निकल जाता है । जैसे बीज बांटने का ही काम आप देखें तो कोऑपरेटिव्ज़ को इतनी देरी से मिलता है कि वास्तविक बोने का समय जो होता है वह निकल जाता है । इन चीजों से कोऑपरेटिव मूवमेंट ग्रामीणों में अच्छी तरह से पनप नहीं पाता और ग्रामीणों के दिमाग़ में शंका हो जाती है । पहले जो ब्रिटिश राज्य था उसको जैसा बनाया गया और उसमें जो नौकरशाही का जोर और ज़ुल्म था उसको देखा होगा और आज जो व्यवस्था बदली है उस पर लोगों का भरोसा नहीं है और दूसरी जो विलम्बित पद्धतियां हैं ऑफिशियल रूटीन की उनसे कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हो जाता है और कोऑपरेटिव की तरफ से लोगों का मन बदल जाता है । यदि कोऑपरेटिव्ज़ को हमें बढ़ाना

(श्री नारायणसिंह)

है तो वे स्थितियां पैदा करनी पड़ेंगीं जिनसे ये बढ़ सकें । यह कोऑपरेशन का काम नियोजना आदि का है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आदि का काम विलेजर्स को देना पड़ेगा और धन वगैरह की आवश्यकता होगी वह कोऑपरेटिव सेक्टर में बढ़ानी पड़ेगी । आज मुझे इस बात की शंका है कि हम एक एक सेक्टर में कितना धन जुटा सकते हैं । वास्तव में जितनी धन राशि हमें प्राप्त है उतनी मिल जाय तो बहुत है । मैं आगे निवेदन करूंगा कि जो पोलिसी बनाई है उसके लिये जो आवश्यक वातावरण होना चाहिये । चाहे सरकार की ओर से चाहे दूसरी तरह से, उसकी ओर पहले ख्याल करने की आवश्यकता है ।

मैं जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का ज़िक्र कर रहा था उनके बारे में अर्ज़ करूंगा कि यदि हमें इस व्यवस्था को जन प्रिय बनाना है, यदि उनसे सही लाभ लेना है और कुछ योजना से लाभ लेना है तो आज जो पहले समितियां बनी हैं उन्हें सफल बनाने की तरफ रुख करना होगा । उनको बनाकर ही निश्चित नहीं बैठ जाना होगा । सन् १६६१ में फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा । हरएक पंच और प्रधान की शिकायत है कि फंड्स की कमी है, नौकरियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है ।
हमारे पास में जो कार्यविधि होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण नहीं है । तो इन स्पष्टीकरण के न होने के कारण जो काम में रुकावटें आती हैं ....

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घन्टी के पश्चात पुनः)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : You carry on.

श्री नारायणसिंह : तो उनके समक्ष व्यवहारिक दिक्कतें आज आ रही हैं, कई प्रकार की, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेन्शियल और नौकरियों आदि के बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ, उनसे जो दिक्कतें आ रही हैं, आते आते आज शुरू में जो कुछ उपालम्भ हुए, वे उन पर पड़ने वाले हैं, न कि उनकी दिक्कतों पर । आज हम फन्ड्स को, अवधि को आगे बढ़ा देने के लिए, फाइनेन्शियल रिलेनिस करने के लिए, कार्यविधि में रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं करेंगे तो वे सन् १६६१ में जनता के सामने फिर वोट मांगने के हकदार नहीं रहते और इस प्रकार की व्यवस्था में जो पद्धति हमने उन पर स्थापित की है, वह जनप्रिय नहीं हो सकती है । जब जिला परिषद् का भी एक स्वरूप मौजूद है, जिला परिषद् का, बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट से प्रेरणा लेकर, स्वरूप बनाया गया है, जिसे चिट्ठी रसे का स्वरूप कहा जा सकता है, एक कोऑर्डीनेशन का काम जरूर कर रही है । हम चाहते हैं कि केवल कोऑर्डीनेशन का काम ही वह करे, उसके ऊपर कोई विशेष एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन का दायित्व न हो, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कॉर्डीनेशन के लिए यदि जिला परिषद् के काम रुकने की स्थिति उठानी है, वह उठायें तो वह वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर होगा, इससे जिला परिषद् को हटा देना आवश्यक है । लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिला परिषद् की आवश्यकता है, जिस प्रकार की जनतंत्रीय विकेन्द्री-

यकरण करके व्यवस्था बनाने चले हैं, उसमें जला परिषद् महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। कई प्रकार के टैक्सेशन इत्यादि के जैसे विषयों पर, जब सदन के सामने बिल प्रस्तुत था, तो स्थान स्थान पर कहा था, कहा टैक्सेशन की पॉवर देनी चाहिये, कहां दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल देना चाहिये, इन बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अब फन्ड्स का जहां सवाल आता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फन्ड्स, सारे आज जितने भी जहां थे, वहां सारे सरकार ने ले लिये और वह इस मन्शा से लिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फन्ड्स बराबर जिला परिषद् में वितरित किये जायेंगे। यह ठीक है कि जहां यह नई पद्धति आई है, वहां नये खर्चे भी आ गये हैं और स्टेट ऑफर्स को रिप्लेनिश करने के लिये, उन सब फन्डस को इक्ट्ठा करना आवश्यक है और वितरण बराबर करना भी, परन्तु स्थानीय जनता ने किस विशेष भूमिका में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सेस के रूप में दिया, वह इस विचार से दिया कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यह काम हमारे लिये कर सकती है। उसको कुछ विचार में रखते हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने फन्ड्स हैं, उसके अनुपात में जिला परिषद् को फन्ड्स मिलना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो भी प्रोपर्टी थी, फन्ड्स थे, वे काफी हद तक ज़िला परिषद् को देने चाहिये। जीप इत्यादि की भी दिक्कत हमारे सामने आती है। सैद्धान्तिक रूप से यह ठीक है कि वह गाड़ी से, ऊंट से या पद यात्रा करे। वास्तव में जितना काम फैला हुआ है, उसको देखते हुये समिति के प्रधान अपनी अपनी जीप में घूमते फिरें और जिला परिषद् के प्रमुख केवल पूल से जीप उपलब्ध कर सकें या किसी खास कारण में समिति से जीप लेकर चलाते रहें। वहां दिक्कत आयेगी, प्रथम तो यह असंगत सी बात है कि जिस प्रमुख का या प्रधान का सारे कॉर्डीनेशन का कार्य है, उसे जीप नहीं मिलनी चाहिये और इवेल्यूएशन का काम है, उसे जीप नहीं मिलनी चाहिये। दूसरी असंगत बात यह आती है कि यदि वे समितियों से ही केवल जीप उपलब्द करके अपने दौर की व्यवस्था करें तो समिति क्षेत्र से बाहर जीप से जा नहीं सकते। ऐसी हालत में एक हद से दूसरी हद में कई जीपों में जायें तो काम चल सकता है, यह अव्यवहारिक बात है। इन छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करेंगे और जिला परिषद् के बहुत से प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से दायित्व देंगे, तभी जिला परिषद् कुछ अपना मूल्यवान स्वरूप रख सकेंगी और कुछ कार्य कर सकेंगी। अगर हमें जनता की दायित्वशील प्रवृत्ति बनानी है तो पहले उनका जो कार्य अधूरा है, प्लान के अन्तर्गत अथवा दूसरी प्रकार से छूट गया है, उनको दूर करने की तरफ हमें उनको मदद देनी चाहिये, तभी उनमें कुछ उत्साह आयेगा, प्रेरणा आयेगी और बढ़ सकेंगी। जो साइकोलोजी ऑफ डिपेन्डेन्स के बारे में अर्ज किया था, उसमें हमारी रिपोर्ट ऑफ दी कांग्रेस प्लागिंग सब कमेटी है, उसमें वाक्य आता है, Promise little and fufil more इस सिद्धान्त को लेकर क्या तो राज्य स्तर पर, क्या ठेठ नीचे से स्तर तक यदि हम प्रेरणा कर सकें, प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सारी चीज़ों की दूर करने की तरफ हम कदम उठायें तो जनता के अन्दर हम विश्वास पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत लम्बी चौड़ी स्कीमें खींच दें, लम्बी चौड़ी योजना बना दें,

(श्री नारायणसिंह)

ऊपर न पहुंचे । आज अजमेर सैकिंड फाईव ईअर की बात है, उसमें आठ करोड़ की धनराशि है,लेकिन उसमें से आज आधी रकम भी खर्च नहीं हो पाई है । कई मुद्दों में वे कमियां हमारे सामने आती हैं और मेरी समझ में नहीं आती कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों की दूसरे किस प्रकार से वह त्वरित गति लाई जा सकेगी कि वह चार करोड़, जो कुछ धन राशि बची हुई है, सिंचाई योजनाओं में, दूसरे दूसरे सीगे में, वह एक साल में खत्म हो सकेंगी । यदि एक साल में खत्म नहीं हो सकेंगी तो पंचायत समितियां और जिला परिषद्, ये तो बदनाम होंगी ही लेकिन इसके साथ साथ जो उस क्षेत्र को उस योजना से लाभ मिलने वाला था उससे वंचित रह जाता है । तो इन सब दिक्कतों के होते हुए जो कानूनी सुधार हमें करने हैं, उन पर विचार करके हमें, जो प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीयकरण की पद्धति रखी है, उसको सफल बनाने की तरफ पूर्ण प्रयास करना चाहिए, उसके साथ ही साथ प्रशासनिक दायित्व विकेन्द्रित करने की आवश्यकता है । आज उस दिशा में हम सेन्ट्रलाइज़ प्रकार का सिस्टम देखते हैं, टेक्निकल सेंक्शन, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन में, हर प्रकार की दूसरी चीजों में हम यह देखते हैं कि हर चीज सेक्रेटेरियट और मिनिस्टीरियल लेवल तक आती है और पीछे उसी दायरे में ऊंट की ऊंची गरदन की तरफ घूमती हुई उतरती है । इस विलम्ब से प्लानिंग का काम भी त्वरित गति से नहीं चल सकता और दूसरे कामों में ठपक पड़ती है । इस कांग्रेस रिपोर्ट ने एक हायर ऑडिट ऑफ परफॉर्मिंग का भी सुझाव दिया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है : general audit of delays, corruption and extravagance. इनों चीजों को गिनाकर उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह चीज़ जब तक हम इन चीज़ों पर पूरा ध्यान नहीं लगायेंगे और इनको पूरी तरह हल नहीं करते तब तक प्रशासन में त्वरित गति नहीं आ सकती । हम आज इन प्लान्स के ज़रिये वह प्रगति करना चाहते हैं जो दूसरे देशों में सैकड़ों वर्षों में हुई है, इस इमर्जेन्सी में उसी प्रकार की इमर्जेन्सी की भावना एडमिनिस्ट्रेटिव में होनी चाहिए, जो उतनी ही त्वरित गति से चल सके । इसके बाद में खास तौर से जो हमारे यहां के भूमि सुधार हैं, उस विषय पर मैं आता हूं । इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि राजस्थान ने भूमि सुधार की ओर काफी कदम उठाये हैं, बराबर इन पीछे के सात आठ सालों में । उसके बाद दूसरे जो सुधार होने चाहिए, वे किये हैं, विधिगत सुधार हुए हैं, लॉ के हिसाब से, सब लॉज़ बने हैं लेकिन उस जल्दीबाज़ी में हम कई तत्व भूल भी गये हैं । आज भूमि सुधार के अन्दर पहला कदम जो आवश्यक है, वह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वह भी हुआ है । दूसरा कदम जो था, बड़े जमींदारों का सफाया हो, वह भी हुआ है । तीसरा कदम था कि बड़े बड़े होल्डिंग्स न रहें ताकि जो लैंडलैस हैं उन्हें सेटल किया जाय, वह चीजें भी हमारे पीछे के एक दो सत्रों में हुई और इसके साथ ही साथ कल्टिवेशन, उत्पादन वृद्धि, साधन समृद्धि और कृषि के तरीकों को ठीक करने की ओर भी प्रयास हो रहे हैं । अभी मैं इस विगत में नहीं जाना चाहता कि वे प्रयास किस हद तक सही माने में ठीक दिशा में किये जा रहे हैं । फिर भी काफी प्रयास हो रहा है और हमारे यहां का उत्पादन बढ़ता है । पर इस लेजिस्लेटिव जल्दीबाज़ी में इस सुधार को

(श्री नारायणसिंह)

इतना आगे ले जाते हैं कि जो समय का ख्याल नहीं करता, जो स्थानीय वातावरण और जन मानस का खयाल नहीं करता तो हम इसमें एक बड़ी भारी भूल कर देते हैं। हमारे सामने बड़ा भारी दृष्टान्त मोहम्मद तुगलक का है जिसने करेंसी में बड़ी भारी क्रान्ति की थी, पेपर करेंसी सिस्टम शायद पहले पहल उस ही ने शुरू किया था। पर वह प्रयास समय से पहले होने के कारण और उस समय के वातावरण और जन मानस के अनुकूल न होने के कारण असफल रहा। तो मैं आज इस बात का ज़िक्र करना चाहता हूं कि बिस्वेदारी, जमींदारी, खेवटदारी एबोलिशन का कानून राजस्थान में आया। मैं मानता हूं कि जागीरदारी और दूसरे तबकों के खत्म होने के बाद में जमींदारी, बिस्वेदारी और खेवटदारी रहने का कोई प्रश्न नहीं, पर जहां ऐसा प्रश्न आता है कि कई ऐसे बिस्वेदार, खेवटदार हैं जो केवल खुद उस ज़मीन को जोत कर खाते हैं, जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं, जिनकी माली हालत ऐसी है कि उदर पूर्ति के लिए पूरे साधनों को जुटाने के लिये उसे कुछ न कुछ और काम करना पड़ता है, चाहे तो स्थानीय सेवाएं हों उनसे लाभ उठावें, चाहे मिलिट्री में जावें, उसे अपने अपूर्ण साधनों को पूर्ण करने के लिए यह सब काम करने पड़ते हैं। ऐसी सूरत में यदि वह अपनी काश्त को किसी दूसरे को अपने किसी भाई बन्ध को, जिसे सीर सांटा कहते हैं, सीर सांटे को देकर जाता है तो उसको रेकरेंटिंग या सब्लेटिंग में नहीं लिया जा सकता। गिरी हुई माली हालत के कारण उसे उस ज़मीन को गिरवी भी रखना पड़ता है वैसी स्थिति में भी इस चीज़ को जैसे साधारणतया देखते हैं, वैसे नहीं देख सकते। अजमेर में कई खेवटदारियां ऐसी हैं कि राजा टोडरमल के समय से जिनकी स्थिति बनी है और विकट पहाड़ियों को काट काट कर टेरेस कल्टिवेशन की तरह उनको डवेलप किया है। यदि उन पहाड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि कितनी दिक्कत, मेहनत और खर्च के साथ यह सब कुछ तैयार किया गया हैं। इन जमीनों को तैयार करने में और डवेलप करने में पीढ़ियां की पीढ़ियां कर्जे से दबी रहीं और बड़ी दिक्कत के साथ, बहुत अधिक खर्चा कर के इनको डवेलप किया है। यदि हम ऐसे लोगों पर भी वही मापदण्ड रखें जो पांच पांच, छः छः हज़ार की बड़ी जमींदारी पर रखते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है, इस पर हमें विचार करना होगा। हमें देखना होगा कि आज केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व भर में कहीं के कृषक को ले लें, वह कृषक जितना अपनी भूमि से प्रेम रखता है उतना प्रेम वह अपने कुटुम्ब से भी नहीं रखता। यह कारण है कि लोगों में आज कैश मांगने की बजाय भूमि मांगने की प्रवृत्ति रही है, लोग कैश ले कर किसी बिज़नेस में चले जाने के बजाय भूमि लेना पसंद करते हैं।

तो हम रिफोर्म की एक जील में, अन्धविश्वास में इतना आगे बढ़ जायं, वस्तु स्थिति को माने बगैर इतने आगे बढ़ जायं तो इसका एग्रो इकोनोमी पर बड़ा भारी घातक आघात होगा।

तो मैं निवेदन करूंगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में कहा है कि रिफोर्म करना है, पर समय देखना है, हमें देखना है कि प्रेजेंट प्रोप्राइटर्स को कहां तक हिट करें।

(श्री नारायणसिंह)

मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि We may not drive the pincers of reforms so deep in his heart that he is finished. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कांग्रेस प्लानिंग की रिपोर्ट है उसका भी यही संकेत है, यही इशारा है कि "In the context of the Third Plan, the process of socialistic transformation will have to be related to the level of consciousness of the people and the capacity of the different parties to adjust to the changes involved".

इस चीज़ को खास ख्याल में रखने की आवश्यकता है। मैं यहां रूसी क्रान्ति ने एक शब्द दिया है उसको ले कर कहना चाहता हूं। हमने यहां प्रजातन्त्र कायम किया है न कि टोटेलिटेरियन कानून, हमारा पेटर्न सोशियेलिस्टिक स्टेट बनाना है, वह भी पार्लियामेंटरी पद्धति के आधार पर ही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मिक्स्ड इकोनोमी पर आधारित है। तो हमें यहां देखना होगा कि : 'Mensheviks' are the backbones of democracy.

मैं उस रूसी भाषा में बोल रहा हूं, वहां कहा गया कि 'मैन्शेविक' हमारे काम का नहीं है, हम 'बोल्शेविक' से क्रान्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, यहां 'मैन्शेविक' कहने की आवश्यकता नहीं, पर समानान्तर हैं उनके लिये कह रहा हूं, उनके पास आसरा है, अपनी ज़मीन है पर आज 'बोल्शेविक' पद्धति का मजदूर ज़मीन से उखड़ा हुआ है, उसका आधार केवल उसकी मजदूरी है, जहां हमारे पीजेन्ट प्रोप्राइटर के पास अपनी धरती है, वहां उसके पास हताशा, निराशा और बिल्कुल फ़िकलसी जिंदगी है। तो हमें यहां प्रजातन्त्र कायम रखना है तो 'मैन्शेविक' के आधार पर ही हम प्रजातन्त्र कायम रख सकेंगे, इसको हमें नहीं भूलना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सभापति महोदय ने स्वयं काफी समय लिया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी लिया है....

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) सभापति महोदय ने कोई समय नहीं लिया।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) The Chairman did not have any time.

श्री नारायणसिंह : लेकिन उन्हीं विचारों से आज जो बिस्वेदारी और खातेदारी एबोलिशन एक्ट बनाया और खास करके अजमेर और दूसरे लोगों के लिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इसके अन्तर्गत एतराज पड़े हुए हैं उनको ठीक तरह से देख कर, उन एतराजों को दूर करने के लिये सही संशोधन लाये जावें। यह तो हम नहीं कह सकते कि हम प्राइवेट प्रोपर्टीज़ को खतम करने वाले हैं। मैंने निवेदन किया कि हमारा संविधान भी इस तरफ नहीं जाता कि प्राइवेट प्रोपर्टी को खतम कर दिया जाए। फिर हमारे यहां पर सीलिंग एक्ट लागू है जिसमें आप ३० एकड़ भूमि देते हैं। फिर फालतू जमीन है उसकी समस्या हल हो जाती है। इसलिये फिर कोई फ़िकर करने की जरूरत

(श्री नारायणसिंह)

नहीं है कि ५१६ एकड़ भूमि किसी पीजेन्ट के पास रह जावे । ऐसा तो कोई मक्सद नहीं है कि पीजेन्ट प्रोपर्टी को खत्म करने से हमारा मतलब हल हो जावेगा । तो इस दृष्टि से इन चीजों का संशोधन करना होगा । अगर यह भी कहा जाय कि प्लानिंग कमीशन ने ओनरशिप पर जोर दिया है और यह बात कांग्रेस मेनिफेस्टो में भी रखी है । तो इन चीजों को देखते हुए यह तो नहीं हो सकता कि हम एक दम socialistic pattern of society बना दें और socialism की वृत्ति लोगों में पैदा कर दें ।

इसके अलावा दूसरी चीज में खास तौर से नेशनेलाइजेशन पर एतराज़ करना चाहता हूं । ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइज़म एक बड़ा कदम है । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि गवर्नर ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र कहीं नहीं किया और इसका जिक्र कहीं नहीं पाया जाता है । आज ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में जो इस प्लानिंग में खर्चा ६ करोड़ ३० लाख ७५ हज़ार का है और इससे इन्कम १० करोड़ ४२ हज़ार की विसिलाइज़ की गई है । इस तरह से हम ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ करना चाहते हैं, नेशनलाइजेशन होगा ।

इसमें प्रथम तो हमें यह विचारना होगा कि जो स्टेट के कर्मचारी और कार्यक्रम हैं उसमें इतनी राष्ट्रीयता और राष्ट्र की भावना पैदा की है कि वे इतने पर्सनल एफर्ट कर सकेंगे जितने प्राइवेट कन्सर्न में किये जाते हैं । दूसरी चीज़ यह देखने की है कि ट्रान्सपोर्ट में कुछ रूट नेशनलाइज़ हो गये और कुछ रूट छोड़े गये । गवर्नमेंट कोई भी काम करती है वह पब्लिक प्रोफ़िट के लिये करती है और इससे पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को प्रोफ़िट मिलता है । इसमें इस बात को भी देखना होता है कि जो पेइंग रूट्स हैं उनको गवर्नमेंट ने ले लिये और जो नोन पेइंग हैं और अनूइकोनोमिक रूट हैं उनको दूसरों के पास रहने के लिये छोड़ दिये हैं, यह बात किस प्रकार न्यायसंगत हो सकती है । इसलिये हमें यहां सोचना होगा कि नेशनलाइजेशन किस प्रकार से करें और मैं यह कहूंगा कि हमें नेशनेलाइजेशन ट्रान्सपोर्ट का ही नहीं बल्कि हर एक ट्रेड का करना होगा । मैं तो यहां तक कहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट के लिए ही नेशनेलाइजेशन नहीं हो बल्कि हर एक ट्रेड के लिये नेशनेलाइजेशन होना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें नेशनेलाइजेशन की पोलिसी केवल धन के लिये नहीं करनी है । हमें अपने रिसोर्सेज़ को देख कर यह करना चाहिये और यही हो रहा है । हमारा संविधान निजि संपत्ति को रखने की सुविधा देता है और वह हमारे अधिकारों की मूल धारा है । इसके बाद हमारी निश्चित अर्थ व्यवस्था होनी चाहिये और अर्थ व्यवस्था में सुधार होना चाहिये और यह होना निश्चय है मगर इसमें हमने यह देखा कि जो पहले की परम्परागत केपेटलिस्टिक टेन्डेन्सी और ट्रेन्ड की परम्परा थी उसको समाप्त करके हम सोशियलिस्टिक टेन्डेन्सी बनावें और वह इस परम्परा से बनावें कि उनके इस वातावरण को परिवर्तन करते हुए उस चीज़ को लावें, न कि टोटेलेटेरियनिज़म से जिस प्रकार लावें, जो ज़बरदस्ती से कराया जावे और वह करना हो । इसलिये हमने निश्चित सोशियो-इकोनोमिक निर्णय रखा और उसके बाद घोषणा की समाजवाद की ।

(श्री नारायणसिंह)

अब इन तीनों को लेकर हमने जो निश्चय किया है उसमें हमको डर क्या था ? इसके लिए हमारी भूमिका क्या होनी चाहिये ? हमारी खास बुनियादी भूमिका यह थी कि हम प्रजातांत्रिक ढंग से समाजवाद लाना चाहते हैं और योजनाओं में परिवर्तन ला कर । यह बड़ा भारी प्रयोग है । हम प्रजातांत्रिक ढंग से योजनाओं में परिवर्तन ला कर समाजवाद लावेंगे । ऐसा करके हम उन टोटेलिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट्स को जवाब देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि स्वतन्त्रता को समाप्त किये बिना ही समाजवाद लाया जा सकता है जो इस बात को नहीं मानते । जो इस बात को मानते हैं कि स्वतन्त्रता को समाप्त किये बिना समाजवाद नहीं लाया जाता । हम यह बात देना चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता विकसित होते हुए भी, व्यक्ति की स्वतन्त्रता रहते हुए भी समाजवाद लाया जा सकता है । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा यह संविधान मिक्स्ड इकोनोमी पर बनाया था । इसको हम इम्परसोनल मैनेजमेंट और सभी नेशनलाइजेशन की पोलिसी में मिला कर रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं । आज हमारे यहां संविधान में जहां निजि सम्पत्ति का महत्व है और व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रख सकता है और जहां पर कोई निजि व्यक्ति ट्रान्सपोर्ट चलाते हैं और कहीं पर सरकार किसी रूट को नेशनलाइज़ कर देती है । तो हमारी नेशनलाइज़ की पोलिसी में युनिफोर्मिटी नहीं रहती । इसलिए इस युनिफोर्मिटी को लाने के लिए ट्रान्स–पोर्टेशन में कोऑपरेशन पद्धति होनी चाहिये और इसके अलावा दूसरी स्टेट ट्रेडिंग हैं उनमें भी यही कोऑपरेशन की पोलिसी होनी चाहिए । सेन्टर में यह कोऑपरेशन है, उन्हीं तरीकों पर स्टेट लेवल पर भी कोऑपरेशन कायम किया जा सकता है । इससे मेरा मतलब यह है कि जो लोग आज कई वर्षों से इस काम को करते आये हैं और जिनको अनुभव है उनको भी इसमें शामिल किया जाए । जो लोग इस विषय का ट्रेड करते आये हैं जैसे बस चलाने वाले हैं उन लोगों को भी इसमें हमको हिस्सा देना चाहिए । इसमें ५० पर्सेन्ट शेअर हमारी स्टेट का होना चाहिए तो ५० पर्सेन्ट शेयर दूसरे लोगों का जैसे लेबर हैं, बसेज़ के मालिक हैं, उन लोगों का होना चाहिए । इस प्रकार से कोऑपरेशन से चलावेंगे तो लोगों को ब्यूरोक्रेसी का जो खतरा पहले रहता था और इससे पैदा हो जावेगा इससे हमको राहत मिलेगी । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हर जगह पर नेशनलाइज़ेशन में इसी पद्धति से आगे बढ़ना चाहिए और नेशनलाइज़ेशन को आगे बढ़ाना चाहिए । जहां इन्डस्ट्रीज के नेशनलाइज़ेशन का प्रश्न आता है, मैं यह कहूंगा कि सबसे प्रथम तो कौन कौन से उद्योग पब्लिक सेक्टर हैं और कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं इसकी तरफ हमारा दिमाग साफ होना चाहिए । कभी २ हम इस प्रकार कदम उठाने में, इसमें नियोजित पद्धति से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को, नहीं समझ पाते । किसी को पब्लिक और किसी को प्राइवेट सेक्टर यों ही मान बैठते हैं । इस कोऑपरेशन के सम्बन्ध में कहीं भी जिक्र नहीं है और न हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहीं इसका जिक्र है जो बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज़ थी । आज हमको इस चीज़ का बंटवाड़ा

(श्री नारायणसिंह)

करना होगा कि कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं और कौन कौन से पब्लिक सेक्टर हैं। यदि हमारे पास अर्थ की कमी होगी तो भी काम चल जावेगा। उनके अनुभव का फायदा भी मिलेगा और सरकार को आर्थिक हानि भी ज्यादा नहीं होगी। इस प्रकार से हमने ५० प्रतिशत शेअर सरकार का रखा है और ५० प्रतिशत दूसरे लोगों का इसके अलावा हमने जो बातें संविधान में एग्री की हैं उसके अनुसार इसके अलावा दूसरी पद्धति नहीं लगा सकते।

इन सारी बातों का मकसद यह है कि बड़ी २ इन्डस्ट्रीज़ में स्टेट का हिस्सा लगावें और केपिटलिस्ट का भी हिस्सा रहेगा और दोनों को उसका फायदा मिले। इससे सरकार पर आर्थिक भार भी कम होगा और मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से चलेगा और बुरा नहीं होगा और लेबर जो काम करती है उसको भी उसका फायदा मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम gradual transformation from 'Bolshevik' sort of things को करें तो वह बहुत आसानी से चला जावेगा। ज्यों ज्यों हम बढ़ते जावेंगे हम प्रत्येक इन्डस्ट्री में हाथ बढ़ाते जावेंगे। इस प्रकार से हम कुछ हासिल कर सकते हैं अन्यथा हमारा physical target इफेक्ट होता है। हमारा जो राजस्थान का प्लान पास हुआ वह २७६ करोड़ का है। आज भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कितना खर्च हो जावेगा। इसका जो फिजिकल टार्गेट रखा गया है उसमें प्राइस लेवल सन् १६५२-५३ की रखी है। प्राइस लेवल ऊपर जावेगी और इसके हिसाब से हमारा फिज़िकल टार्गेट शर्तिया कम होगा। अगर हमारा सारे राष्ट्र का १० हजार करोड़ का सीलिंग है तो उसके मुताबिक ही २७६ करोड़ का हमारा प्लान एड्जस्ट किया जावेगा और २७६ करोड़ के एड्जस्टमेंट में ५०.६० करोड़ तो यों ही खो देने पड़ेंगे और प्राइसेज सेक्टर को अलग वर्क करें तो १०० करोड़ खो देते हैं। इस तरह से हम २०० करोड़ से ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें कोर ऑफ दी प्लान सोचने की आवश्यकता है। मैंने प्लान पढ़ा है। लेकिन जो कोर ऑफ दी प्लान होगा, जो अत्यन्त आवश्यक चीजें हमको करनी है उनका निरूपण क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल क्रियेट करना चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ हम यह नहीं भूल सकते कि हमको प्रोडक्शन पोटेन्शियल की भी व्यवस्था करनी है। उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हमको मिडिल क्लास की प्रोब्लेम को भी देखना है और उनको देखने के बाद व्यवस्था करनी है।

एजुकेशन के प्लान को फ्रेम में रूप दिया गया है। उसमें भी ४७.५ करोड़ का इसी प्रकार आइटम दिया गया है। ४७ करोड़ के इस प्लान फ्रेम में भी उसी पद्धति से इसमें ३५.४० करोड़ ही रहने वाला है। हमने एजुकेशन में टार्गेट्स रखे हैं, वे ये हैं कि ६ से ११ तक की एज के ग्रुप के लिए अनिवार्य शिक्षा कर देंगे क्योंकि यह हमारी कॉन्स्टिट्युशनल ज़िम्मेदारी है। हम कॉन्स्टिट्युशनल ज़िम्मेदारी से एक गैर ज़िम्मेदार तरीके से रिहाई चाहते हैं हमें यह देखना है प्रथम तो ६ से ११ तक के ग्रुप के बच्चों के लिए शिक्षा साधनों को देखते हुए अनिवार्य कर भी सकेंगे या नहीं? दूसरा यह भी देखना है कि पांचवीं क्लास तक पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी आवेंगे वे पांचवी कक्षा तक पढ़ कर

(श्री नारायणसिंह)

फिर डुल जाते हैं तो पांचवीं कक्षा तक शिक्षा भी साफ हो जायगी उनकी, ऐसा हो जायगा कि इमारत तो बना दी लेकिन उसकी छत नहीं बनाई। उसकी भीतें भी गिर जायेंगी। उसकी कन्टीन्यूटी आप सोशियो एजुकेशन तक नहीं करते हैं तो वह कन्टीन्यू नहीं रख सकता है।

बेसिक पद्धति को चलाने के लिए काफी प्रश्न चला। न तो बेसिक है और न व्यवहारिक ही। जहां बेसिक एजुकेशन का ख्याल करते हैं वहां हमें यह भी खयाल करना पड़ेगा कि उस बेसिक एजुकेशन को स्थायी कैसे बनायें? हमारे पास उस बेसिक एजुकेशन के लिए प्रथम तो इवेल्युएशन का ऐसा स्टाफ भी है जो इवेल्युएट कर सके, देख सके कि वास्तव में कितने दर्जे में बेसिक एजुकेशन हो रही है। हमारे टीचर्स लापरवाह हैं, उदासीन हैं, उनकी या तो पेरोल की तरफ देखने की प्रवृत्ति है या बराबर टीचर शहर के नजदीक ट्रान्स्फर कराने में रहता है या अपने स्थान की तरफ लगे रहने या जाने की करता है, तो शिक्षा की ओर जो उसका ध्यान जाना चाहिये वह नहीं जाता है। हमारी रिपोर्ट में भी टीचर्स के लिए सुन्दर विधि से कांग्रेस प्लानिंग कमेटी ने कहा है :

"At present the education of younger generation is left in the hands of rawand inexperienced graduates. The question of exploiting the experience of senior persons on the completion of their term of training, for educational purposes should be carefully examined." आज बड़े विचारकों ने भी ऑर्गेनाइज़ेशन स्तर पर, हाईयेस्ट स्तर पर यह महसूस किया है कि टीचर का केलिबर ठीक नहीं है। सिलेक्शन में डिफेक्ट है और आगे उनकी सारी कार्य-विधि में डिफेक्ट है, इवोल्यूशन और स्टाफ में डिफेक्ट है। उनको हटाये बगैर केवल हम यह कह दें कि इतने स्कूल खोलने वाले हैं या इतनी धन राशि खर्च करने वाले हैं, यह काफी नहीं होता है। वास्तविकता को देखना होगा। सीमित साधनों को भी देखना होगा। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के साथ कुछ ऐसी एजुकेशन भी होनी चाहिये जिससे जो विद्यार्थी पांच साल तक वहां शिक्षा लेता है वह पुन: कृषि में जाकर काम कर सके। उसका पिता यह न समझे कि साक्षर हो कर, पढ़ लिख कर गर्त में पड़ गया। आज यह होता है। पांच साल के बाद उस तरह रहता नहीं है। काश्तकार है तो एग्रीकल्चर ऑफीसर बनने की तरफ जाना चाहता है और आगे जाकर ट्रेड यूनियन की तरफ चला जाता है। व्यवहारिक ज्ञान उसको कितना मिलता है और स्थानीय वातावरण में पीछे जाकर बैठ सकता है या नहीं यह देखने की आवश्यकता है। बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उसको टैक्निकल एजुकेशन भी देना है। उनकी प्राथमिकताओं का विचार करना पड़ेगा कि बेसिक एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन के जनून में ही रहें। ६ से ११ तक के ग्रुप के जनून में ही रहें या टैक्निकल एजुकेशन का भी खयाल करें। आज हमें टैक्नोलोजिस्ट की इतनी आवश्यकता होगी कि वे आवश्यकतायें पूरी हुए बगैर हमारा प्लान, जो आज तक का अनुभव है, प्लान की जो प्रवृत्तियां हैं वे अधूरी ही रह जाने वाली हैं। इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। टैक्निकल एजुकेशन की तरफ अधिक से

(-श्री नारायणसिंह)

अधिक ध्यान देना पड़ेगा । इन सीमित साधनों में हमको यह देखना है ।

आगे मल्टीपर्पज़, सैकन्डरी स्कूलों का जिक्र आता है । ये अधिक बढ़नी चाहिये । वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़नी चाहिये । यह भी विचारधारा बनी हुई है कि कॉलेज एजुकेशन होने के बाद नौकरी की आवश्यकता न हो । ग्रान्ट इन एड के जो रूल्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये । एजुकेशन में प्राईवेट सेक्टर से जो धन आता है तो वास्तव में वह पब्लिक सेक्टर के लिये ही आता है । यह एक अच्छी प्रवृत्ति है । हमें उसको रोकना क्यों चाहिये ? हम यह क्यों करना चाहते हैं कि we are the only wisest people on the earth जो दूसरे प्रयोग करने वाले हैं, सारा जीवन जिन्होंने उसमें खपा दिया है उनको क्यों नहीं अवसर देते हैं ? प्राइवेट इन्स्टिट्यु-शन्स बना रखी हैं उनको प्रोपर्ली एड देकर, उनको भी हम क्यों न कोऑर्डिनेट कर लें ? वे एक तरह से पूरक तत्व की तरह से हमारे साथ होंगे । हम यह भी विचार कर लें कि नेशनेलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन एक तरह न करते हुए हम प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा का पूरा अवसर देते हैं कि यदि एजुकेशन की तरफ कुछ करें तो करते रहें ।

३

३. ५०. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार से दूसरी दूसरी प्रवृत्तियां हैं- टैक्निकल एजुकेशन आदि की जिनमें प्राइवेट सेक्टर पूरे मनोभाव से आता है, उसे आने देना चाहिये । हमें उन्हें हतोत्साह नहीं करना चाहिये । हम अकेले ठेकेदार बन जायं, ऐसा ध्येय नहीं होना चाहिये ।

अब अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संस्कृत के विषय में अर्ज़ करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will wind it up early.

श्री नारायणसिंह : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने संस्कृत और आयुर्वेद के बारे में काफी प्रकाश डाल दिया है । मैं उनके विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ । आज हमारा संस्कृत का ज्ञान कम होने की वजह से....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Narain Singh, it has been much stressed. I think he has left no room for other speakers.

श्री नारायणसिंह : इस विषय में अधिक अर्ज़ नहीं करूंगा । इसके अलावा एक विशेष समस्या जो आज हमारे सामने आती है वह घुमक्कड़ जाति के बारे में हैं । उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी हमें ध्यान देना होगा । उनको हम एक जगह बसाने की सोच रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी जो प्रवृत्ति चली आ रही है उससे हमें यह सोचना होगा कि हमें उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये प्रबन्ध करना होगा । यह ठीक है कि जो जमी हुई जातियां है उनसे तो हमें वोट लेना है इसलिये उनके लिये तो हम सब कुछ करते हैं लेकिन जो फिरती हुई जातियां हैं उनकी शिक्षा-दीक्षा और स्वास्थ्य के लिये भी हमें विचार करना होगा । हमें इसके लिये कुछ मेडिकल और एजुकेशनल मोबाइल सिस्टम सोचना होगा । इस प्रकार का केडर हमें इवोल्व करना होगा ।

अब हमें प्लानिंग के विषय में भी

(श्री नारायणसिंह)

सोचना चाहिये । प्लान पद्धति से हम देश की व्यवस्था बनाना चाहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है ।

राव श्री नारायणसिंह : खास तौर से हमारे यहां आई० ए० एस० और आर० ए० एस० की सर्विसेज़ हैं । राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी अब तक बिज़नेस ट्रेनिंग दूसरी प्रकार मैकेनिकल और टेक्निकल इलेक्ट्रो इज्युकेशन इत्यादि दूसरी सर्विसेज हैं उसका निरूपण नहीं हुआ है, इन सब बातों को भी सोचने की आवश्यकता है । इस तरह से हमें कई प्रकार की सर्विसेज़ चालू करनी होंगी, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से काम चलने वाला नहीं है । इस सब के लिये राज्यपाल महोदय ने जो विशद रूप से व्यवस्था करने की बात कही है टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेसीलिटीज़ के बारे में जो कुछ कहा है उसके लिये राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये बगैर हम नहीं रह सकते और इसके साथ साथ हमें तीसरी पंच वर्षीय योजना के तकाजे की तरफ भी देखना पड़ेगा, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपूर्ण कार्य रह गये हैं उन सब को जल्दी पूरा करना होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक सदन में पधार कर हम लोगों के सामने अभिभाषण किया उसके सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करती हुई मैं अ विचार प्रगट करना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के प्रारम्भ में हमारी सरकार द्वारा किये गये स्थानीय वैधानिक संस्थाओं को सत्ता सौंप देने के साहसिक एवं दूरदर्शितापूर्ण फैसले की ओर संकेत किया है । इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा सदन में हो चुकी है । मैं भी यह मानती हूँ कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर जो कदम उठाया गया है वह हमारा एक शुभसूचक और समयोचित प्रयास है । आज केवल हम ही नहीं दूसरे प्रान्त भी इस दिशा में कानून बनाकर अग्रसर हो रहे हैं । अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में सर्वोदय के प्रसिद्ध विचारक श्री जयप्रकाश बाबू आये थे उन्होंने अन्य राज्यों के मुकाबले अपने यहां के कानून को अच्छा बताया है । पर कानून का अच्छा होना ही काफी नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण बात है कानून को सही तरीके से उसको व्यवहारिक रूप देना । मैं आशा करती हूँ कि हम लोग इस दिशा में बहुत सतर्कता और सावधनी के साथ कदम बढ़ायेंगे और जनता जो आशा लगाये बैठी है उस आशा की हम पूर्ति कर सकेंगे । हम सब लोग अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि हमको आज़ाद हुए साढ़े बारह वर्ष हो गये हैं तब से हमारी अपनी सारी व्यवस्था हमारे हाथों में है, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है । अपनी आय के अलावा हम बाहर से उधार लेकर भी खर्च करते जा रहे हैं लेकिन उसके मुकाबले हमको जो लाभ मिल रहा है उससे किसी को सन्तोष दिखाई नहीं पड़ता । भले ही हमने बड़ी बड़ी योजना बना ली हों, शासननिक ढांचे में विस्तार कर लिया

(डॉ० चन्द्रकला)

हो, बहुत बड़े बड़े बांध बना लिये हों लेकिन जब हम अपने सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें इसके आशाजनक परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। आज भी हमारे सामने रोजी और रोटी का सवाल उसी प्रकार से बना हुआ है, बेकारी की समस्या मुंह बाये वैसी ही खड़ी है। इस प्रकार से अभावों में ग्रसित जनता इन आज़ादी के दिनों में भी अपनी पुरानी गुलामी के दिन याद करते हुए दिखाई देती है। ऐसी हालत में हमें निश्चित रूप से, खुले दिल और दिमाग से, सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है ? इस बारे में मेरा नम्र निवेदन है, और मैं ऐसा मानती हूं कि हमने जो प्रयत्न किये हैं इस ओर वह सही दिशा में नहीं था। हमने अपनी आजादी तो प्राप्त की पर उसके बाद में विदेशी शासन से मिली हुई व्यवस्था को थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, जैसा का तैसा हमने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही सत्ता की चकाचौंध में हम सही रास्ते को भूल गये, उससे हुआ यह कि हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे उस ओर न बढ़ कर दूसरी ओर बढ़ गये।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही बात ध्यान में रखकर कांग्रेस के लिये यह सुझाव दिया था कि इस संस्था को अब लोक सेवक संघ के रूप में कार्य करना चाहिये, अब उसके राजनैतिक रूप को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और उसका कार्यक्षेत्र देश की आर्थिक और सामाजिक रचना होना चाहिये। इसी संदेश का, बापू के बाद विनोबा भावे सभी जगह, ग्राम-ग्राम घूमकर, प्रचार कर रहे हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि यह संदेश हमारे कानों तक पहुंचा और उससे प्रभावित होकर हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम उठाया है। हमने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार तो किया है पर उसको जब तक सही ढंग से कार्यरूप में परिणत नहीं करते तब तक उसका उपयोग उतना नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, संचय वृत्ति न रखना आदि सुन्दर सुन्दर नीति के वाक्य हैं, लेकिन जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक ये बातें केवल धर्म ग्रन्थों की शोभा के ही रूप में रह जाती हैं; न केवल मुझे बल्कि जनता को भी यह आशंका है कि यह सब लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आदि सब नारे ही नारे न रह जांय और जनता के जीवन में न समायें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया है वह उल्टी चली है। दिल्ली में एक विचार पैदा होता है, जयपुर में हम बैठ कर योजना बनाते हैं कि हमारी इन योजनाओं का कागज़ सचिवालय से चलता है। वह कलेक्टर के पास जाता है, वहां से तहसील में पहुंचता है, जिला परिषद् के पास पहुंचता है; पर ग्राम जनता तक वह नहीं पहुंच पाता। आज जनता यह महसूस नहीं कर रही है कि हमको कुछ मिल रहा है। वह सोचती है कि पहले राजा जी होते थे, जागीरदारजी होते थे; अब तहसीलदार जी, कलेक्टर जी और बी. डी. ओ० साहब हो गये। इसके स्थान पर पंचायत समितियां हो गई, जिला प्रमुख हो गये, लेकिन गांव का प्रत्येक आदमी इस बात को महसूस करे कि उसके हाथ में सत्ता आई है, सो नहीं हो सका है।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर ये कहां से

(श्री अध्यक्ष)

निकल गये!

(४ म० प०)

डॉ० चन्द्रकला : हम आम जनता के जीवन को नहीं छू पाये हैं। इसलिये हमको अपनी पुरानी परम्परा की पृष्ठभूमि में इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रयोग को अपनाना पड़ेगा।

हम सब जानते है कि हमारा देश गांवों का देश है और हमको सारी सत्ता नीचे से लानी पड़ेगी, अर्थात् गांवों से चलानी पड़ेगी। इसलिये हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इकाई गांव होगा। गांव के महत्व को हमने स्वीकार भी किया है पर जहां सत्ता देने का सवाल आता है वहां हमने गांवों को सर्वोपरि नहीं माना है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में मतदाता कौंसिल की चर्चा की। साल में दो बार इसकी बैठकें हुआ करेंगी। सचमुच सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए हमें ग्रामसभा को ही शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, जो सब बातें तय करेगी, जो गांव की इकाई का केन्द्र होगा। अस्तु: सर्वोपरि ग्रामसभा होगी। चुनाव की इसमें एक ही पद्धति अपनानी होगी। आज की प्रणाली में हम चुनाव निष्पक्ष रुप से नहीं कर पाते हैं। सरकार भी यहां यह महसूस करती दिखती है कि गांवों में परस्पर मतभेद और गुट्टबन्दियों के कारण बड़ी दिक्कत है, ये चुनाव सर्व सम्मति से होने चाहिये। सब लोग मिलकर एकमत से पंच को चुनें, दस-बीस आदमी मिलकर नामों की सिफारिश करें। इस प्रकार जितने नाम आ जावें वे सब इकट्ठे होकर जितनों को चुनना हो, एकमत से चुन लें। हमारे यहां पहले भी पंचायतें प्रमुख होती थीं और उनमें न दलबन्दी होती थी, न राजनीति होती थी। गांव वाले सब मिलकर एकमत से चुनाव करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : हमने इस पर पहले काफी विचार कर लिया है बिल पास करते समय।

डॉ० चन्द्रकला : यह मतदाता कौंसिल की बात चूंकि राज्यपाल ने कही है इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है। इसके साथ ही ग्रामसभा को सारे साधन भी देने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें गांवों में सहयोगी समाज की स्थापना करनी होगी। अभी ढेबर भाई ने कहा ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करुंगा कि इन पर्सोनेलीटीज़ का, जिनका सदन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, वक्त वक्त पर संकेत नहीं किया जाना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : हम सब महसूस करते हैं कि गांवों की जनता आज़ादी के आनन्द को अनुभव नहीं कर पा रही है। वह तब करेगी जब हम अपनी व्यवस्था आप करने की सत्ता उनको सौंप देंगे। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार पंचायतों को सौंपने की बात कही है। यह ठीक है। पर मैं यह कहना चाहती हूं कि इतना ही काफी नहीं। पंचायतें मालगुजारी पूरी की पूरी वसूल करें। उसमें से राज केवल अपना हिस्सा ले ले। बाकी सब गांव को अपने विकास के लिये खर्च करने का उत्तरदायित्व सौंप दे।

Page No.92

(डॉ० चन्द्रकाला)

इसके साथ ही मॉडल फार्म की बात भी कही गई। मैं नहीं समझती कि उनसे हमें क्या मार्गदर्शन मिलेगा, जो खुद नुकसान में चल रहे हैं। वर्तमान मॉडल फार्म अपने यहां के वातावरण और क्षेत्र के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, यह हम रोज महसूस कर रहे हैं। हमारा दुर्गापुरा का फार्म है। सरकार इसे चलाती है। सब सुविधाएं उसको प्राप्त है, फिर भी घाटे में चल रहा है। इस तरह कृषि के ये प्रयोग चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई लाभ होने वाला है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ऐसा कौनसा प्रयोग है जो नहीं सफल हो रहा है, वातावरण या क्षेत्र जिसके अनुकूल न हो ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं पूछती हूँ कि दुर्गापुरा का आपका फार्म घाटे में चलता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो सरकारी फार्म है, बाद में हमें क्या घाटा रहेगा ?

डॉ० चन्द्रकला : अगर गांवों के मॉडल फार्म इसी तरह से घाटे में आपने चलाये तो हर कृषक........

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कैसे कहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : अच्छा हो कि मन्त्री महोदय को बीच में न बोलने के लिये कह दें। मेरा सुझाव है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हम करते हैं तो गांव के कुछ लोग मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू करें तो ज्यादा अच्छा हो।

मैं दो-एक शब्द शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में बहुत थोड़ा सा उल्लेख किया है। मैं मानती हूं कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हमारे ये प्रयोग सारी योजनाएं सफल होने वाली हैं। आज की शिक्षा से हमारे कोई भी उद्देश्य पूरे नहीं होने वाले हैं, सिवाय बेकारों की संख्या बढ़ाते रहने के। हम इस बारे में सोचते बहुत हैं पर क्रियान्वित करने में पीछे रह जाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जो ऐसे नागरिक पैदा करें जो देश के भविष्य को उज्वल बना सकें। इसके लिये एक ही नई तालीम का तरीका है। आज हम बेसिक तालीम की बात जरूर करते है पर सही अर्थों में इसे नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। मैं इसे खूब अच्छी तरह जानती हूं। पहले भी चर्चा इस बारे में हुई है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में अपनी राय प्रगट की है। हम नाम मात्र की बेसिक शिक्षा की बातें कर रहे हैं। कहीं दो फूल बनवा लिये, एक तकली दे दी। वे कागज के फूल बनवा दिये जाते हैं, कुछ किताबों की जिल्दें बनवा दी जाती हैं और यह मूल उद्योग हो जाता है, जिस पर हमारी नई तालीम होती है। इस तरह की शिक्षा कोई काम में नहीं आने वाली है। हमें बेसिक शिक्षा को पूरे स्पष्ट अर्थों में लेना पड़ेगा, शिक्षा को पूरे के पूरे उद्योग पर आधारित करना पड़ेगा। आज बच्चे स्कूल से निकले और बाद में न उनको परीक्षा से मतलब, न कोर्स से मतलब, इम्तिहान पास किया डिग्री ली और बस। वे स्वावलम्बी नागरिक इस स्थिति में नहीं बन सकते।

(डॉ० चन्द्रकला)

आज वास्तव में शिक्षा हमें अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंचा रही है, हम जीवन के साथ शिक्षा का मेल नहीं बैठा पा रहे हैं, आज सिक्के की प्रणाली बदल चुकी है। नया पैसा प्रयोग में आ गया है पर स्कूलों में आज भी हर गणित की किताब में 'रुपया' आना, पाई, ही चल रहा है, हमने पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया पर उनको भी इस तरह की नहीं बना सके। वस्तुतः हमारी शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे स्वावलम्बी नागरिक बनकर स्कूलों से निकलें।

इसके साथ ही साथ अब मैं छोटे उद्योग धन्धों का ज़िक्र करना चाहती हूं। जहां पर हमको एक ओर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है, वहां गांव गांव में उद्योग-धन्धों के विस्तार की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें खुशी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है लेकिन यह सारा बहुत कुछ ध्यान हमारे कागजों में ही रह जाता है। ये हमारी सारी योजनायें फाइलों में ही रह जाती हैं और प्रत्यक्ष व्यवहार में बहुत कम आती मालूम होती हैं।

मकराना की मारबल की खानों का कुछ हालचाल मुझे मालूम हुआ। मैं इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मकराना में संगमरमर की खानें चल रही हैं। यहां पर सरकार ने अपने रिवाइज्ड माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स लागू किये हैं, जिन्हें राजपत्र में २५। १। १६६० को प्रकाशित किया गया है। इसके द्वारा वहां पर रॉयल्टी की दरें बढ़ा दी गई हैं। उन बढ़ी हुई रेटों को सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत करूं तो अप्रासांगिक नहीं होगा। मिनरल्स यूज्ड फोर लाइम की पहले एक आना रेट थी, अब उसको दस नये पैसा कर दिया है। ऐसी प्रवृत्ति ही मालूम पड़ती है सरकार की कि जहां एक आना हो वहां नये पैसे में कन्वर्ट करते समय दस नया पैसा जरूर करती है। कोई भी कन्वर्टिंग टेबुल एक आने का दस नया पैसा नहीं बताती। खैर, इसमें तो फिर भी परिवर्तन इतना नहीं हुआ। दूसरा ड्रेस्ड मार्बल है उसमें बारह आने के बदले एक रुपया कर दिया, स्लैब्स का छः आने की जगह एक रुपया कर दिया, टाइल्स का तीन आने से एक रुपया कर दिया। वहां के लोगों ने इसके खिलाफ अपना केस सरकार के सामने रखा है और अपनी कठिनाइयां भी बताई हैं।

इसके साथ ही एक दिक्कत और खड़ी की जा रही है, उनके बापी राइट्स भी छीने जा रहे हैं। पहले जोधपुर सरकार ने खानों की सुविधा के लिये रेल निकाली थी। पर अब रेलवे के केन्द्रीय बोर्ड ने कह दिया कि रेलवे की बाउन्ड्री के १५० फीट के अन्दर खान नहीं होगी। अब वह पचास फीट की दूरी पचास से बढ़ाकर १५० फीट कर दीया; जब कि वस्तु स्थिति यह है कि जितनी भी खानें हैं वे सभी १५० फीट के भीतर हैं। तो ये सब कठिनाइयां उनकी हैं जिनको समझना होगा।

हमारा अनुरोध है कि जो रेट बढ़ गई हैं उनको अच्छी तरह से सोच कर ठीक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि लोग कम करने के लिये कह रहे थे तो सरकार ने बढ़ा दीं ताकि अगर अब कुछ बातचीत बढ़े तो वे इस

(डॉ० चन्द्रकला)

मुद्दे पर ही आ जावें कि कम नहीं करें, जितनी हैं उतनी ही रहने दें; कहीं इस इरादे से तो नहीं बढ़ाई हैं । इस तरह से इन छोटे छोटे उद्योग धन्धों की तरफ आपको ध्यान देना है । इन धन्धों से काफी लोग रोजी कमाते हैं । इसी अकेले धन्धे से दस हज़ार लोगों को रोजी मिलती है । तो इनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

वहां के लोगों ने हड़ताल कर रखी है और वहां पर २०–२५ हज़ार रुपये रोज का नुकसान सरकार को हो रहा है । इस विषय में सरकार के पास वह पहुँचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं । सरकार को इस ओर जरूर ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे राजकोष की आय में घाटा होगा और दूसरे बेकारी बढ़ेगी और जो हमारे उद्योग-धन्धे हैं वे नहीं पनपेंगे । इसके साथ ही हमारी सरकार ने इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की बात सोची है और हमारे जयपुर शहर में २४ शैड्स बन चुके हैं और यह बात राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कही गई है। जितनी भी हमारी योजनायें बनती हैं वे सुन्दर होती हैं लेकिन जो योजनायें बनती हैं उनके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि उनके आगे–पीछे क्या होने वाला है ? मुझे मालूम पड़ा है कि जयपुर शहर में जो यह शैड्स बनाये जा रहे हैं उनके लिए जमीन की आवश्यकता है और इन शैड्स के लिए जहां जमीन ली जाने वाली है वहां बहुत बढ़िया खेती होती है । बल्कि जो अच्छी साग सब्जी होती है वहां की जमीन में शैड्स बनेंगे, ऐसा राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है । समझ में नहीं आता कि सरकार के पास एक योजना आती है तो सब तरह से उस पर क्यों नहीं सोचती है ? उसके भले-बुरे को सोचकर क्यों नहीं करती है ? जैसे इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिये यहां शैड्स बन रहे हैं उसी तरह से दूसरी जगह भी ऐसे ही बनते होंगे । तो फिर वही बात होती है कि जनता के दूसरे उद्योगों को नुकसान पहुँचा कर यह चीजें होती हैं तो जनता का सहयोग उसमें नहीं मिलता है । इसके पहले पिछले कई दिनों से सदन में हमने प्रशासनिक ढाचे के लिए सरकार की बुराइयों को सुना है । मैं खुद भी महसूस करती हूं कि सरकार के कागज या तो निकलते नहीं हैं या कागज निकल गए और दस्तखत हो गए तो उनका कार्यान्वियन तो अति मुश्किल होता है । जब से असेम्बली चल रही है राज्यपाल महोदय के प्रत्येक भाषण में हमें कई बातों के लिए आश्वासन दिये जाते हैं, पर उनको कभी पूरा नहीं किया जाता है । जयपुर शहर में ही शरणार्थियों को कैम्पों से दूसरी जगह बसाने की योजना है, लेकिन वह शरणार्थी कैंप जब से शरणार्थी आये तब से ही कैम्प है और उनको बसाने की योजना सरकार के कागजों में है और जब सरकार से पूछा जाता है तो एक–दो महीने की बात की जाती है । आज भी वह सिटी कैम्प ज्यों का त्यों है । मैं प्रार्थना करूंगी कि सरकार जिन योजनाओं को पास कर देती है उनको तो जल्दी कार्यान्वित करे ।

जालुपुरा की स्कीम को स्लम क्लीयरेन्स की स्कीम में लिया गया । वहां के लोगों को भी कह दिया गया और वहां के लोग स्थाई झोंपड़ियों में रहने लग गए लेकिन वहां दो दिन काम होने के बाद में ट्रेक्टर और बुल-

(डॉ० चन्द्रकला)

डोज़र खराब हो गए और वहां का काम आदमियों और गधों से ढोने का लिया जा रहा है। आप स्वयं ही बताइये कि राजधानी में इतने दिन तक ट्रैक्टर और बुलडोज़र खराब पड़ा रहे और उसकी जगह आदमी और गधों की शक्ति से काम हो तो दूसरी जगह का क्या होता होगा ? इसके साथ ही हमारी सरकार दूसरी जगह गांवों में तो सत्ता सौंपने की बात करती है लेकिन शहरों के लिए क्या है ? इसके विषय में मुझसे पहले बोलने वाले दो वक्ताओं ने कहा। लेकिन मैं कहती हूं कि जयपुर नगर के साथ यह सौतेला व्यवहार नहीं चल सकता। हमको शहरों में भी सत्ता उसी तरह देनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी जयपुर की नगरपालिका के चुनाव कराने चाहिये। जौहरी बाजार की सड़क की तोड़फोड़ हो रही है। इसके लिए माननीय सदस्यों ने पहले कह दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हम गलियों और सड़कों पर आ गये। प्रश्न तो बहुत ऊंचे सिद्धान्त और नीतियों का है।

डॉ० चन्द्रकला : उसके बाद में तो पगडंडी पर आना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर पगडंडी पर आये तो मैं रोकूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : मैं मानती हूं कि हमारा विकास तब ही हो सकता है जब कि हमारी जनशक्ति विकसित होगी। इस जनशक्ति की ओर हमारे राज्यपाल महोदय ने इस भाषण में संकेत किया है। जनशक्ति के विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा। लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। हम अपने साधनों को दूसरी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन जनता का सहयोग नहीं लेते हैं। आज जनता अलग है और सरकार अलग है। जनता आज महसूस करती है कि यह सरकार कोई और है और हम उसके उपभोक्ता हैं। हमें तो किसी भी तरह से हो, जनशक्ति को जागृत करके उसको अपने साथ में लेने की आवश्यकता है। जब हम जनशक्ति को साथ में लेंगे तो हम अपनी प्रगति की ओर अच्छी तरह से बढ़ सकेंगे। यह कुछ बातें थीं जिनको मैं कहना चाहती थी। आशा है कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे से....

श्री उपाध्यक्ष : एक बात रह गई है, महिला सदस्य का मंत्रिमण्डल में अभाव। इसको बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

डॉ० चन्द्रकला : जहां तक मन्त्री मण्डल में विस्तार की बात है इसकी चर्चा कई लोगों ने की। मुझे खुद को लगता है कि मन्त्रिमण्डल में विस्तार इस घड़ी नहीं होता तो कुछ बिगाड़ नहीं था। यह तो केवल राजकोष पर एक खर्च बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न तो मंत्रिमण्डल में महिला सदस्य का अभाव का है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा सुझाव तो एक नये पोर्टफोलियो का है। उद्घाटन, भाषण, चाटन का एक अलग विभाग हो....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : और वह महिला को दे दिया जाये।

डॉ० चन्द्रकला : जो उसके लिए

(डॉ० चन्द्रकला)

कॉम्पीटेन्ट हो उसको दे दें। क्योंकि वह चीज़ जरूरी है, मिनिस्टर्स का बहुत समय उद्घाटन आदि में चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यही है कि आपको कोई हमदर्दी नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज तीन दिन हुए वाद-विवाद हो रहा है। उस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो प्रकट कर दिए। आप तो अपने प्रश्न पर आइये।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो कहा है उसको देखते हुए मैं धन्यवाद देने से मजबूर हूं। राज्यपाल महोदय ने एक तरफ तो हमें नीचे से पंचायत राज्य कायम करना चाहिए, एक तरफ तो आपकी भाषा में कहा है और दूसरी तरफ पंचायतें जो मालगुजारी वसूल करेंगी और सरकार के एजेन्ट की तरह से अपना काम करती रहेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ तो हम पंचायत राज्य की बात कहते हैं और नीचे से ऊंचे तक पहुंचते हैं उसी के आधार पर और उसको हम एजेन्ट बनाते हैं, इससे हम बहुत बड़े पूंजीपति व्यापारी बन जाते हैं। तो उसमें इस भाषा का प्रयोग किया, इससे मुझे आपत्ति है। इतने बड़े राजस्थान के राज्यपाल होते हुए 'एजेन्ट' शब्द का प्रयोग करना बहुत ही गलतफहमी है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के प्रस्ताव पर हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कहा है। उस समय आपने एक ऐसी पोलीटिकल बात कही, लॉ एण्ड ऑर्डर की बात आपने रखी। लेकिन आन्दोलन की भी आपने बात लाकर खड़ी कर दी। आखिर में नतीजा यही बताया कि यह आन्दोलन हुए और उन पर पुलिस कामयाब हुई है और जितने आन्दोलन हो रहे थे इनको काबू में किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव रखना बड़ी बात नहीं है, न मैं मानता हूं; न जनता मानती है और न पुलिस का अच्छा स्वागत करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के काबू से जनता डरने वाली नहीं है, चाहे पुलिस कितना ही अत्याचार करे, कितना ही लोगों को खत्म करे, फिर भी जनता का अधिकार है। जनता अपने अधिकारों के लिए अन्याय के साथ लड़ने को तैयार है। जनता सरकार से बड़ी है और सरकार जो है वह जनता ने बनाई है। उस जनता को काबू करना मैं समझता हूं मुश्किल है, माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि बांसवाड़े का आन्दोलन गये साल में हुआ था, उसमें पुलिस अच्छी कामयाब रही। पुलिस वालों ने पीटा और ठोका....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कहाँ कहा कि पीट पीट कर ठीक किया। ऐसा नहीं कहा है। माननीय सदस्य गलतफहमी नहीं बढ़ायें।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष, उसका मतलब यह है कि दूसरे आन्दोलन को पुलिस काबू में कैसे कर सकती है, दूसरा वातावरण नहीं पैदा किया। उन्हें पीटा जाता है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि प्रजातन्त्र का ज़माना है, उन्हें जेल में

(श्री हीराभाई)

डाला । आप उनको जेल में डालकर हमारे देश को काबू में रखना चाहते हैं । माननीय उपाध्यक्ष, एक पार्टी करेगी, दूसरी पार्टी करेगी और तीसरी पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वह जनता है और जनता ही उसको बनाती है ।

उसी तरह से राज्यपाल महोदय ने बताया कि गुटबन्दी करते रहे तो बहुत बुरी बात है और बड़ी मुश्किल की बात बताई । गुट्टबन्दी कौन करना चाहता है ? राज्यपाल महोदय के कहने से गुट्टबन्दी बन्द हो सकती है, दो पार्टियां हमेशा रही हैं । जिनका न्याय और अन्याय के साथ में सम्बन्ध रखती है और अन्याय को खत्म करके न्याय लाना चाहती है । इसलिए पार्टियां तो रहेंगीं । गुट्टबन्दियां और पार्टियां पुलिस वालों के डराने से नहीं टूटने वाली हैं । जनता की इतनी हिम्मत है कि वह डंडे से कोई डरने वाली नहीं है । हिमालय के पहाड़ से बढ़कर जनता की हिम्मत है । इन बातों से हम नहीं डरेंगे और न हमारी जनता डरेगी !....

श्री उपाध्यक्ष : अपना तो अरावली ही बहुत बड़ा है ।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी पुलिस का जो रवैया है उन्होंने उसका स्वागत किया है, वह करते हैं और उसी तरह से चल रहे हैं । आज जो जायज़ मामले हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बांस-वाड़े में इतना अत्याचार यह पुलिस करती है, जिसके बारे में कई बार गृह मन्त्री महोदय से शिकायत की है, वे उसकी तरफ नही देखते हैं । कानून क्यों नहीं देखते हैं ? बताने से लोगों की समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां के लोग अनपढ़ हैं । उनको आप डंडा बताकर इस तरह से काबू में करना चाहते है ! पुलिस ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में वही रवैया फैला रखा है और उसी रवैये से हमारे लोगों को तपास किया जाता है। यह रवैया खत्म नहीं हुआ तो चाहे हमारा दिन ब दिन मंत्रिमंडल बढ़ता रहे, केरल जैसा हाल हो जायगा । तो कुछ जनता की तरफ भी ध्यान रखना होगा।

माननीय उपध्यक्ष, वहां कालिंजरा में शम्भू नाम के लड़के का केस हुआ । उसको आखिर किन्हीं बदमशों ने पीट पीट कर मार डाला और मारने के बाद पानी में डाल दिया । कुशलगढ़ के एस. डी ओ. ने लाश को निकलवाया, लेकिन उस आदमी को जिनके घर में उसको रखा था उसका पुरावा दे रहे हैं, उस आदमी पर केस चल रहा है, न वह गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार होते हैं भूखे आदमी जो कि मांग करते हैं, उसमें मारपीट होती है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन डाकू—बदमाश जो हैं उनके लिये आपका इन्तजाम नहीं है । इस तरह से कई ऐसे काण्ड हुए, आपको मैं बता रहा हूँ गिन गिन कर । लेकिन आज बताने से कोई फायदा नहीं है । लेकिन इस रवैये में अभी तक सरकार सुधार नहीं कर सकी है । लेकिन मैं समझता हूं कि आज दिन हम इसको बरदाश्त करने वाले नहीं हैं । या तो सरकार उसको बदलने की कोशिश करे, अगर इस नीति को सरकार नहीं बदलेगी तो हम अन्याय को खत्म करेंगे और हमारी सरकार के अन्याय को खत्म करने में सहायता देने के लिए आन्दोलन और सत्याग्रह के ढंग से सरकार

(श्री हीराभाई)

को रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। सरकार को अगर खत्म ही करना चाहें तो कई तरीके से वह हो सकती है। लेकिन हम वह नहीं करते हैं, फिर भी गृह मंत्री महोदय की यही नीति है कि हम इस तरह से इन पर काबू रखें।

ऐसी ही हालत रेवेन्यू विभाग की है। रेवेन्यू विभाग में यह बिल्कुल स्पष्ट है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों ही बाहें चढ़ा लें तो ठीक रहे।

(हंसी)

श्री हीराभाई : एक तरफ राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया कि जिस साल

(दूसरी बांह चढ़ाने पर हंसी)

अकाल हो, उस साल लगान में छूट दे दी जाय, रियायत दे दी जाय। वह रियायत का कानून मान लिया, मन्जूर कर लिया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। राज्यपाल महोदय उसकी बात ही भूल गये। सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहां पारसाल क्या, १६५७ का अकाल हुआ था, वहां पर इतनी फसल खराब थी लेकिन छूट इस साल दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने उस साल लगान भर दिया, बनिये ब्राह्मणों से लेकर भर दिया और आज १००) रु० किसी का लगान था वह उसने भरा तो आज उसके २२५) रु० हो गये। आज उसको १००) रु० की छूट मिलती है तो गवर्नमेंट १००) रु० लगान के वसूल किये वह तो किये ही, मगर साथ में १२५) रु० अपने साथी लोगों, पूंजीपतियों को दिलाये ब्याज के। इस तरह से यह घोड़ा चलने वाला नहीं है। उस घोड़े में सुधार करना चाहिए। अगर कानून को नहीं मानते हैं तो कानून के भरोसे हम लोग बेचारे यों ही पिट जाते हैं। इस बात को उस वक्त कहा था रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने। वहां अकाल काफी जोर का था। काफी बारिश गिरने से खरीफ की फसल बिल्कुल नहीं हुई और रबी की फसल की उम्मीद नहीं है। रबी की फसल में गेहूं में गेरू आ गया। अगर बांसवाड़े की तहसील के आंकड़े देखें तो वहां पर ४, ५ आने की फसल हुई है, बाकी ११, १२ आने का नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ धड़ाके से वसूली हो! यह कौनसा कानून है? कौनसा जनता का राज्य है। यह क्यों हम कानून को मानें? क्यों आपने दुनिया में प्रकाशित किया कि कानून पास हो गया। यह इस साल में दो साल पहले की छूट दी जाती है। अब यह रवैया कहां तक अच्छा होगा, आप यह महसूस करेंगे। हम तो पिंजरे में बैठ कर महसूस करेंगे ही। जितना भी किसान है वह तो पिंजरे में बैठकर महसूस करेगा। नहीं भरेंगे तो पुलिस डंडे मारेगी। हम तो पिंजरे के दबाव में भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार की क्या नीति होगी? उस पर सरकार का काबू नहीं है। कानून पास हो गया तो क्या काम का कानून? वह बिल्कुल काम का कानून नहीं है। जिस साल अकाल हो उस साल गिरदावरी बन्द होनी चाहिए। वे लोग ज़मीनें बेच रहे हैं। एक तरफ तो आप बैल के लिए तकावी देते हैं और दूसरी तरफ वे अपने बैलों को बेचकर लगान भर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे देश को अच्छा हरा-भरा बताया जाता

(श्री हीराभाई)

है। आप दुनिया के सामने जबानी जमा खर्च करके हमारे देश को काबू में करना चाहते हैं। इस तरीके से आप विकास करना चाहते हैं लेकिन देश का विकास वैसे ही हो रहा है। विकास इस बात का हुआ है कि लोगों के काम को ज्यादा बताया और काम ज्यादा बढ़ाकर मंत्री मंडल को बढ़ाया। राज्यपाल महोदय के भाषण के अनुसार बढ़ाया....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण के अनुसार कहां बढ़ा, उसमें तो संकेत भी नहीं है।

श्री हीराभाई : देश में विकास हुआ, उसका मतलब यह हुआ कि मंत्री मंडल का विकास हुआ। दो-तीन मंत्री और बढ़े। लोगों को घाटा हुआ। जनता को नुकसान हुआ, कार और बंगले देने पड़े....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तरफ तो फायदा हुआ। उधर से श्री भीखाभाई आये हैं।

श्री हीराभाई : शर्म के मारे उनको लिया नहीं तो नहीं लेते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री मंडल का सवाल है उसके विषय में हमने स्थगन प्रस्ताव रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री मंडल का प्रश्न तो हल हो गया है। आप आगे चलिये।

श्री हीराभाई : हल हुआ तो ठीक है, यह तो मैं भी जानता हूं। गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है। जनता पर कितना असर पड़ने वाला है...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। दलपतसिंहजी ने कहा था, आदिवासियों की समस्या के बारे में; उस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो अच्छा हो।

श्री हीराभाई : इस पर कहना बाकी रहा सो इस पर भी कहूंगा। इतना घाटा हुआ, हम बोलने से ही मजबूर हुए।

दूसरी तरफ रही हमारे सहकारिता की बात। एक तरफ आप चाहते हैं कि सहकारी समितियों द्वारा पूरा कार्यक्रम चलेगा, पूंजीपति खत्म होंगे और दूसरी तरफ सहकारी खेती का सवाल आया उसमें हमारे छोटे टुकड़े दो-डेढ़ बिसवा के हैं वे भी रोक दिये गए। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का कानून, मैं जानता हूं ठीक है लेकिन यहां ऐसा सर्कूलर आ गया कि जिनके पास ६ एकड़ जमीन है, फेमिली का सवाल ही नहीं है, कानून में यह रखा कि ५-६ एकड़ ज़मीन जिनके पास है उनको एक टुकड़ा भी नहीं दिया जायगा, फार्म के आधार पर दिया जायगा। मैं सहकारिता को मानता हूं, लेकिन वहां सहकारी समितियां बनेंगी नहीं और जमीन किसानों को मिलेगी नहीं। ६ एकड़ जमीन में १५ आदमियों का पेट नहीं भर सकता इसलिये मजबूर होकर वे ज्यादा पर काश्त करेंगे, चाहे दरख्वास्त दें या नहीं और आप चाहे सात गुणा पेनल्टी लगावें या वापिस बेदखल कर दें। यह समझ में नहीं आता कि आंख मींच कर सक्युर्लर निकाल दिये जाते हैं या सेक्रेटरी लोग जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। सेक्रेटरी तो ऐसे होते हैं जो हमेशा यह चाहते हैं कि किसी भी हालत में ५० की आमदनी की जगह ५०० की आमदनी सरकार में बताई जाय

(श्री हीराभाई)

तो वे अच्छे कर्मचारी कहलायें, इस प्रकार की उनकी आदत पड़ी हुई है, लेकिन हम इसको कहां तक बर्दाश्त करें। ६ एकड़ ज़मीन से १५ आदमियों का पालन पोषण कैसे हो सकता है जब कि एक मिनिस्टर २ हज़ार रुपये, मोटर कार और बंगला लेते हैं और १०० रुपये तो बिजली पानी के लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरों के व्यक्तित्व पर न जाइये, आगे बढ़िये।

श्री हीराभाई : खर्चे का जहां तक सवाल है, सालाना सौ दो सौ की आमदनी करने से क्या हो सकता है। ६ बीघा ज़मीन पर मुश्किल से छः पंजा तीस मण अनाज पैदा कर सकता है और उसकी कीमत क्या होगी ? १०–१२ रुपया मण बिकता है उससे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है ? इन छोटी छोटी बातों को गवर्नमेन्ट तो समझ नहीं सकती। गवर्नमेन्ट बड़ी बड़ी योजनाओं को समझती है। इसका भी सुधार करना अनिवार्य है, परन्तु करेंगे नहीं।

दूसरी बात है लोन की। सहकारी समितियां दो दो साल हुए रजिस्टर हो भी गईं लेकिन उनके लोन फार्म मंजूर नहीं हुए। पिछली बार एसेम्बली में मंत्री महोदय ने कहा था कि सेन्ट्रल हैड क्वार्टर पर रजिस्ट्रार कायम कर देंगे, कायम कर दिया लेकिन क्या किया ? जनता का खर्चा बढ़ाया गया, वेतन और भत्ता आदि दुगुना बढ़ गया....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बजट पर भी बोलना है।

श्री हीराभाई : सहकारी समितियों द्वारा काम कराना है और दूसरी बात यह है कि देश का विकास करना है, उसी आधार पर बोल रहा हूं; यह नहीं कि छोटी चीज़ है....

श्री उपाध्यक्ष : छोटी चीज़ तो नहीं है, लेकिन बजट के समय भी तो यही बोलना पड़ेगा।

श्री हीराभाई : जिन लोगों पर काम लगा होता है उनके लिये सही है, सरकार के लिये होता होगा क्योंकि सरकार टाल बाजी करना चाहती है। ऐसी हालत में यह जो सरकार की स्थिति है वह बिल्कुल खराब है।

दूसरी बात हरिजनों के विषय की है....

श्री उपाध्यक्ष : हरिजनों के बारे में तो रामचन्द्रजी बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हीराभाई : उनको मालूम नहीं होगा इसलिये बता दूं। १७ हरिजनों को खेतों का एलोटमेन्ट हो गया था, लेकिन अभी उनको वापिस कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ कहते हैं हरिजनों के लिये अच्छी व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि हमारे यहां कुशलगढ़ में नगरपालिका है, नगरपालिका वाले हरिजनों को कहते हैं कि यहां से उठ जाओ। यह नहीं कहते हैं कि हरिजन बस्ती अलग बसायेंगे, अगर यह कहते और करते तो मैं उनको अच्छा कहता। लेकिन वे यह कहते हैं कि तुम हट जावो, नहीं तो नगरपालिका तुमको हटा देगी। हरिजनों ने इसकी शिकायत की तो

(श्री हीराभाई)

उनकी कोई सुनता नहीं है। भाषण होते हैं तो लोग सुनते हैं। लेकिन संगठन का रवैया जो है उसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से हमारे राज्य को अच्छी तरह से चलाना है तो और तरक्की करनी पड़ेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को सिर्फ मालगुजारी का चौथा हिस्सा देना चाहते हैं लेकिन हमारी जहां तक राय है, सदन से निवेदन है कि जितनी राजस्थान सरकार की आमदनी है उसका चौथा हिस्सा दें तब तो पंचायत समितियां सफल हो सकती हैं, नहीं तो अध्यक्ष महोदय, आप टैक्स लगावें या चंदा करें या ५० हजार रुपया दें, उसमें से हमें ५० हज़ार रुपये श्रमदान से देने चाहिये नहीं तो २५ हज़ार या साढ़े बारह हज़ार....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो १० हज़ार, ५ हज़ार।

श्री हीराभाई : यह स्थिति जो आपके सामने रखना चाहता हूं, सरकार को सहायता देनी चाहिये। लेकिन जहां १० या १५ मकान हों और १०—२० हज़ार रुपयों की लाग का बांध बनाना हो तो एक एक घर से हज़ार या पांच सौ रुपये का चन्दा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में गवर्नमेंट जो सहायता देना चाहती है वह भी खर्च नहीं हो सकती और रुपये लैप्स हो जाते हैं और विकास योजना फैल हो जाती है। राज्यपाल महोदय भी कहते हैं कि यदि सहकारी समितियां सुचारू कदम नहीं उठावें तो भंग कर देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार महिला है इसलिये "कर देंगी" होगा।

(हंसी)

श्री हीराभाई : यदि कुशलता से कदम उठाना है तो मालगुजारी का चौथा हिस्सा देने का अधिकार दे दिया जाय। इससे कम देना तो नहीं के बराबर है।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का हिस्सा, प्रतापगढ़ में कितना कुछ करें, वहां की पंचायत समितियां ऐसी स्थिति में सफल होने वाली नहीं है, वे अपना पूरा अधिकार प्राप्त करने में मजबूर रहेंगी। ऐसे एरिया जो हैं, माननीय उपाध्यक्ष, उनमें किसी भी हालत में और कोई भी स्थिति ढूंढकर गवर्नमेंट की तरफ से विकास होना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पंचायत समितियों को रुपया देकर विकास का कार्य कराया जाय, तो हो सकता, अपने आप श्रमदान से काम नहीं हो सकता। न उनको इतना टैक्स मिलेगा कि कारोबार चल सके। ये पंचायत समितियां ना के बराबर होने वाली हैं, ये असफल रहेंगी। तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे मैंने छोटी छोटी बातें कहीं हों, लेकिन वे लोगों की बातें हैं। उन पर आप ध्यान देने की कोशिश करें जिससे हमारा राज्य आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सके। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं हैं लेकिन सत्ता रूढ़ दल के लिए खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) :

Page No.102

(श्री सोहनलाल भटनागर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं केवल रस्मी तौर से नहीं बल्कि पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं क्योंकि हम देखें, गत वर्ष में राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में जो कामयाबी हुई और जो नीति इसके अन्दर निर्धारित हुई है, वह इस अभिभाषण में बताई हुई हैं। मेरे ख्याल से वे नीतियां और कामयाबी महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार भारतवर्ष के लिए १६४७ का जो वर्ष है, वह बहुत महत्वपूर्ण है उसी प्रकार मेरे खयाल से राजस्थान के लिए जो चालू वित्तीय वर्ष है, वह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि उनका भाषण है, वह इन्सपाइरिंग नहीं रहा है। हो सकता है, जो कुछ नीतियां प्रतिपादित की गई हैं, वे पहले बता दी गई हों। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो कुछ बताया गया है, मेरे खयाल से, हम डिसपेशनेटली व्यू से देखें तो मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं, जिसका और विस्तृत विवरण आगे करूंगा, कि यह स्पष्ट है कि जो कुछ रुकावटें सामाजिक और आर्थिक उन्नति की थीं उन रुकावटों को दूर करके राजस्थान को प्रशस्त मार्ग पर ले जाने के लिए कार्यवाही की गई है। मेरे ख्याल से हमारा जो मंत्री मंडल है, उसका अभिनन्दन करना चाहिए। दूसरी सब से बड़ी बात जो राजस्थान में देखते हैं, जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है, तब से कुछ विघटात्मक तत्व दिखते थे, अभी इस वर्ष में नई नज़र हमने बनाई है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम स्टेबिलिटी देखते हैं। हम देखते हैं कि इमोशनल इन्टीग्रेशन हुआ है, जिससे राज्य का कार्य ठीक तरह चल सके। जो एक फन्डामेन्टल चीज़ होनी चाहिए वह होती हुई नज़र आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्यपाल के पहले अभिभाषणों को देखें तो उनमें ज्यादातर शुरूआत लॉ एन्ड ऑर्डर से होती थी। यह बात सही थी, कुछ वर्षों पूर्व हमारे राजस्थान के लॉ एन्ड ऑर्डर की इतनी दुर्व्यवस्था थी, हमारे समाज का जीवन खतरे में था तो दूसरी प्रगति की बात, विकास की बात, समाज के उत्थान की बात, मेरे खयाल से अस्तव्यस्त परिस्थिति में हो नहीं सकती थी। जो सामाजिक क्रांति के लिए, उन्नति के लिए, जो परम आवश्यक चीज़ लॉ एन्ड ऑर्डर है, मेरे खयाल से उस पर काबू पाने की कोशिश की गई है और सारे राजस्थान की जनता महसूस करती है। यह बात ठीक है कि कई माननीय सदस्यों ने रेप केसेज़, डेकोइटी केसेज़ बताये हैं। मेरे खयाल से राज्यपाल ने यह नहीं कहा है कि हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, हमारा राज्य इस स्थिति तक पहुंच चुका है जहां किसी तरह का जुर्म नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। यह बात निश्चित है कि राजस्थान के लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति कुछ वर्ष पूर्व थी, उसमें परिवर्तन हुआ है। मैं लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में अर्ज करूंगा। मेरे क्षेत्र में एक डेकोइटी तीन-चार माह पूर्व हुई, वह एक मामूली डेकोइटी थी लेकिन जिस पर डेकोइटी की गई, वह बहुत ज़बरदस्त आदमी था, तलवार की धार उसे दिखाई गई, लेकिन उसने चाबी नहीं दी....

श्री उपाध्यक्ष : ऊंचे दर्जे का कंजूस होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : लेकिन

(श्री सोहनलाल भटनागर)

थोड़ा बहुत माल ले गये। सतर्कता से पुलिस ने गिरफ्तारियां की, कार्यवाही की। मेरे ख्याल से जो इस वर्ष का मुख्य कार्य है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है ग्राम राज्य की स्थापना। ग्राम राज्य हिन्दुस्तान में ही नहीं, जैसा कि राज्यपाल ने कहा है, दुनियां के कुछ देशों के अन्दर नई जागृति और नई विचारधारा उत्पन्न की है और बाहर के लोग इसको देखने लगे हैं। मेरे ख्याल से कई प्रगतिशील कहलाने वाले भारतवर्ष के राज्य इसके बारे में शंकाशील थे कि आया सफलता मिलने वाली है या नहीं। इसके बारे में राजस्थान ने प्रगतिशील कदम लिया है और उसकी भूरि भूरि प्रशंसा सब ने की है....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अभी 'भूरी भूरी' है, काली काली हो जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : काली काली होने वाली नहीं है, देखने का फर्क हो सकता है, आपने काला चश्मा लगा रखा है

श्री अनोपसिंह : आप कहें तो उतार लूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : २६२ पंचायतों का निर्माण किया गया और जो फाइनेन्शियल पॉवर्स दी गई हैं, वे काफी ज्यादा हैं लेकिन हमें यह देखना है कि उनकी जो कार्य प्रणाली है, वह किस प्रकार से चल रही है पहले का समय तो चुनाव में गया, जब वे कार्य नहीं कर सकीं। दूसरा फेज़ कार्य का है, उसको देखना है। हमें यह भी देखना है, राज्य को देखना होगा कि उसके अन्दर कुछ चीजों की पुनरावर्ती न हो। जिस आशय से समितियों का निर्माण किया गया, जिस उद्देश्य से जनता में उत्साह उत्पन्न किया गया, जो प्रजातंत्र की नींव है, उसको स्थाई बनाया जाय, मजबूत किया जाय, जिससे सत्ता का जो हस्तान्तरण हो, उसमें रुकावट न हो, जिससे कि गड़बड़ हो सके। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जिसमें रुचि होनी चाहिए वह यह है कि ऊपर की सत्ता, नीचे की सत्ता का कैसा सम्बन्ध है, इसी प्रकार जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो चुने हुए लोग है, उनके प्रति क्या संबन्ध है। यह सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से इसकी सफलता के बारे में सोचेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन जो इस एरिया में कार्य हुआ है, मेरे ख्याल से, काफी आगे बढ़ा है। एक बात जरूर है कि जो अधिकारियों का चुनाव हो, हमारा वायस इस ओर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि २६२ पंचायत समितियां हैं, उनके बी. डी. ओ. सेक्रेटरी होंगे, उनको मुकर्रर किया जा रहा है, वे आर. ए. एस. केडर के होंगे। मुझे मालूम नहीं है कि यह क्यों किया जा रहा है? यह बात निश्चित है कि हमारे सारे दृष्टिकोण निर्माण की ओर ज्यादा होने चाहिए। किन्तु हमारा दृष्टिकोण केवल प्रशासन की ओर रहा, तो मेरे ख्याल से कामयाबी ज्यादा मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस चीज़ को सतर्कता से देखना है। दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो आती है और जो रुकावटें और खतरा नज़र आता है वह यह है कि हमने बी. डी. ओ. को हटा कर पंचायत समिति को अधिकार दिये हैं। हमें खतरा नज़र आ रहा है कि कुछ व्यक्ति अपने अधिकार केन्द्रित बनाना चाहेंगे कि इसके अन्दर ज़्यादा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

अधिकार प्राप्त कर लें। जो नीचे की संस्था है, जो ग्राम पंचायतें हैं, जिसे बेसिक इन्स्टिट्यूशन कहा जाय, उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बेसिक इन्स्टिट्यूशन जो ग्राम पंचायत है, उसको मजबूत किया जाय, स्थाई किया जाय। यह न हो कि बीच की संस्था है, पंचायत है, वह इन्टेरीम पीरियड में, जिसको ज्यादा अधिकार दिये गये हैं, वहां के विकास के अन्दर रुकावटें डालें। यह सतर्कता बरतनी है। इसके लिए विधेयक में प्रावधान रखें। इस ओर राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है कि वर्ष में दो दफा सारे गांव निवासी मिलेंगे, प्लान बनायेंगे। इसी तरह वहां एक प्रावधान रखा था २।३ का कि गांव के निर्माण के जितने काम हैं वे २।३ मेजोरिटी से स्वीकार होने चाहिये। इसलिये ये चीजें रखी हैं कि गांवों में किसी व्यक्ति विशेष का प्रभुत्व न छा जाय और सभी यह सोचें कि यह हमारा खुद का काम है, किसी दूसरे के द्वारा थोपा हुआ काम नहीं है। पर आज अलग अलग पंचायत समितियों को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, किसी भी ग्राम पंचायत ने आज तक ग्राम सभा को नहीं बुलाया है, न २।३ मेजोरिटी से काम किया है। तो ये खतरे अभी से नज़र आने लगे हैं, उनके लिये राज्य सरकार को सतर्क रहना है।

तीसरी बात राज्यपाल महोदय ने बताई है उसका सभी लोग स्वागत करेंगे। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने राय ज़ाहिर की कि पंचायत समितियों में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया है जो सिविल और क्रिमिनल केसेज़ को ढील करती हैं और विकास के कार्यों को भी ढील करती हैं। तो दीवानी और फौज़दारी केसेज़ को अलग करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे इस मांग की पूर्ति कर दी गई है। यह भी कहा गया कि पंचायतों की इकाई छोटी की जा रही है, कार्य की दृष्टि से तो हो सकता है, पर जहां तीन तीन, चार चार हज़ार की पंचायतें हैं, उनके हाथ में सभी अधिकार होते हुए भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पा रही हैं, छोटी इकाई करनी चाहिये; पर उनको चलाने के लिये सेक्रेटरी वगैरह की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। नहीं तो इससे सुविधा मिलने वाली नहीं है और इस प्रकार ये छोटी पंचायतें डिफंक्ट रहेंगी, यों ही पड़ी रहेंगी।

चौथी बात जो कि एक मुख्य बात है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई कि पंचायत समितियों को रेवेन्यु क्लेक्शन का काम दिया जायगा, पंचायत समितियां एजेंट का काम करेंगी। मेरी राय है कि पंचायत समितियों को यह काम न देकर पंचायतों को देना चाहिये। इनके अधिनियम में भी देखेंगे तो पता चलेगा कि पंचायत समितियां खुद कुछ नहीं करती हैं, पंचायतें ही सब काम करती हैं। तो जो पंचायतें अच्छा कार्य करें उन्हीं को यह कार्य देना चाहिये।

पांचवी बात है प्रशिक्षण की। मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पंचायत समितियों के निर्माण के बाद काफी प्रशिक्षण दिया गया और दिया जा रहा है। राज्यपाल महोदय ने इस ओर इशारा किया है, काफी संस्थाएं खोली जा रही हैं। गत दिनों में मेरा प्रशिक्षण से सम्बन्ध रहा है। यह देखा गया है कि नये तरीके और नये

(श्री सोहनलाल भटनागर)

औजारों का प्रशिक्षण ठीक तरह से नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि एक तरह की सोशियल गेदरिंग सी होती है और लोग वापिस चले जाते हैं, उनके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का असर नहीं होता। इसलिये मेरी राय है कि अगर पंचायती राज्य को सफल बनाना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों को ट्रेनिंग देना होगा और ही ट्रेनिंग देने साथ वाले अच्छे होने चाहिये, अच्छे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिये और ट्रेनिंग का पेटर्न अच्छा होना चाहिये।

एक और चीज़ इसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है, कि कॉम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स खोले गये, उनका कार्य रहा है सोशियल एमिनिटी का, सामाजिक कार्यों का विकास करना; सामाजिक कार्यों के विकास के लिये जनता ने सहयोग दिया है, पर हमारे देश की जो मुख्य और सबसे बड़ी समस्या है अन्न उत्पादन की समस्या, उस ओर जनता ने सहयोग नहीं दिया है। सोशियल एमिनिटी का कोई काम होता है, सड़कें बनाना, सफाई बगैरह का तो इन कार्यों में जनता ने सहयोग दिया है, इस तरह के कामों में जनता रुचि लेती है; पर अन्न उत्पादन की मूलभूत जो समस्या है, उसकी ओर कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। पंचायत समितियों के बजट को देखें तो पता चलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुपया दिया गया है, वह यों ही पड़ा हुआ है। इन सारी बातों को देखते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य अन्न के उत्पादन को बढ़ाने की ओर होना चाहिये, हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

राज्यपाल महोदय ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी तरक्की की गई और जो रकम इसके लिये निर्धारित की गई वह सब खर्च कर दी जायगी। यह बड़ी खुशी की बात है यह रकम काफी दूसरे राज्यों में यों की यों ही पड़ी हुई है। कई माननीय सदस्यों ने इस ओर इंगित किया कि केवल खर्च कर देना, यह कोई महत्व की या खुशी की बात नहीं, यह देखना चाहिये कि ठीक तरह से इस रकम को खर्च किया गया है कि नहीं। अगर एनेलिसिस करें तो पता चलेगा कि ६ करोड़ की जिम्मेदारी थी, वहां हमने १३ करोड़ पैदा किया और इस चीज़ की प्लानिंग कमीशन ने और फाइनेन्स कमीशन ने भी प्रशंसा की है।

थर्ड फाइव इयर प्लान की ओर इशारा किया गया कि सरकार ने प्लानिंग कमीशन के सामने २८० करोड़ की प्लान रखी है। यह एक एम्बिशियस प्लान कहा जा सकता है। हम सदस्यों के लिये और राजस्थान की जनता के सोचने के लिये, समझने के लिये, जो मसला सरकार ने हमारे सामने रखा है उसके लिये, मेरे ख्याल से, सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहिये। एक बात और है प्लानिंग से सम्बन्ध रखने वाली, जो पहले ऊपर से थोपी जाती थी, वह नीचे से बनाया जाय; इस ओर भी राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। यदि जनता को भागीदार बनाना है तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि जनता की क्या मांग है, उन सब चीजों को ध्यान में रख कर प्लान बनायें। इस बात में एक खतरा हो सकता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्लान बड़ा हो सकता है, थर्ड प्लान की व्यवस्था हो सकती है, उसको देखते हुए क्या कर सकते हैं, उस माफिक

Page No.106

(श्री सोहनलाल भटनागर)

प्लान बना कर, ऊपर की बोडीज़ में कैसे यह फिट इन हो सकता है इस चीज की व्यवस्था रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मुझे ज्यादा पसंद है, लैंड रिफोर्म्स के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में, अपने विचार प्रकट किये....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, time is up.

श्री उपाध्यक्ष : Can you wind it up within a minute ?

श्री सोहनलाल भटनागर : No, Sir, I shall take at least 20 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे दिनांक १-३-६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, २६ फरवरी, १९६०)

स्तम्भ — स्तम्भ

श्री कल्याण सोमाणी (हमीरगढ़) द्वारा कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगाने हेतु लिए गये लोन की अदायगी । ४६१

हिन्डौन नई मंडी से धमान्ये-धौलेटा तक सड़क निर्माण ।

तहसील मान्डल के पटवारियों के द्वारा दो बार लगान वसूली ।

जयपुर जिले में उधार दिए गये टिन शीट्स ।

करौली सब–डिविज़न में सड़क निर्माण कार्य ।

ग्राम बगड़ी के खसरा नं० १६६७ में स्थित पक्की कोठी पर के नाजायज़ काबिज़ के विरुद्ध कार्यवाही ।

रींगस–दांता सड़क निर्माण ।

छाहखेड़ी ग्राम के नाथू भील की काश्त की भूमि के खाते का रद्दोबदल ।

बनेड़ा के थानेदार के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत ।

जयपुर में फतह टीबा से मोती डूंगरी जाने वाली सड़क की मरम्मत ।

हिन्डौन में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति ।

भारत सरकार द्वारा प्रान्त की शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रदत्त वार्षिक सहायता ।

दौसा-लालसोट मार्ग पर बिजली की व्यवस्था ।

ग्राम पलसाना के विद्यार्थी नन्द-लाल की देवली में मृत्यु ।

विलीनीकरण (integration) के समय राजस्थान सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स की सीनियोरिटी का निश्चयन ।

तहसील हिन्डौन में अलग जेल भवन निर्माण ।

अजमेर पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते का स्केल ।

दौसा सब-डिविज़न में पटवारियों के रहने हेतु क्वार्टर्स की व्यवस्था ।

भीलवाड़ा के एस० पी० के विरुद्ध हुई बलात्कार की शिकायत ।

जैतारण में जनता द्वारा निर्मित हायर सेकन्डरी स्कूल के हाल को पूर्ण करवाने हेतु सरकारी सहायता ।

उदयपुर डिविज़न में हुई डाके-जनी, चोरी व हत्याओं के अपराध ।

श्री रामचन्द्र गुप्त, भूतपूर्व हैड क्लर्क कॉमर्स कॉलेज़ जयपुर के पेन्शन-ग्रेच्यूटी का केस।

हार्ड ड्यूटी अलाउन्स।

पुलिस थाना रायपुर में दर्ज सोना व मिरचों की चोरी की रिपोर्ट में कार्यवाही।

गांधी शिक्षा सदन, अजमेर।

जयपुर शहर को 'बी' श्रेणी का शहर घोषित करवाना।

लालसोट थाने के तहत दो पुलिस चौकियां स्थापित करवाना। श्री जगदीश प्रशाद शर्मा जोध-पुरा (कोटपूतली) के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में जांच।

राजस्थान प्रदर्शिनी १९५६ में सड़क निर्माण का ठेका।

आजन्म कारावास के कैदियों से निर्माण कार्य करवाना।

राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर वाद-विवाद। ५५४

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री ज्वालाप्रसाद द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री श्रीमानसिंह

(२) श्री बी. एन. जोशी

(३) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(४) श्री नारायणसिंह मसूदा

(५) डॉ० चन्द्रकला

(६) श्री हीरा भाई

श्री सोहनलाल भटनागर बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५-०-० बजे मंगलवार दिनांक १ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

१. कार्य सलाहकार समिति के अष्ठम प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं स्वीकारोक्ति।

२. राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, ६० (पुरः स्थापन)

३. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर देखिये)

ASSISTANCE TO VOLUNTARY EDUCATIONAL ORGANISATIONS UNDER THE SECOND FIVE YEAR PLAN

1. INTRODUCTION.

In the first Five year plan of educational development the Government of India has included a scheme for financial assistance to recognised Voluntary Educational Organisations in strengthening and developing their existing services, and for introducing new ones for which there was a clear need. It is intended to continue the operation of the scheme during the Second Five Year Plan.

II. SCOPE

A. Financial assistance may be given to the organisations to improve and/or expand their activities in the following fields:

(a) Pre-primary education.

(b) Basic Education.

(c) Social Education, including libraries & publication of literature. Only those public libraries will be considered which cater to a population of at least 40-50 thousand.

(d) High and higher Secondary Education.

(e) Training of teachers.

(f) Vocational and Education Guidance.

(g) Research in Training schools and Training Colleges.

(h) 1. Schemes of Child welfare.

2. Education of the Handicapped.

B. (a) Grants under the Scheme will not be given to supplement the normal State grants admissible under State Education Code Rules or

merely to assist the organisation concerned in maintaining their existing services, or for meeting previous liabilities or debts.

(b) No grant will be admissible for a project which is covered under other regular schemes of the Govt. of India or State Govt. Plan.

III EXTENT OF HELP

(a) The Financial assistance will be given on a sharing basis. The Central Govt. may bear upto a maximum of 60% of the non-recurring & of the recurring expenditure, the remaining expenditure being borne by the State Govt. and/or the organisation concerned.

If the Govt. is satisfied that the institution has really done good work and has the competence and ability to continue the same, it may be possible to consider recurring financial assistance for a period of three years from the first year of the implementation of the scheme. However the institution must make sure that during this period of three years they would develop their resources and be in a position to run their activities independent of the Central assistance.

(b) Applications will be normally received through State Govt. and with their recommendations.

(c) It will, however, be open to the Central Govt. to entertain an application direction directly in special cases e. g. if an organisation is doing significant work of all-India importance.

(d) The share of the Central Government may be paid in one or more instalments.

(e) If an institution has alreaby received or is expecting to receive a grant from some other official source for a project for which application is being made under this scheme, the assessment of Central grant will be made after taking into cosideration these grants.

IV. PROCEDUREFOR SUBMSSION OF APPLICATION.

A. Applications, on prescribed form as given on pages 5-6 should be submitted to the Ministry of Education, Government. of India, through the Education Department of the State concerned in which the institution is situated. The applications for the current financial year should reach the

Ministry not later than the 30th Sept., 1959. Separate applications should be submitted for each project

B. The State Government. will scruitinize the application carefully, and in making its recommendation certify (as in the form part II of application from) that:

(a) The institution is of recognised competence ability. For secondary Education institutions, however, it is essential that they should have been recognised by a competent authority.

(b) The project recommended is of special educational importance,

(c) The estimates have been checked and found reasonable.

(d) The institution is engaged in outstanding work of educational importance; and

(e) That the State Government and/or the institution concerned will meet their share of expenditure.

Each institution applying for grant under this scheme should be inspected either by a senior officer of the State Government or in special cases by an officer of the Government of India, before the application is considered and the report from such an officer should be considered when the application is examined.

D. Each application should be accompanied by the following documents:

(i) A prospectus of the institution or a brief description of its objects and activities.

(ii) The constitution of the Board of Management and the particulars of each member.

(iii) The latest avaliable annual report, preferably in English.

(iv) A copy of the audited accounts of the institution for the last three financial years & Certified copies of balance sheets.

(v) A statement of grants received during the last five years from a University, or Central State Governments or Central Social Welfare Board, or Local Bodies/quasi-government institutions indicating in each case the purpose for which the grant was obtained.

(vi) Purpose for which assistance is requested

(vii) Financial statement of the project giving details of recurring and non-recurring expenditure separately and the sources from which counterpart funds will be obtained.

(viii) Information relating to the request made, if any, to other bodies for grants for the project under consideration. The decision of those bodies on such requests should be communicated to this Ministry.

(ix) A certificate from the State Govt. to the effect that the institution is capable of meeting the counterpart expenditure in case the State Govt. is not prepared to meet it. In the case of organisations operating on an all-India basis production of this Certificate may be waived.

(x) PLANS AND ESTIMATES: In the case of a building plan, a certificate from the State P. W. D./an Officer of the Engineering Department of a Local Body, Corporation or Improvement Trust of the status of not less than an Executive Engineer in Govt. employ approving the estimstes and plans should be submitted. A certificate by an engineer employed by the Education Department to look after the construction of the State Govt. buildings will also do. In the case of buildings costing not more than Rs. 25,000/-only, a statement that the rates are not more than those approved by the State P. W. D., for similar work will be sufficient.

(E) Once the plan and estimates have been approved as reasonable, & grants assessed on the basis of these estimates, they shall not be modified by the organisation without the prior approval of the State and Central Govts.

V. CONDITIONS FOR GRANTS

1. Grants will be payable in instalments, but no subsequent instalment will be paid, unless at least a major portion of the previous grant together with the proportionate share of the State institution has been spent and an authenticated statement of accounts is furnished along with the request for the release of next instalment. In the case of buildings,

the final instalment will be released only after the instituision submits a certificate from one of the officers mentioned in para D(X) above that the Building is being constructed in accordance with the originally approved plans, and estimates.

2. An institution/organisation in receipt of financial assistance shall be open to inspection by an officer of the Union Ministry of Education or the State Education Department, or an officer of the Indian Audit & Accounts Department.

3. In the case of grants for buildings, a minimum period of time may be specified during which the institution must complete the building unless extension is granted by the Central Govt.

4. Properties of such institutions should not be transferred to any person/institution without the concurrence of the Govt. of India. Should the organisation cease to exist at any time, property built or equipment purchased out of the Cetnral Govt. grant will revert to the Govt. of India.

5. The accounts of the institution should be maintained properly and submitted as and when required. It should always be open to check by an officer deputed by the Govt. of India or the. State. Govt.

6. When the State Govt./Govt. of India have reason to believe that the affairs of the institution are not being properly managad, or that the sanctioned money is not being utilised for approved purposes, the payment of grant may be stopped.

7. The institution must exercise reasonable economy in its working, especially in respect of expenditure out of Central grants for building.

8. The institution must be open to all citizens of India without distinction of caste, creed, area of origin, etc.

9. No capitation or other similar fees should be charged from students belonging to States other than the one in which the institution is situated.

10. If the Ministry required clarification on any point not contained in the statements, the institution should supply it within the time specified by the Ministry, failing which the application will not be considered.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS.

RAJASTHAN EXHIBITION 1959 (JAIPUR.)

Jaipur, the 14th October, 1959.

With reference to our tender notice (Published in the Press) for the construction of stalls etc. at the Rajasthan Exhibition, 1959, Jaipur, sealed tenders on prescribed forms will be received by 3. P. M. on the 20th October, 1959, and opened at 4 P. M. the same day in the presence of those who wish to be present. The Exhibition will last for a period of one month but may be extended. The following will be the terms and conditions in this behalf:—

1. The tender-cover should bear the supercription "Tender for construction work at Jaipur Exhibition"

2. Earnest money in cash as prescribed in the form shall be deposited with each tender. No tender will be considered in the absence of this deposit. The earnest money of those whose tenders are not accepted will be returned.

3. It is not necessary that the lowest tender would be accepted nor it is necessary to assign any reason for rejecting any or all the tenders. The work may he assigned to more than one contractor.

4. The charges for construction work will also include charges for dismantling work.

5. The work shall be completed strictly in accordance with the date scheduled.

6. The contractor will be responsible for the safety of the material supplied to him.

7. The tin-sheet shall be sorted out and packed in bundles of original size by the contractor after dismantling the stalls at the end of the Exhibition.

8. The dismantling work shall be completed and all materials that belong to the contractor shall be removed within seven days of the close of the oxhibition.

9. The contractor shall be responsible for the maintenance of the Exhibition-structure during the course of the Exhibition. One of his representatives shall be present in the office and be available for 24 hours during the period of the Exhibition.

10. The contractor will be paid 75 percent amount of his bill on the completion of each item of work. The balance will be paid at the end of the dismantling work.

11. The work shall be carried out in accordance with the specifications and to the satisfaction of the exhibition Authorities.

12. In the case of any points not covered by the terms and condition of the contract the decision of the Director of Public Relatinns shall be final.

The tenderer would sign below in token of his acceptance of the terms and conditions mentioned here.

Sd/—M. D. Jain.
for Director of Pubic Relations, Rajasthan,
Jaipur.

Accepted.
Sd/-Laxmi Narain Goyal.
Govt. Contractor.
20-10-59
Signature of the Contractor.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN,
Directorate of Public Relations

No. F.P./59/185.
Jaipur, dated the 23rd October, 1959.

To

Shri Laxmi Narain Goyal,
Goyal Bhawan,
Telipada, Jaipur.

Sir,

With reference to your tender for the construction of Stalls etc. at the Rajasthan Exhibition, 1959, to be held at Jaipur in the month of November and December, 1959, you are hereby adivised that your tender for laying Red-Morrum in the Exhibition as per lay out at the rate of 4.50 NP. per 100 Square feet X 1 "thickness and at the rate of 2. 50 np. per 100 Square feet X ½" thickness has been accepted. You are advised to spread Red-Morrum in ½ "thickness only in the first instance. The quality of the Red-Morrum will be got approved in advance. The total quantity required for the entire area will be got measured by the Exhibition Authorities before spreading it. You will also make arrangements to water the area as and when required so as to avoid the rising of dust. You may kindly take up the work in hand in accordance with the terms and conditions of the tender notice immediately and finish it in time. In case you fail to compete the work by the stipulated date the work will be got done by another party at your cost.

Yours faithfully,
Sd/—M. D. Jain.
23. 10. 59.
For Director of Public Relations,
Rajasthan, Jaipur.

Accepted and received the copy of the Order.
Sd/—Laxmi Narain Goyal
Dated 24-10-59.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४९७से५००	शीर्ष	२७ फरवरी, १९५९	२६ फरवरी, १९५९
४९९	१४	(बीकावेर सिटी)	(बीकानेर सिटी)
५०२	अन्तिम से ४	खेला मैदान	खेल का मैदान
५०३	१४	वाही जारी	कार्यवाही जारी
५०९	शीर्ष	(श्री दामोदरलाल	(श्री दामोदरलाल
५११	शीर्ष	(श्री हरिशचस्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
५१९	१६	परिव तित करने	परिवर्तित करने
५२७	१४	Miuster be	Minister be
५२०	अन्तिम से ७	inter-seniority	inter-sc-sencofity
५३०	१२	: क्य	: क्या
५४६	२	Nest,	Next
५४८	२०	डकेता नहीं	डकैती नहीं
५६१	अन्तिम से ६	is yow	is yours.
५६२	,, ,, ७	prodlem of	problem of
,,	,, ,, ६	wa. completely	was completely
५६६	,, ,, ४	judgemnt of	judgment of
५६८	६	dut the	but the
,,	अन्तिम से ६	ta speak	to speak
५७२	६	expenidure on	expendi ture on
५७३	८	His Fxcellency	His Excellency
५८१	२३	debaele for	debacle for
५८२	६	clearification	clarification
५८३	२२	would submi	would submit
५८७	२३	circuldr was	circular was
५९२	अन्तिम से४	विश्वम्भ नाथ	विश्वम्भर नाथ
६०६	५	refection that	reflection that
६०७	अन्तिम से ३	श्री अर्जनदस	श्री अर्जनदास
६१४	६	सरलर क शासन	सरकार के शासन

(२)

१	२	३	४
६२७	१८	सव में	सब में
६३४	२४	प्रदशनी ग्रौर	प्रदर्शनी ग्रौर
६४६	शीर्ष	—	(श्री नारायणसह
६५२	२२	मल भी गए	भूल भी गए
६६३	अन्तिम से ६	eaucation	education
६६६–६७०	शीर्ष	२७ फरवरी	२६ फरवरी
६७१	शीर्ष.	(श्री अध्यक्ष)	श्री (श्री उपाध्यक्ष)
६७३	शीर्ष	चन्द्रकाला	चन्द्रकला
६७६	अन्तिम से ४	नहीं	नहीं है
६६२	अन्तिम	भगनागर	भटनागर
७०८	अन्तिम से ५	PROCEDUREFOR	Procedure For
७११	२१	properly managad	properly managed.
७१३	१४	Public Relatinns	Public Relations